I/121751/2023

संख्या: 121757/IV(2)–श0वि0–2021–74(सा0) 14टी0सी0 III

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/5/23

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 17 मई, 2023

विषयः देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 हेतु परियोजना व्यय मद में राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के पत्र संख्याः 24/B-3/DSCL/Account/2022-23, दिनांक 12.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः K-15016/155(1)/2015-SC-I, दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के परियोजना व्ययों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹46.50 करोड़ के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश रू0 46.50 करोड़ में से गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्या 111435/IV(2)–श0वि0–2021–74(सा0) 14टी0सी0 III, दिनांक 29.03.2023 द्वारा रू0 42.4240 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी थी, लेकिन उक्त धनराशि देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के बैंक खाते में हस्तान्तरित न हो पाने के कारण प्रश्नगत धनराशि लैप्स हो गयी है।

2– अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 111435/IV(2)–श0वि0– 2021–74(सा0) 14टी0सी0 III, दिनांक 29.03.2023 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 42.4240 करोड़ के देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के बैंक खाते में हस्तान्तरित न हो पाने तथा समर्पित हो जाने के दृष्टिगत तद्नुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के परियोजना व्ययों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹46.50 करोड़ के सापेक्ष देय राज्यांश (50%) की धनराशि कुल **₹46.50 करोड़ (रूपये छियालीस करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि रू0 46.50 करोड़ आपके द्वारा आहरित कर स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्येतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्येतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य

I/121751/2023

माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–'4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–05–स्मार्ट सिटी योजना (50% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u> आई डी : S.23.05.13.0017

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 12-05-2023 23:07:07

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रैजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनिल काला)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 17/05/2023 10:

IFMS Uttarakhand

Print Date:-17/May/2023 05:00 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 17-05-2023 17:01:38

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23050130017

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 17-MAY-2023

लेखा शीर्षक -

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

051 निर्माण

95 केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्य का अंश

05 स्मार्ट सिटी योजना (60% राज्य अंश)

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	5	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	465000000	0	465000000
	योग	0	465000000	0	465000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 46,50,00,000 (Rupees Forty Six Crores Fifty Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0011

Approval Status : e-Sign letter

संख्या:   /IV(2)-शविअ-2021-74(सा0) 14टी0सी0 III

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2   देहरादून : दिनांक-   मई, 2023

विषयः देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 हेतु प्रशासनिक व्यय (A&OE) हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः K-15016/155(1)/2015-SC-I, दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के प्रशासनिक व्ययों (A&OE) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹2.50 करोड़ के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 111320/IV(2)-शविअ- 2021-74(सा0) 14टी0सी0 III दिनांक 29.03.2023 द्वारा रू0 2.50 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी थी।

2 - उक्त के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के पत्र संख्याः 24/B-3/DSCL/Account/2022-23, दिनांक 12.04.2023 के पत्र संख्याः 24/B-3/DSCL/Account/2022-23, दिनांक 12.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 111320/IV(2)-शविअ-2023-74(सा0)14टी0सी0, दिनांक 29.03.2023 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 2.50 करोड़ के देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के बैंक खाते में हस्तान्तरित न हो पाने के दृष्टिगत तदनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के प्रशासनिक व्ययों (A&OE funds-[illegible] instalment) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹2.50 करोड़ एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश (50%) की धनराशि रू0 2.50 करोड़ इस प्रकार कुल ₹5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि रू0 5.00 करोड़ आपके द्वारा आहरित कर स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून को बैंक

Generated from eOffice by AJIT SINGH RAWAT, AO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on [illegible]

ड्राफ्ट, चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी०एफ०एम०एस० प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-10-स्मार्ट सिटी योजना (50% के०पो०) के अन्तर्गत मानक मद 14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण तथा लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश-10-स्मार्ट सिटी योजना (50% राज्यांश) के अन्तर्गत

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 1-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 11/05/2023

मानक मद 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० (02 आई०डी०) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 12-05-2023 23:14:46
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 15-05-2023 10:20:26
(अनिल काला)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-RM, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on

IFMS Uttarakhand

Print Date:-15/May/2023 05:40 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 15-05-2023 17:45:31

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 121762

आवंटन आई डी - S23050130013

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2023

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

10 स्मार्ट सिटी योजना (2217038000112 से स्थानान्तरित)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	1	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	25000000	0	25000000
	योग	0	25000000	0	25000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 2,50,00,000 (Rupees Two Crores Fifty Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0008

Approval Status : e-Sign letter

संख्या : 122854 / IV(2)–श०वि०–2023–01(ADB)/18

प्रेषक,
नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 19 मई, 2023

विषय:–वाह्य सहायतित परियोजना यू०यू०एस०डी०ए० के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148 IND Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Development Project के अन्तर्गत अधिष्ठान–प्रशासनिक व्यय/डी०एस०सी० के व्ययों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक:–यू.यू.एस.डी.आई.ए./एफ०एम०ए०–05/392 एवं दिनांक 18.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यू०यू०एस०डी०ए० के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं०–4148 IND के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय/डी०एस०सी० व्यय हेतु रू० 11.00 करोड़ अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है यू०यू०एस०डी०ए० के अन्तर्गत प्रचलित Loan No-4148 Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Projectके अन्तर्गत क्रमशः अधिष्ठान–प्रशासनिक व्यय हेतु रू० 6.52 करोड़ एवं कन्सल्टेंसी (डी०एस०सी०) के व्यय हेतु रू० 4.48 करोड़ इस प्रकार कुल धनराशि **रू० 11.00 करोड़ (रू० ग्यारह करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **रू० 11.00 करोड़ (रू० ग्यारह करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 19/05/2023 11:54 AM

I/122854/2023

कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है, तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

iii. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

iv. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

v. अवमुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

vi. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

vii. धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2021 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या–13** के लेखाशीर्षक **लेखाशी०–2217**–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9701–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (ए०डी०बी०) (फेज–1)–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे **रू0 4.75** करोड़, **अनुदान संख्या–30** के लेखाशीर्षक **लेखाशी०–2217**–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9701–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे **रू0 5.25** करोड़, **अनुदान संख्या–31** के लेखाशीर्षक **लेखाशी०–2217**–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9701–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–42–अन्य विभागीय व्यय के नामे **रू0 1.00** करोड़ डाला जायेगा।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 15/05/2023 11:14 AM

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:–111469 / 08(150)2019 / XXVII(1) / 2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– अलॉटमेन्ट आईडी–1 S 2305013 0019

अलॉटमेन्ट आईडी–2 S230503000 20

अलॉटमेन्ट आईडी–2 S2305031 0022

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 18-05-2023 06:38:35
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - जिलाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।
4. - कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. - वित्त अनुभाग–2 / निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 18-05-2023 14:34:04

(अनिल काला)
अनु सचिव ।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 19/05/2023 11:44 AM

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-19/May/2023 12:40 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 19-05-2023 12:42:48

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 122854

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23050130019

आवंटन पत्र दिनांक - 19-MAY-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	97	वाह्य सहायतित योजना
01	नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0)		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	7500000	47500000	0	55000000
	योग	7500000	47500000	0	55000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 4,75,00,000 (Rupees Four Crores Seventy Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2305:0013

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -122854
अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S23050300020
आवंटन पत्र दिनांक-19-MAY-2023

लेखा शीर्षक		
	2217-शहरी विकास	03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
	191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं
	01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण	Voted

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	0	52500000	0	52500000
योग	0	52500000	0	52500000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,25,00,000 (Rupees Five Crores Twenty Five Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-19/May/2023 12:28 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 19-05-2023 12:29:42

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 122854
अनुदान संख्या - 031
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23050310022
आवंटन पत्र दिनांक - 19-MAY-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	97	बाह्य सहायतित परियोजना
01	नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	10000000	0	10000000
	योग	0	10000000	0	10000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,00,00,000 (Rupees One Crore Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0015

Approval Status : e-Sign letter

I/122855/2023

संख्या : /IV(2)-श0वि0-2022-07(ADB)/11 टी0सी0
ई0 फा0 नं0-18293

प्रेषक,
नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : अप्रैल,2023

विषय– वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत 18293पुराने ए0डी0बी0 ऋण के अन्तर्गत रूड़की शहर में निर्मित 33 MLD STP & 2 SPS के O&M व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट एजेन्सी, देहरादून के पत्रांक-यू.यू.एस.डी.आई.ए.-रूड़की O&M/390 दिनांक 18 अप्रैल,2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत पुराने ए0डी0बी0 ऋण के अन्तर्गत रूड़की शहर में निर्मित 33 MLD STP & 2 SPS के O&M पर दिनांक 01.11.2022 तक कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु रू0 75.00 लाख राज्य सैक्टर से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्कानुसार रूड़की शहर में निर्मित 33 MLD STP & 2 SPS के O&M पर दिनांक 01.11.2022 तक कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की गयी धनराशि के भुगतान हेतु **रू0 75.00 लाख (रू0 पिचहत्तर लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उक्त धनराशि **रू0 75.00 लाख (रू0 पिचहत्तर लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विधानान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत थी तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार अधिप्राप्ति कार्यवाही की गयी है। स्वीकृत कार्यों/विशिष्टियों से अतिरिक्त धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।
iii. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2019 (यथासंशोधित) तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
iv. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 15/05/2023 11:29 AM

I/122855/2023

जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

v. अवमुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

vi. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

vii. धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2024 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3 – उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक '2217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना–9701–नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (एडीबी)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आईडी– 1..।

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 18-05-2023 06:41:34
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. – कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
4. – वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. – वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. – बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. – गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 18-05-2023 14:29:26
(अनिल काला)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-(JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 19/05/2023 11:29 AM

संख्या: 121883/IV(2)-शा०वि०-2023-03(PMAY) 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

17/5/23

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक- 15 मई, 2023

विषय: 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के Capacity Building Activities के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 तक स्वीकृत परियोजनाओं (Projets) के तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण (TPQM) हेतु निर्धारित केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि एवं तद्नुसार देय राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-322/291/HFA-TPQMA/2018, दिनांक 28.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या N-11015/16/2018-HFA-V-UD-Part(1) (FTS-9138635) दिनांक 27.01.2023 द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' में तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण (TPQM) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की अवशेष धनराशि ₹7,09,236/- एवं तद्नुसार देय राज्यांश ₹78,804/-, इस प्रकार कुल ₹7,88,040/- की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.01.2023 द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के Capacity Building Activities के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 तक स्वीकृत परियोजनाओं (Projets) के तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण (TPQM) हेतु निर्धारित केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹7,09,236/- एवं तद्नुसार देय राज्यांश 10% राज्यांश ₹78,804/-, इस प्रकार कुल ₹7,88,040/- (रुपये सात लाख अट्ठासी हजार चालीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस०एन०ए० खाते में अन्तरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-AGR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023 03

समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी०एफ०एम०एस० प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण (TPQM)हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रामाणिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (60% के0स0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' तथा 'लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023 05

सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9506–प्रधानमंत्री आवास योजना (20% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 15-05-2023 12:29:30
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 15-05-2023 13:35:19
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-15/May/2023 04:36 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuvan Chandra Joshi
Reason: SBC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 15-05-2023 16:36:49

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23050130010

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

06 प्रधानमंत्री आवास योजना (80:20) (2217038000108 से स्थानान्तरित)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण ..	18145560	709236	0	18854796
	योग	18145560	709236	0	18854796

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 7,09,236 (Rupees Seven Lacs Nine Thousand Two Hundred Thirty Six Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2305:0006

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date: 15/May/2023 04:33 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: DSC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 15-05-2023 16:33:53

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23060130011

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2023

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

06 प्रधानमंत्री आवास योजना (20% राज्यांश)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	5	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	78804	0	78804
	योग	0	78804	0	78804

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 78,804 (Rupees Seventy Eight Thousand Eight Hundred Four Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0007

Approval Status : e-Sign letter

I/121884/2023

संख्या: 121884 / IV(2)–शविवि–2023–03(PMAY) 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 15, मई, 2023

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 "खुशियों का आशियाना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य से चयनित 02 विजेताओं (प्रथम एवं तृतीय पुरस्कार) हेतु केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–307/289/HFA-IEC/SUDA/2017-18, दिनांक 27.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11013/02/2021-HFA-I/FTS-9110886, दिनांक 14–16 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 "खुशियों का आशियाना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य से चयनित 02 विजेताओं (प्रथम एवं तृतीय पुरस्कार) हेतु केन्द्रांश (100%) की धनराशि कुल ₹ 37,500/– स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 "खुशियों का आशियाना" के अन्तर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14–16 सितम्बर, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से चयनित 02 विजेताओं हेतु निम्नवत् अवमुक्त केन्द्रांश (100%) की धनराशि कुल ₹37,500/– (रूपये सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

State	Winner Name	Gender	Score (out of 10)	Award	Prize (Amount in Rs.
Uttarakahnd	Mr. Bharat Saraswat	Male	10	1st	25,000
	Mr. Rachit	Male	8	3rd	12,500
Total-					37,500

3– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASA, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023 05

एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(5) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (60% के0पो0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेण्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 15-05-2023 12:31:43
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 15-05-2023 14:51:36
(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, SO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on

Print Date - 15/May/2023 04:38 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 15-05-2023 16:38:48

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23050130009

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2023

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
08 प्रधानमंत्री आवास योजना (80:20) (2217038000108 से स्थानान्तरित)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण -	18108060	37500	0	18145560
	योग	18108060	37500	0	18145560

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 37,500 (Rupees Thirty Seven Thousand Five Hundred Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2305:0005

Approval Status : e-Sign letter

I/124012/2023

ई–पत्रावली सं0–53093
संख्या :– / IV(3) / 2023–01 (04 न0नि0) 2023

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

26/5/23

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 23 मई, 2023

विषय– नगर पंचायत, नौगांव क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5188 / श0वि0नि0–2515 / हाईटेक शौचालय / 2021, दिनांक 21 फरवरी, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, नौगांव क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य किये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 20.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में विषयगत कार्य की औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 20.03 लाख (रू0 बीस लाख तीन हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 20.03 लाख (रू0 बीस लाख तीन हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत संबंधित नगर निकाय को आधुनिक शौचालय के निर्माण हेतु ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) आधुनिक शौचालय हेतु नियमानुसार निर्धारित यूजर चार्जेज को लागू करते हुए, शौचालय के संचालन एवं रख–रखरखाव की व्यवस्था स्वयं अथवा किसी अन्य आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

Generated from eOffice by SUNIL KUMAR RAI, SO-UD-SEK, SECTION OFFICER-UD, Urban Development Department on 23/05/2023 11:21 AM

1/124012/2023

(iv) कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(vii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित विशिष्टियों एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(viii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–391/9(150)–2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(x) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xi) निर्माण कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(xii) प्रस्तावित कार्य के निर्माण से पूर्व भूवैज्ञानिक तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(xiii) उक्त शौचालय निर्माण के स्थल चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये, कि वहीं पर लोगों का आवागमन/फुटफॉल अत्यधिक होता हो, ताकि आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त हो सकें।

2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0408–हाईटेक शौचालयों का निर्माण मद–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला

Generated from eOffice by SUNIL KUMAR RAI, SO-UD-SKR, SECTION OFFICER-UD, Urban Development Department on 11/05/2023 11:31 AM

जायेगा।

3— स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत विशिष्ट आवंटन संख्या 5-2305013002O दिनांक 23/5/2023 से आवंटित की जा रही है।

4— यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक 1/123084/2023 दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 22-05-2023 19:31:11
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या– —— (1)/IV(3)/2023–01 (02 न0वि0) 2023, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 23-05-2023 10:26:27
(अनिल काला)
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S230501300 20
आवंटन पत्र दिनांक-23-MAY-2023

लेखा शीर्षक

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
051-निर्माण
08-हाई टैक शौचालयों का निर्माण (4217031910303 से स्थानांतरित)

03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
04-नगरों का समेकित विकास
Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	8

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	2003000	0	2003000
योग	0	2003000	0	2003000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,03,000 (Rupees Twenty Lacs Three Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

I/128001/2023

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2023–05(सा0)/12

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : जून, 2023

विषयः नगरपालिका परिषद, विकासनगर एवं नगर पंचायत, सेलाकुई के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वानपशुओं के बन्ध्याकरण हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः I/12180/2023, दिनांक 22.05.2023 एवं पत्र संख्याः I/11627/2023, दिनांक 03.05.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु संचालित Animal Birth Control-Anti Rabis Vaccination Project(ABC-ARB) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, विकास नगर एवं नगर पंचायत, सेलाकुई में कार्यदायी संस्था Humane Society international India (HSI-India)के माध्यम से कराये गये श्वानपशुओं के बन्ध्याकरण कार्य हेतु निर्धारित राज्यांश प्रति श्वानपशु रू0 429/– की दर से निम्नवत् कुल रू0 5,06,649/– (रूपये पाँच लाख छः हजार छः सौ उन्चास मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	श्वान पशु बन्ध्याकरण की संख्या	स्वीकृत राज्यांश की धनराशि (प्रति पशु रू0 429/– की दर से)
1.	नगरपालिका परिषद, विकासनगर	274	1,17,546
2.	नगर पंचायत, सेलाकुई	907	3,89,103
	योग–	**1181**	**5,06,649**

2– उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जाती है :–

(1) उक्त धनराशि कुल रू0 5,06,649/– (रूपये पाँच लाख छः हजार छः सौ उन्चास मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं उपरोक्त तालिका में उल्लिखित

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 04

I/128001/2023

विवरणानुसार क्रमशः नगरपालिका परिषद, विकास नगर एवं नगर पंचायत, सेलाकुई को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि उक्त धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(3) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम के संचालन पर राज्यांश के अतिरिक्त होने वाले समस्त व्यय का वहन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(4) प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्याकरण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 02.05.2023 के अनुपालन में निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं को गोद लिये जाने तथा Dog Bite के के प्रकरणों से बचाव हेतु अपेक्षित विशेष सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार आदि प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम की तृतीय पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक रूप से कराया जाय एवं मूल्यांकन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(6) धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता/व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये समस्त शासनादेशों के पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

(7) जिस कार्य/योजना हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, निर्गत धनराशि का व्यय उसी कार्य/योजना पर किया जाय। धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0326–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन–56–सहायक अनुदान (सहायक गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 04/08/2023 04

I/128001/2023

3— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 06-06-2023 14:35:02
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, विकासनगर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सेलाकुई।
8. वित्त अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 06-06-2023 15:51:05
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 04

संख्या 129154 /42857/FCD-IRFC/FSFC/3/2022

प्रेषक,

डा0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

आज प्राप्त
दिनांक 15/6/2023
उपायुक्त
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

वित्त अनुभाग–1 (वि.आ.निधि.) देहरादून: दिनांक: 15 जून, 2023

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

E-office
15/06/2023

महोदय,

कृपया पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम लेखा परीक्षा विभाग (ऑडिट) द्वारा नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, एरियर, उपादान एवं अवकाश आदि की बकाया सत्यापित कुल ₹1,58,80,639/– (₹ एक करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार छः सौ उनतालीस मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में संबंधित सेवा निवृत्त कार्मिकों को भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. वित्त अनुभाग–8, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(8)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से धनराशि संबंधित निकाय को तत्काल अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।
2. उपर्युक्त धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, एरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता ₹1,58,80,639/– का लेखा परीक्षा द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा द्वारा 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, एरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए यह अवमुक्त की जा रही है।
5. 31 मार्च, 2022 के बाद पेंशन, एरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता हेतु कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी।
6. 31 मार्च, 2022 तक सेवा निवृत्त कार्मिकों के पेंशन, एरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयताओं का भुगतान किया जायेगा, जिसकी कर्मचारीवार सूची वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक स्थिति में 31 जुलाई, 2023 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 111469/I (130)/2019 /XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

10. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

Generated from eOffice by AAKASH CHANDRA NATURI, RO-Finance Section I-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 14/06/2023 15:44 PM

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-00-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-राज्य वित्त आयोग-04-शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान-56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Ahmed Iqbal
Date: 09-06-2023 19:16:02
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या: 129154 /42857/FCD-IRFC/FSFC/3/ 2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, रिंग रोड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-अल्मोड़ा।
9. शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23060070366
आवंटन पत्र दिनांक-12-JUN-2023

लेखा शीर्षक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

02-

02-[illegible]

[illegible]

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (वेतनेतर गैर वेतन)	30000000	15880639	30000000	45880639
योग	30000000	15880639	30000000	45880639

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,58,80,639 (Rupees One Crore Fifty Eight Lacs Eighty Thousand Six Hundred Thirty Nine Only)

Batch ID : DIS-2211-2211-2306-0003
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त अनुभाग-1
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 127850/IV(2)-श०वि०-2023-03(NULM)19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

9/6/23

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक- 06 जून, 2023

विषयः दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे०-एन०यू०एल०एम०) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं तद्नुसार देय राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-570/230/SUDA-NULM/2019-20, दिनांक 22.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः G-24011/3/2023-UPA-I/EFS-9150818, दिनांक 20.02.2023 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (D-NULM) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश ₹850.32 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि ₹1,78,13,333/- को शासनादेश संख्याः 111437/IV(2)-श०वि०-2022-03(NULM)19, दिनांक 29.03.2023 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया था, लेकिन उक्त धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत शासन को समर्पित की गयी है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'डे०-एन०यू०एल०एम०' के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 111437/IV(2)-श०वि०-2022-03(NULM)19, दिनांक 29.03.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹1,78,13,333/- के कोषागार से आहरित न होने तथा समर्पित हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि कुल ₹1,78,13,333/- (रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस०एन०ए० खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी०एफ०एम०एस० प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अनुमोदित कार्यों की प्रगति विवरण मय फोटोग्राफ के शहरी विकास निदेशालय/सूडा को वित्तीय एवं

भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0– 13 सामान्य बजट, अनुदान सं0–30 एवं 31 अनुसूचित जाति/जनजाति उप योजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतः वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(7) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(9) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक के <u>अनुदान संख्या–13</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹78.55 लाख**, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–96–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–05–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹8.7389 लाख**, <u>अनुदान संख्या–30</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14– केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹68.57** लाख, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–96–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹7.6076 लाख**, <u>अनुदान संख्या–31</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹13.20** लाख, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–96–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 16

अंश –08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस०एन०ए० में अंतरण" के नामे ₹1.46063 लाख डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(160)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० (06 आई०डी०) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u> 1-S 230601300006
2-S 2306013000007
3-S 23060800009
4-S 230603000010
5-S 230603100006
6-S 230603100007

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 06-06-2023 10:32:13

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 06-06-2023 11:11:21

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 12

IFMS
Uttarakhand

Print Date : 06/Jun/2023 02:37 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:38:37

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 013
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060130008
आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
05	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (90:10) (2217038000107 में समायोजित)		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	7855000	0	7855000
	योग	0	7855000	0	7855000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 78,55,000 (Rupees Seventy Eight Lacs Fifty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2306:0001

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date: 06/Jun/2023 02:38 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuvan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:27:56

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060130007

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

96 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

05 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10% रा० भाग)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	6	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	873890	0	873890
	योग	0	873890	0	873890

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 8,73,890 (Rupees Eight Lacs Seventy Three Thousand Eight Hundred Ninety Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0002

Approval Status : e-Sign letter

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-08/Jun/2023 02:18 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: [illegible] Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-06-2023 14:20:53

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 030
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060300009
आवंटन पत्र दिनांक - 08-JUN-2023

2217 शहरी विकास
800 अन्य व्यय
08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

2	2	1	7	0	3	8	0	0	0	1	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	6857000	0	6857000
	योग	0	6857000	0	6857000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 68,57,000 (Rupees Sixty Eight Lacs Fifty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2306:0003

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-06/Jun/2023 02:12 PM

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason: IBSC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:14:48

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 030
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060300010
आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800	अन्य व्यय	95	केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्य का अंश
08	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10%)		

2	2	1	7	0	3	8	0	0	9	5	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	760780	0	760780
	योग	0	760780	0	760780

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 7,60,780 (Rupees Seven Lacs Sixty Thousand Seven Hundred Eighty Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0004

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jun/2023 02:08 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:10:13

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 031

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - B23060310006

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 अन्य व्यय

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

2	2	1	7	0	3	8	0	0	0	1	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	1320000	0	1320000
	योग	0	1320000	0	1320000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 13,20,000 (Rupees Thirteen Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0005

Approval Status : e-Sign letter

IFMS
Uttarakhand

Print Date: 06/Jun/2023 02:04 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:06:11

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 031

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060310007

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217	शहरी विकास		03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800	अन्य व्यय		95	केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्य का अंश
08	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10%)			

2	2	1	7	0	3	8	0	0	9	5	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	146663	0	146663
	योग	0	146663	0	146663

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,46,663 (Rupees One Lac Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Three Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0006

Approval Status : e-Sign letter

संख्या:12780/IV(2)-श0वि0-2023-03(NULM)19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक- 06 जून, 2023

विषयः दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0-एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं तद्नुसार देय राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-570/230/SUDA-NULM/2019-20, दिनांक 22.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः G-24011/3/2023-UPA-I/EFS-9150818, दिनांक 20.02.2023 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (D-NULM) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश ₹880.32 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि ₹1,78,13,333/- को शासनादेश संख्याः 111437/IV(2)-श0वि0-2022-03(NULM)19, दिनांक 29.03.2023 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया था, लेकिन उक्त धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत शासन को समर्पित की गयी है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'डे0-एन0यू0एल0एम0' के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः 111437/IV(2)-श0वि0-2022-03(NULM)19, दिनांक 29.03.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹1,78,13,333/- के कोषागार से आहरित न होने तथा समर्पित हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि कुल ₹1,78,13,333/- (रूपये एक करोड़ अठ्हत्तर लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अनुमोदित कार्यों की प्रगति विवरण मय फोटोग्राफ के शहरी विकास निदेशालय/सूडा को वित्तीय एवं

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 [illegible]

I/127850/2023

भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0– 13 सामान्य बजट, अनुदान सं0–30 एवं 31 अनुसूचित जाति/जनजाति उप योजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतः वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(7) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(9) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 11469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक के <u>अनुदान संख्या–13</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹ 78.66 लाख**, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–06–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹ 8.7389 लाख**, <u>अनुदान संख्या–30</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14– केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹ 68.57 लाख**, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹ 7.6079 लाख**, <u>अनुदान संख्या–31</u> के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रप्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे **₹ 13.20 लाख**, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 1-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on

अंश –08–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–14–केन्द्रपोषित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण" के नामे ₹1.40663 लाख डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111460/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 (06 आई0डी0) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। 1–S 230601300006
2–S 230601300007
3–S 230603000009
4–S 230603000010
5–S 230603100006
6–S 230603100007

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 06-06-2023 10:32:13

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 06-06-2023 11:11:21

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, SO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/06/2023 [illegible]

IFMS
Uttarakhand

Print Date: 08/Jun/2023 02:37 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuw[illegible] Chandra Joshi
Reason: SBC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-06-2023 14:38:37

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060130006

आवंटन पत्र दिनांक - 08-JUN-2023

2217 शहरी विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

05 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (90:10) (2217038000107 से स्थानांतरित)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	7855000	0	7855000
	योग	0	7855000	0	7855000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 78,55,000 (Rupees Seventy Eight Lacs Fifty Five Thousand Only)

Batch ID : D15:5054:5054:2306:0001

Approval Status : e-Sign letter

Print Date-06-Jun-2023 02:29 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:27:56

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060130007

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

05 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10% राज्य भाग)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	5	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	873890	0	873890
	योग	0	873890	0	873890

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 8,73,890 (Rupees Eight Lacs Seventy Three Thousand Eight Hundred Ninety Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0002

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jun/2023 02:18 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sh Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:20:53

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 030

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060300009

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 अन्य व्यय

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

2	2	1	7	0	3	8	0	0	0	1	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	6857000	0	6857000
	योग	0	6857000	0	6857000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 68,57,000 (Rupees Sixty Eight Lacs Fifty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0003

Approval Status : e-Sign letter

IFMS
Uttarakhand

Print Date -06/Jun/2023 02:12 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:14:45

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 030
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S230603000010
आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास
800 अन्य व्यय
08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10%)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
95 केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्य का अंश

2	2	1	7	0	3	8	0	0	9	5	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	760780	0	760780
	योग	0	760780	0	760780

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 7,60,780 (Rupees Seven Lacs Sixty Thousand Seven Hundred Eighty Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2306:0004

Approval Status : e-Sign letter

IFMS
Uttarakhand

Print Date: 06/Jun/2023 02:06 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Bhawan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:10:13

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 031

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - B23060310006

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 अन्य व्यय

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

2	2	1	7	0	3	8	0	0	0	1	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	1320000	0	1320000
	योग	0	1320000	0	1320000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 13,20,000 (Rupees Thirteen Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2306:0005

Approval Status : e-Sign letter

IFMS

Print Date -06/Jun/2023 02:04 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष

(2023-2024)

Signature Not Verified

Digitally signed by: Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-06-2023 14:05:11

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23060310007

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JUN-2023

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 अन्य व्यय

05 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

08 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (10%)

2	2	1	7	0	3	8	0	0	9	5	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण	0	146663	0	146663
	योग	0	146663	0	146663

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,46,663 (Rupees One Lac Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Three Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2306:0006

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– 129392/IV(2)–2023–E-File No-54241/2023-03(ग्रा0)22

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

15/6/2023

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 12 जून, 2023

Ato/Act

विषय– जनपद हरिद्वार में हरिद्वार रिंग रोड़ निर्माण हेतु नगर निगम, हरिद्वार के अधीन ग्राम सराय एवं देवपुर मुस्तहकम की भूमि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अर्जन किये जाने पर नगर निगम, हरिद्वार को प्रतिकर की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के पत्रांक–98/सम्पत्ति अनु0/ 2023–24 दिनांक 13.04.2023 के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में रिंग रोड़ के निर्माण हेतु नगर निगम, हरिद्वार के अधीन ग्राम सराय एवं देवपुर मुस्तहकम की अर्जित कुल 4.0360 है0 भूमि के प्रतिकर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि **रू0 60.54 करोड़ (रू0 साठ करोड़ चव्वन लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 60.54 करोड़ (रू0 साठ करोड़ चव्वन लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार को यथोचित माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनके द्वारा प्रतिकर धनराशि नगर निगम, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही प्रतिकर धनराशि रू0 60.54 करोड़ के सापेक्ष भूमि अर्जन व्यय रू0 1,51,35000.00 (एक करोड़ एक्यावन लाख पैंतीस हजार मात्र) का वहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विहित प्रक्रियानुसार विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार को किया जायेगा।।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-(4), REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 13/06/2023 11:1? AM

I/129392/2023

सहायता–03–नगरों को समेकित विकास–0332–हरिद्वार हैलीपैड हेतु भूमि क्रय–54–भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक सं0–126283/2023 दिनांक 30.05.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आई डी- S 2306013 0012

भवदीय

Signed by Navneet Pande
Date: 12-06-2023 16:54:02
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
6. सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार।
7. वित्त अधिकारी साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 12-06-2023 17:57:17
(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 13/06/2023 11:16 AM

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-13/Jun/2023 11:50 AM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason: IRC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 13-06-2023 11:51:37

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 129392
अनुदान संख्या - 013
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23060130012
आवंटन पत्र दिनांक - 13-JUN-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	03	नगरों का समेकित विकास
32	हरिद्वार हैलीपैड हेतु भूमि क्रय		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	3	3	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	54-भूमि क्रय	0	605400000	0	605400000
	योग	0	605400000	0	605400000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 60,54,00,000 (Rupees Sixty Crores Fifty Four Lacs Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2306:0008

Approval Status : e-Sign letter

I/129187/2023

E-55974

संख्या– /IV(3)/2023–1 (3 न0नि0) 21

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादून दिनांक: 15 ~~मई~~ जून 2023

विषय– नगर पंचायत, पुरोला क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प के समीप स्थल पर आधुनिक शौचालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–I/12183/2023, दिनांक 22 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पंचायत, पुरोला क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प के समीप आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु अवशेष धनराशि कुल रू0 12.312 लाख (रू0 बारह लाख इकतीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराया गया है कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला के पत्र संख्या–522/न0पं0/2022–23, दिनांक 09.02.2023 के द्वारा नगर पंचायत, पुरोला क्षेत्रान्तर्गत आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1756/IV(3)/2023–1 (3 न0नि0) 21, दिनांक 03.12.2021 के द्वारा औचित्यपूर्ण कुल धनराशि रू0 20.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत रू0 8.20 लाख में से नगर पंचायत, पुरोला द्वारा रू. 8.19 लाख का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पुरोला क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प के समीप स्थल पर आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 12.312 लाख (रू0 बारह लाख इकतीस हजार दो सौ मात्र) अवमुक्त करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 12.312 लाख (रू0 बारह लाख इकतीस हजार दो सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत संबंधित नगर निकाय को आधुनिक शौचालय के निर्माण हेतु तत्काल ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

AD/SFO 14.6.23 D(UDD)

(ii) उक्त कार्य की उपादेयता का अपने स्तर से परीक्षण कर लेंगे।

(iii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित किजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(iv) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) निर्माण कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3– विषयगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या–1756/IV(3)/2023–1 (3 न0नि0) 21, दिनांक 03.12.2021 की शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की अनुदान

SFO 15/6/2023

Accounts 21/6/23

संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0408–हाईटेक शौचालयों का निर्माण 53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/111488/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में निहित प्रावधानों के क्रम में निर्गत की जा रही है।

6– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–523060130013 दिनांक 13 ~~मई~~ जून 2023 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 10-06-2023 16:57:53
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2023–1 (3 न0वि0) 21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. – महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. – सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. – निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. – आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. – वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
8. – वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. – निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. – बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला।
12. – गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

संख्या–   /IV-3/2023–06(09)/2015

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–3   देहरादून: दिनांक: 23 जून, 2023

विषय–कावंड मेला–2023 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु रू0 60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के संबध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कांवड मेला–2023 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु अलॉटमेंट आई0डी0–52306003024 दिनाक 23 जून, 2023 के अनुसार रू0 60,00,00.00 (रू0 साठ लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि में से रू0 20.00 लाख जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, रू0 20.00 लाख जिलाधिकारी, देहरादून व रू0 20.00 लाख जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को तात्काल आंवटित की जायेगी।

(ii) कावंड मेला–2023 की व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि की मांग के सापेक्ष अपने स्तर से समीक्षा करते हुये अत्यन्त आवश्यक कार्यों का चयन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही व्यय की जाए। यदि नियमानुसार किसी निर्माण कार्य आदि के आगणन के सापेक्ष शासन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो उसका प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययर्तन अन्य मदों में नहीं किया जाय। मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–08 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

(v) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाए।

(vi) जिस कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जायेगी, उसका सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित हो एवं उसी के सापेक्ष स्वीकृत की जाए।

(vii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य के संबध में सम्बन्धित विभाग से प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(viii) स्वीकृत धनराशि से किये जाने वाले कार्यों का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण

Generated from eOffice by SUNIL KUMAR RAI, SO-UD-SKR, SECTION OFFICER-UD, Urban Development Department on 23/06/2023 12:06 PM

/131916/2023

किया जाए तथा विभागवार विवरण प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाए।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किये जाने वाले कार्यों के वित्तीय अनियमितता एवं कार्य की गुणवत्ता में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(x) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। उक्त अनुदान से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(xi) यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।

(xii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

(xiii) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(xiv) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(xv) आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रपत्र–10 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास 80–सामान्य 800–अन्य व्यय 10–कावड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान की मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5– वित्तीय वर्ष 2023–24 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 में निहित प्राविधानों के क्रम में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 21-06-2023 17:54:04
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/IV–3/2023–06(09)/15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. – महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

Generated from eOffice by SUNIL KUMAR RAI, SO-UD-SKR, SECTION OFFICER-UD, Urban Development Department on 27/06/2023 12:06 PM

/1319 16/2023

2. - वित्त अनुभाग–1/2 उत्तराखण्ड शासन।
3. - जिलाधिकारी, टिहरी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार।
4. - वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. - निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
7. - निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. - निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. - गार्ड पत्रावली हेतु।

Signed by Navneet Pande
Date: 22-06-2023 18:16:48

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S23060130027

आवंटन पत्र दिनांक-23-JUN-2023

लेखा शीर्षक	2217-शहरी विकास	80-सामान्य
	800-अन्य व्यय	10-कांवड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान
	00-ई	Voted

2	2	1	7	8	0	8	0	0	1	0	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	0	6000000	0	6000000
योग	0	6000000	0	6000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,00,000 (Rupees Sixty Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

File No. FCD-IRFC/FFCG/8/2023-FINANCE Department (Computer No. 52526)
I/129541/2023
I/129541/2023

संख्या: / 1295 /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

प्रेषक,

डा० अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग-1 :: देहरादून :: दिनांक: 27 जून, 2023

विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2023) की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2023) हेतु कुल देय संक्रमण से निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित कुल ₹243.08 लाख (₹ दो करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) तथा कॉलम-5 में अंकित कुल ₹243,33.11 लाख (₹ दो सौ तैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक-1) संबंधित निकायों को आवंटित करने हेतु, इस प्रकार कुल ₹245,76.19 लाख (₹ दो सौ पैंतालीस करोड़ छियहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(हजार में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु कुल देय	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%	निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	नगर निगमें	982402	9824	972578
2-	(1) नगर पालिका परिषदें (पुरानी)	1160945	11613	1149332
	(2) नगर पालिका परिषदें (नव सृजित)	2500	0	2500
	योग	1163445	11613	1151832
3-	(1) नगर पंचायतें (पुरानी)	286772	2871	283901
	(2) नगर पंचायतें (नव सृजित)	25000	0	25000
	योग	311772	2871	308901
	महायोग	2457619	24308	2433311

नोट:- आंकड़े पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित/ अवमुक्त की जा रही है-

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय-8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 206/ (वि.आ. नि.) xxvii(1)/ 2022, दिनांक 02.06.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण

Uploaded from eOffice by AAKASH CHANDRA ... Finance Department on ...

किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

3. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्या 26/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांक 03.04.2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।

4. संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा नियुक्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यों एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथा– कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पैक्टर वाहन क्रय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसे–जीप और स्टॉफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेंगे।

5. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की जाने वाली राशि प्राप्त होगी, जिसका की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व धारण हो रहा था।

6. आयोग द्वारा निकायों के परस्पर निर्धारित अंश के आधार पर यदि किसी निकाय को पूर्व में प्राप्त हो रहे अंतरण से कम अंतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किये गये अंतरण के बराबर धनराशि अंतरित की जायेगी।

7. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष ₹1.20 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹60 लाख रुपयों की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की है। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

8. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. राज्य के वास्तविक निज कर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि या कमी होने पर स्थानीय निकायों को अंतरित धनराशि की पुनर्गणना की जायेगी तद्नुसार ही अंतरित धनराशि का समायोजन किया जायेगा। वास्तविक निज कर राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े महालेखाकार से प्राप्त किये जायेंगे।

10. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 420/ एक/ 2008/2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATURI, RO-Finance Section 1-RO5, RO-FINANCE, Finance Department on 14/08/2023 10:31 AM

11. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जायेगी।

12. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगे।

13. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

14. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 111469/9 (100)/ 2019 /XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

16. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय की अनुदान संख्या:07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा–

(1) शहरी स्थानीय निकाय (निर्बाधित)–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित धनराशि (रु0में)
1-	नगर निगमों	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–01–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन–88–समनुदेशन।	982402
2-	नगर पालिका परिषदों	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–02–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन–88–समनुदेशन।	1163445
3-	नगर पंचायतों	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–03–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–88–समनुदेशन।	311772
योग			2457619

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Ahmed Iqbal
Date: 13-06-2023 11:47:31
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या: /99(1)/52526/FCD-IRFC/FFCG/9/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/ शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी—नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-ECA, RO-FINANCE, Finance Department on 14/06/2023 10:21 AM

संलग्नक–1

संख्या: 1/129562/32526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023
:: देहरादून :: दिनांक 27 जून, 2023

समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का निकायवार विवरण

(₹हजार में)

1—नगर निगम

जनपद का नाम	क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु देय संक्रमण	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती (1%)	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु निकायों को संक्रमित धनराशि	योग
(0)	(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(06)
देहरादून	1	देहरादून	372889	3729	369160	372889
	2	ऋषिकेश	50704	507	50197	50704
हरिद्वार	3	हरिद्वार	109876	1099	108777	109876
	4	रुड़की	89896	899	88997	89896
नैनीताल	5	हल्द्वानी	115283	1153	114130	115283
पौड़ी गढ़वाल	6	कोटद्वार	72346	723	71623	72346
ऊधमसिंह नगर	7	काशीपुर	81091	811	80280	81091
	8	रुद्रपुर	90317	903	89414	90317
योग (1) नगर निगम		योग	982402	9824	972578	982402

2—नगर पालिका परिषदें

जनपद का नाम	क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	(03)	(04)	(5)	(06)
अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	38466	385	38081	38466
	2	रानीखेत	13280	133	13147	13280
बागेश्वर	3	बागेश्वर	27408	274	27134	27408
चमोली	4	गोपेश्वर	26375	264	26111	26375
	5	जोशीमठ	29974	300	29674	29974
	6	गौचर	17706	177	17529	17706
	7	कर्णप्रयाग	16493	165	16328	16493
चम्पावत	8	चम्पावत	17486	175	17311	17486
	9	टनकपुर	19691	197	19494	19691
	10	लोहाघाट (उच्चीकृत)	9113	91	9022	9113
देहरादून	11	मसूरी	63916	639	63277	63916
	12	विकासनगर	24942	249	24693	24942
	13	डोईवाला	48177	482	47695	48177
	14	हरबर्टपुर	13672	137	13535	13672
हरिद्वार	15	मंगलौर	41429	414	41015	41429
	16	लक्सर	22638	226	22412	22638
	17	शिवालिक नगर	29092	291	28801	29092
नैनीताल	18	नैनीताल	46463	465	45998	46463
	19	रामनगर	46966	470	46496	46966
	20	भवाली	15266	153	15113	15266

I/129542/2023

पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	13751	139	13612	13751
	22	पौड़ी	34784	348	34436	34784
	23	श्रीनगर	33203	332	32871	33203
पिथौरागढ़	24	पिथौरागढ़	53161	532	52629	53161
	25	धारचूला	17388	174	17214	17388
	26	डीडीहाट	17388	174	17214	17388
रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	18787	188	18599	18787
टिहरी	28	नरेन्द्रनगर	13833	138	13695	13833
	29	टिहरी	30352	304	30048	30352
	30	मुनि की रेती ढालवाला	28880	289	28591	28880
	31	चम्बा	12080	121	11959	12080
	32	देवप्रयाग	17570	176	17394	17570
ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	26733	267	26466	26733
	34	गदरपुर	20937	209	20728	20937
	35	जसपुर	43694	437	43257	43694
	36	खटीमा	45881	459	45422	45881
	37	किच्छा	59754	598	59156	59754
	38	सितारगंज	28265	283	27982	28265
	39	महुआखेड़ागंज	13548	135	13413	13548
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	31395	314	31081	31395
	41	बड़कोट	16493	165	16328	16493
	42	चिन्यालीसौड़	16493	165	16328	16493
योग (2)			1160945	11613	1149332	1160945
3–नगर पालिका परिषद (नव सृजित)						
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500	2500
योग (3)			2500	0	2500	2500
योग नगर पालिका परिषदें			1163445	11613	1151832	1163445
4–नगर पंचायतें						
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	5701	57	5644	5701
	2	भिकियासैंण	4356	44	4312	4356
	3	चौखुटिया	4356	44	4312	4356
बागेश्वर	4	कपकोट	4070	41	4029	4070
चमोली	5	नन्दप्रयाग	6155	62	6093	6155
	6	पोखरी	6128	61	6067	6128
	7	थराली	3779	38	3741	3779
	8	पीपलकोटी	6532	65	6467	6532
	9	गैरसैंण	7432	74	7358	7432
	10	[illegible]	4414	44	4370	4414
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	14397	144	14253	14397
	12	लंढौरा	18014	180	17834	18014
	13	भगवानपुर	11348	113	11235	11348
	14	पिरान कलियर	12759	128	12631	12759

1/129542/2023

नैनीताल	15	कालाढूंगी	9389	94	9295	9389
	16	लालकुआं	9409	94	9315	9409
	17	भीमताल	19920	199	19721	19920
पौड़ी गढ़वाल	18	स्वर्गाश्रम	11102	111	10991	11102
	19	सतपुली	4755	48	4707	4755
पिथौरागढ़	20	गंगोलीहाट	6174	62	6112	6174
	21	बेरीनाग	6508	56	6452	6508
रुद्रप्रयाग	22	अगस्त्यमुनि	7055	71	6984	7055
	23	ऊखीमठ	6265	63	6202	6265
	24	तिलवाड़ा	4356	44	4312	4356
टिहरी	25	कीर्तिनगर	6319	63	6256	6319
	26	घनसाली	6354	64	6290	6354
	27	गजा	4139	41	4098	4139
	28	लम्बगांव	4356	44	4312	4356
	29	चमियाला	4366	44	4322	4366
ऊधम सिंह नगर	30	महुआडाबरा	7417	74	7343	7417
	31	सुल्तानपुर	7936	79	7857	7936
	32	केलाखेड़ा	8900	89	8811	8900
	33	दिनेशपुर	10018	100	9918	10018
	34	शक्तिगढ़	7273	73	7200	7273
	35	नानकमत्ता	6063	61	6002	6063
	36	गूलरभोज	4994	50	4944	4994
उत्तरकाशी	37	पुरोला	9569	96	9473	9569
	38	नौगांव	4629	46	4583	4629
योग (4)		योग	288772	2871	285901	288772
5—नगर पंचायतें (नव सृजित)						
हरिद्वार	39	सुल्तानपुर-आदमपुर	2500	0	2500	2500
	40	पाडली गुर्जर	2500	0	2500	2500
	41	ढंडेरा	2500	0	2500	2500
	42	रामपुर	2500	0	2500	2500
	43	इमलीखेड़ा	2500	0	2500	2500
टिहरी गढ़वाल	44	चौरास	2500	0	2500	2500
पौड़ी गढ़वाल	45	थलीसैंण	2500	0	2500	2500
बागेश्वर	46	गरुड़	2500	0	2500	2500
ऊधमसिंह नगर	47	लालपुर	2500	0	2500	2500
	48	सिरौलीकलां	0	0	0	0
देहरादून	49	सेलाकुई	2500	0	2500	2500
योग (5)			25000	0	25000	25000
योग नगर पंचायतें (4+5)			311772	2871	308901	311772
महायोग			2457619	24308	2433311	2457619

(रुपये दो सौ पैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 13-06-2023 11:48:10
(अहमद इकबाल)
अपर सचिव

IFMS

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

[illegible] -
[illegible]-307

[illegible] [illegible]-03672
[illegible]-27-JUN-2023

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Voted

3	4	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का योग	योग
53-[illegible]	311772000	311772000	311772000	623544000
योग	311772000	311772000	311772000	623544000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.31,17,72,000 (Rupees Thirty One Crores Seventeen Lacs Seventy Two Thousand Only)

Batch ID : 30.2011.2211.2300.0000
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

[illegible]

IFMS

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2077)

[illegible]

आवंटन आई डी-H23060070870

आवंटन पत्र दिनांक-27-JUN-2023

[illegible]

3	6	0	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	[illegible]	योग
20-[illegible]	982402000	982402000	982402000	1964804000
योग	982402000	982402000	982402000	1964804000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.98,24,02,000 (Rupees Ninety Eight Crores Twenty Four Lacs Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2306:0037

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

[illegible]

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-027

आवंटन आई डी-H2306007087[illegible]
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUN-2023

लेखा शीर्षक [illegible]

[illegible]

Voted

2	8	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का योग	योग
00-अनुदान	1163445000	1163445000	1163445000	2326890000
योग	1163445000	1163445000	1163445000	2326890000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,16,34,45,000 (Rupees One Hundred Sixteen Crores Thirty Four Lacs Forty Five Thousand Only)

Batch ID : DIR/2211/2211:2306:0008

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून)

संख्या-   /IV(2)-श0वि0-2023

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक   जून, 2023

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती-ढालवाला, टिहरी गढ़वाल को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती के पत्र संख्या 255/अवशेष धनराशि अवमुक्त सम्बध./2023-2 दिनांक 13.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती हेतु शासनादेश संख्या 109751/IV(2)-श0वि0- 2023 दिनांक 25.03.2023 के द्वारा स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में **कुल रू0 97.69 लाख (रू0 सत्तानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क.स.	कार्य का विवरण	अनुमोदित लागत	अनुबन्ध की लागत	स्वीकृत प्रथम किश्त में	अनुबन्धानुसार द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	वार्ड संख्या-2 के अन्तर्गत होटल वसुंधरा पैलेस के समीप सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	29.06	28.48	14.53	13.95
2	वार्ड संख्या-1 के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के समीप सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	94.73	83.37	30.00	53.37
3	वार्ड संख्या-2 के अन्तर्गत गंगा रिजॉर्ट के समीप सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	58.68	58.09	27.72	30.37
	कुल	**182.47**	**169.94**	**72.25**	**97.69**

I. उक्त धनराशि **कुल रू0 97.69 लाख (रू0 सत्तानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या 109751/IV(2)-श0वि0- 2023 दिनांक 25.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. **धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का**

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 05/07/2

I/135060/2023

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022—23 के आय—व्ययक के अनुदान सं.—13 के लेखाशीर्षक—4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—051—निर्माण—04—नगरों का समेकित विकास—0401—मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—53— वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक—</u> आलॉटमेन्ट आई डी–S..............................

भवदीय,

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

<u>सं0— /IV(2)-श0वि0—2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती—टिहरी।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 06.07.2023 16:01:37
(प्रदीप ...)
उप सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 05/07/2

IFMS Uttarakhand

Print Date:-05/Jul/2023 04:57 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr [illegible] Chandra Joshi
Reason: SEC E-Appr[illegible]
Location: Cyber Trea[illegible]
Date and Time: 05-0[illegible] 16:57:52

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23070130003

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 05-JUL-2023

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	04	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नागरिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	0	9769000	0	9769000
	योग	0	9769000	0	9769000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 97,69,000 (Rupees Ninety Seven Lacs Sixty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2307:0001

Approval Status : e-Sign letter

संख्या: 121750 /IV(2)–शoविo–2021–74(साo) 14टीoसीo IV

प्रेषक,
नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

17/5/23

SE(UD)

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 15 मई, 2023

विषयः 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत CITIIS Program के संचालन हेतु केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 108320 /IV(2)–शoविo–22–74(साo)/14टीoसीo, दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या: K-14011/13/2018(CITIIS), दिनांक 12.04.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत CITIIS Program के संचालन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि ₹18.56 करोड़ के सापेक्ष रू0 11.64 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2 – उपरोक्त के क्रम में वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के पत्र संख्या: 25/C-8/DSCL/Account/2022-23, दिनांक 12.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारापत्र संख्या K-14011/13/2018(CITIIS), दिनांक 12.04.2023 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि ₹18.56 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹6.92 करोड़ (रूपये छः करोड़ बयानबे लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि रू0 6.92 करोड़ आपके द्वारा आहरित कर स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी०एफ०एम०एस० प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(8) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(9) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART)तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

(10) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी

(12) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(13) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-'4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023

विकास–051–निर्माण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–सी०आई०टी०आई०आई०एस० परियोजना (40%के०पो०)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1:1469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। एलॉटमेन्ट आई० डी०– S230570130008.

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 12-05-2023 22:59:02
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 15-05-2023 10:18:27
(अनिल कला)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 3-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 15/05/2023 10:

Print Date - 15/May/2023 04:41 PM

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 15-05-2023 16:42:06

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
आवंटन आई डी - S23050130006

अनुदान संख्या - 013
आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2023

लेखा शीर्षक -

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051 निर्माण
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
07 CITIIS परियोजना

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	1	0	7

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	69200000	0	69200000
	योग	0	69200000	0	69200000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 6,92,00,000 (Rupees Six Crores Ninety Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0004

Approval Status : e-Sign letter

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ला ,
उप सचिव ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   अगस्त, 2023

विषय: अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, बाजपुर को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बाजपुर के पत्रांक 365/अ0नि0/2023–24 दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, बाजपुर को वित्तीय वर्ष 2022–23 में अवस्थापना विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 110474/IV(2)–श0वि0–2022 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु संस्तुत लागत रू0 44.21 लाख के सापेक्ष रू0 17.684 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यों की अवशेष धनराशि रू0 26.526 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, बाजपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित योजनाओं की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 26.526 लाख (रू0 छब्बीस लाख बावन हजार छः सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि लाख में)

क.स.	कार्य का विवरण	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में स्वीकृत	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	राजीव नगर वार्ड नं0 13 में भारत हार्डवेयर स्टोर से पना देवी के मकान तक टाईल्स रोड तथा नाली निर्माण कार्य।	19.96	7.984	11.976
2	संजय नगर वार्ड नं0 07 में कैलाश वार्ड के बराबर से संजय गोस्वामी के मकान तक तथा राहुल कश्यप के मकान तक एवं उग्रसैन के मकान से रजनीश के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	19.50	7.80	11.70
3	संजय नगर वार्ड नं0 07 में सुखजीत पटवारी के मकान से जयदीप सोनी मकान तक टाईल्स रोड तथा नाली निर्माण कार्य।	4.75	1.90	2.85
	कुल	**44.21**	**17.684**	**26.526**

1. उक्त धनराशि कुल **रू0 26.526 लाख (रू0 छब्बीस लाख बावन हजार छः सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, बाजपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक

के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना पर व्यय टी0ए0सी0/विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित लागत एवं विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. इस सम्बन्ध में मूल शासनादेश शासनादेश संख्या 110474/IV(2)-श0वि0-2022 दिनांक 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. **धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक के **अनुदान सं—13** के लेखाशीर्षक—4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—051—निर्माण—04—नगरों का समेकित विकास—0401—मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—53— वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक—</u> अलॉटमेन्ट आई डी—S..............................

भवदीय,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 10-08-2023 17:20:03
(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

<u>सं0— /IV(2)-श0वि0—2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाजपुर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 10-08-2023 17:30:00
(अनिल काला)
अनु सचिव।

Print Date :-11/Aug/2023 11:08 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-08-2023 11:08:56

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23080130018

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-AUG-2023

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	04	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहत निर्माण	11707000	2652600	0	14359600
	योग	11707000	2652600	0	14359600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 26,52,600 (Rupees Twenty Six Lacs Fifty Two Thousand Six Hundred Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2308:0007

Approval Status : e-Sign letter

संख्या: 120159/IV(2)–शविवि–2023–03(PMAY) 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 07 मई, 2023

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के अन्तर्गत अनुमोदित 10 AHP Projects हेतु केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 110493/IV(2)–शविवि–2023, दिनांक 27.03.2023 एवं शासनादेश संख्या: 111676/IV(2)–शविवि–2023–03(PMAY)19, दिनांक 31.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास घटक (AHP) हेतु भारत सरकार की 42, 55, 56 एवं 57वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 10 परियोजनाओं हेतु गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार के पत्र संख्या: 11012/51/2022-HFA-V-UD(FTS-9135666), दिनांक 08.03.2023 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की धनराशि ₹5188.80 लाख के सापेक्ष कुल ₹5007.7194 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2 – उपरोक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या: 137.020/सूडा/एस0एफ0ए0, दिनांक 13.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या: 11012/51/2022-HFA-V-UD(FTS-9135666), दिनांक 08.03.2023 द्वारा उपयुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि ₹5188.80 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹181.0806 लाख** (रूपये एक करोड़ इक्यासी लाख आठ हजार साठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि **₹181.0806 लाख** आपके द्वारा आहरित कर बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के

Generated from eOffice by AJIT SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 09/05/2023 11

12/05/23

द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0106-प्रधानमंत्री आवास योजना (60% के0पो0)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त। आई0डी0- 823050130002

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 07-05-2023 19:38:22

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3- सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 08-05-2023 14:24:50

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 09/05/2023 11

Print Date: 09/May/2023 02:26 PM

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhawan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 09-05-2023 14:26:38

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23050130002

आवंटन पत्र दिनांक - 09-MAY-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

06 प्रधानमंत्री आवास योजना (80:20) (2217038000108 से स्थानांतरित)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	18108060	0	18108060
	योग	0	18108060	0	18108060

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,81,08,060 (Rupees One Crore Eighty One Lacs Eight Thousand Sixty Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2305:0001

Approval Status : e-Sign letter

I/141909/2023

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2023–03(PMAY) 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– जुलाई, 2023

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक Beneficiary Led Construction (BLC)के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 63 एवं 64 वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः I/14447/2023, दिनांक 22.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division), भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Beneficiary Led Construction (BLC)घटक के अन्तर्गत 47 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की धनराशि रू0 3292.80 लाख एवं तद्नुसार देय राज्यांश की धनराशि रू0 1097.60 लाख, इस प्रकार **कुल ₹4390.40 लाख (रूपये तेतालीस करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.सं.	सी0एस0 एम0सी0	परियोजना	कुल लाभार्थी	केन्द्रांश (प्रथम किश्त)				कुल राज्यांश (प्रथम किश्त)	कुल स्वीकृत धनराशि (8+9)
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जन जाति	कुल (5+6+7)		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
1.	63	22 BLC (NC)	2396	1103.40	330.00	4.20	1437.60	479.20	1916.80
2.	64	23 BLC (NC)	3092	1522.20	323.40	9.60	1855.20	618.40	2473.60
Total-		**47**	**5488**	**2625.60**	**653.40**	**13.80**	**3292.80**	**1097.60**	**4390.40**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/07/2023 12:

I/141909/2023

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नही होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पो0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 2625.60 लाख**, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश –9506–प्रधानमंत्री आवास योजना (20% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 875.20 लाख**, अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 653.40 लाख**, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9503–प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 217.80 लाख**, अनुदान सं0–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 13.80 लाख**, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश –9501–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0**

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-AGR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/07/2023 12:

I/141909/2023

4.60 लाख डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय
Signed by Navneet Pande
Date: 28-07-2023 19:16:39
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल/टिहरी गढ़वाल/चमोली/ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार/रूद्रप्रयाग।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव ।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/07/2023 12:

UD2-1/B/3/2023-IV-2-Urban Development Department

I/148947/2023

संख्याः /IV(2)–श०वि०–2023–03(PMAY) 19

प्रेषक,

आर०के० सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– अगस्त, 2023

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' में क्षमता अभिवृद्धि प्लान के अन्तर्गत Administrative & Other Expenses (A&OE)हेतु प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनसादेश संख्याः 144155/IV(2)–श०वि०–2023–03(PMAY)19, दिनांक 05.08.2023 एवं आपके पत्र संख्याः 1642/734/एच०एफ०ए०/सी०बी०/2018–19, दिनांक 18.08.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के पत्र संख्याः N-11015/10/2018-HFA-V-UD (FTS-9049363), दिनांक 19.07.2023 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में क्षमता अभिवृद्धि प्लान के अन्तर्गत A&OE हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि **कुल ₹35.72 लाख** के सापेक्ष देय 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि **रू0 3,96,889/– (रूपये तीन लाख छियानवे हजार आठ सौ उनब्बे मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस०एन०ए० खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी०एफ०एम०एस० प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों,

शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के <u>अनुदान सं0–30</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–96–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9503–प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu

Date: 23-08-2023 18:19:37

(आर0के0 सुधांशु)

प्रमुख सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।

2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।

3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।

8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla

Date: 24-08-2023 16:28:54

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-24/Aug/2023 05:42 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 24-08-2023 17:43:01

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 030

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080300032

आवंटन पत्र दिनांक - 24-AUG-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश
03	प्रधान मंत्री आवास योजना (10%)		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	5	0	3	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	21780000	396889	0	22176889
	योग	21780000	396889	0	22176889

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 3,96,889 (Rupees Three Lacs Ninety Six Thousand Eight Hundred Eighty Nine Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0009

Approval Status : e-Sign letter

I/144155/2023

संख्या: /IV(2)–श0वि0–2023–03(PMAY) 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– अगस्त, 2023

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' में क्षमता अभिवृद्धि प्लान के अन्तर्गत **Administrative & Other Expenses (A&OE) हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः I/14449/2023, दिनांक 22.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division), भारत सरकार द्वारा के पत्र संख्याः N-11015/10/2018-HFA-V-UD (FTS-9049363), दिनांक 19.07.2023 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में क्षमता अभिवृद्धि प्लान के अन्तर्गत A&OE हेतु निम्नवत् स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि **कुल ₹35.72 लाख (रूपये पैंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को प्रान्गत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	F.Y.	Items	Admissible Central Assistance	Total Expenditure incurred/proposed by the State	Find already released as 1st instalment of Central Assistance	Funding being released in this sanction
i.	2018-19	2nd/final instalment of C.A.	35.00	9.72	8.75	0.97
ii.	2019-20	final instalment of C.A.	35.00	13.52	-	13.52
iii.	2020-21	final instalment of C.A.	35.00	3.44	-	3.44
iv.	2021-22	final instalment of C.A.	35.00	9.04	-	9.04
v.	2022-23	1st instalment of C.A. (50%)	35.00	17.50	-	8.75
Total-			**175.00**	**53.22**	**8.75**	**35.72**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2023 12

I/144155/2023

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्येत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्येत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के <u>अनुदान सं0–30</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,
Signed by Navneet Pande
Date: 05-08-2023 15:20:55
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।

2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2023 12:

I/144155/2023

3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।

8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 07-08-2023 10:58:38

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/08/2023 12:

Print Date: 07/Aug/2023 12:26 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 07-08-2023 12:26:25

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 030

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080300010

आवंटन पत्र दिनांक - 07-AUG-2023

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
03	प्रधान मंत्री आवास योजना (2217038000107 से स्थानांतरित)		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	1	0	3

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	65340000	3572000	0	68912000
	योग	65340000	3572000	0	68912000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 35,72,000 (Rupees Thirty Five Lacs Seventy Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0004

Approval Status : e-Sign letter

संख्या : 143198 / IV(2)–श०वि०–2023–02(एडीबी) / 19

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 03 अगस्त,2023

विषय:– बाह्य सहायतित परियोजना यू०यू०एस०डी०आई०पी० के अन्तर्गत प्रचलित पुराने ADB लोन के अन्तर्गत देहरादून एवं रूड़की में अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदित योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, यू०यू०एस०डी०ए० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–यू.यू.एस.डी.ए./20–21/एफ०एम०–31/695 दिनांक 16.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०डी०बी० पुराने लोन के अन्तर्गत देहरादून व रूड़की के अपूर्ण/अर्द्धनिर्मित कार्यों को राज्य सैक्टर से पूर्ण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–93/IV(2)–श०वि०–2019–02(एडीबी)/19 दिनांक 27 जनवरी, 2020 के द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि रू0 41.74 (रू0 इकतालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत			अवमुक्त की गयी धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
		अधिप्राप्ति लागत	निर्माण लागत	कुल लागत		
1.	Procurement of works for supplying laying, testing and Commissioning of Sewer House Connection of under package WWM01RK, & WWM03RK & WWM04RK including O&M of Sewer network for 5 years at Roorkee town.	459.60	1324.85	1784.45	1700.00	**38.26**
2.	Procurement of works for supplying laying, testing and Commissioning of balance House Sewer Connection of under package WWM05D &	61.05	226.57	287.62	250.00	**3.48**

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-2, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 01/08/2023 12:21 PM

	WWM06D at Kargi Zone, Dehradun					
				2072.07	1950.00	41.74

i. उक्त धनराशि रु0 41.74 (रु0 इकतालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेन्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विधानान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत हैं।

iii. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

iv. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

v. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-93/IV(2)-श0वि0-2019-02(एडीबी)/19 दिनांक 27 जनवरी, 2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-03-2023 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3 - उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का एकीकृत विकास-051-निर्माण-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-9701-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (एडीबी)-53 वृहद निर्माण" के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेन्ट आईडी-528081 30009।

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 03-08-2023 06:53:50

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-(K, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03/08/2023 [illegible] PM

143198/2023

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

i. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
ii. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
iii. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
iv. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून।
v. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
vi. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
vii. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
viii. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
ix. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
(प्रदीप कुमार शुक्ला) 11:59:08
उप सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 01/09/2023 12:11 PM

IFMS

Print Date - 03/Aug/2023 12:57 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhaskar Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 03-08-2023 12:58:33

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080130009

आवंटन पत्र दिनांक - 03-AUG-2023

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 [illegible] का सुदृढ़ीकरण ([illegible])
(4217031919701 [illegible])

03 छोटे तथा म. एवं श्रेणी के कस्बों का समेकित विकास

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहत निर्माण	0	4174000	0	4174000
	योग	0	4174000	0	4174000

Total Current Allotment To HOD in Above Schemes - Rs. 41,74,000 (Rupees Forty One Lacs Seventy Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0001

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– 143209/IV(2)–श0वि0–2023–33(मु0घो0)/22

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आवक प्राप्त
दिनांक 4/8/2023
प्रा0 ...
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 अगस्त, 2023

AAO

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 310/2022 "कर्णप्रयाग में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जायेगा" की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग का पत्रांक 132, दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 310/2022 के अनुपालन में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु **रू0 36.75 लाख (रू0 छत्तीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में इतनी ही धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि **रू0 36.75 लाख (रू0 छत्तीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना में सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य की सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD(JK), REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03/08/2023 [illegible]

/143200/2023

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03 नगरों का समेकित विकास-0318 नगरपालिकाओं में पार्क/ओपन जिम की स्थापना -56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक 141711/2023दिनांक 28.07.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S 2308013001 1........

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 03-08-2023 07:24:52

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 03-08-2023 12:04:26

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-2K, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03-08-2023 12:22 PM

IFMS
Uttarakhand

Print Date: 03/Aug/2023 12:53 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 03-08-2023 12:54:20

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080130011

आवंटन पत्र दिनांक - 03-AUG-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता

03 नगरों का समेकित विकास

18 नगरपालिकाओं के पार्षदों को भत्ता

2	2	1	7	0	3	1	9	1	0	3	1	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	20-सहायक अनुदान (वेतन व गैर वेतन)	0	3675000	0	3675000
	योग	0	3675000	0	3675000

Total Current Allotment To HOD in Above Schemes : Rs. 36,75,000 (Rupees Thirty Six Lacs Seventy Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0003

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– 143199 /IV(2)–श0वि0–2023–14(सा0)20

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 अगस्त, 2023

विषय: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, दिनेशपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–07 में हरि मन्दिर के सामने सुन्दरपुर पुलिया तक डामरीकरण कार्य के स्थान पर हॉटमिक्स से कार्य कराये जाने सम्बन्धी पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:– 5353, दिनांक 03.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या–272 / IV(2)–श0वि0– 2021–14 (सा0)20 दिनांक 12 फरवरी, 2021 के द्वारा नगर पंचायत, दिनेशपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–07 में हरि मन्दिर के सामने सुन्दरपुर पुलिया तक डामरीकरण कार्य हेतु रू0 20.41 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। परन्तु क्षेत्रवासियों द्वारा उक्त कार्य को डामरीकरण के स्थान पर हॉटमिक्स से सम्पादित कराये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त कार्य को हॉटमिक्स से सम्पादित कराये जाने हेतु रू0 39.79 लाख का पुनरीक्षित आगणन शासन में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, दिनेशपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–07 में हरि मन्दिर मन्दिर के सामने सुन्दरपुर पुलिया तक डामरीकरण कार्य के स्थान पर हॉटमिक्स से कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0 39.79 लाख (मूल लागत रू0 20.41 लाख + अतिरिक्त लागत रू0 19.38 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 20.41 लाख की धनराशि को हटाते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य हेतु रू0 19.38 लाख (रू0 उन्नीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि रू0 19.38 लाख (रू0 उन्नीस लाख अड़तीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, दिनेशपुर को बैंक ड्राफ्ट / चैक /

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03/08/2023 12:22 PM

इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या–272/IV(2)–श0वि0–2021–14 (सा0)20 दिनांक 12 फरवरी, 2021 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं.– 13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03/08/2023 12:22 PM

मध्यम श्रेणी के नगरो का समेकित विकास-051-निर्माण- 04-नगरो का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित कमांक-141165/2023 दिनांक 26.07.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेन्ट आई डी-S23080130010........,

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 03-08-2023 07:18:49
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

सं0- /IV(2)-शoवि0-2023, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दिनेशपुर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 03-08-2023 12:03:10
(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Generated from eOffice By JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 03/08/2023 11:42 PM

Print Date:-03/Aug/2023 12:56 PM

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 03-08-2023 12:56:24

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080130010

आवंटन पत्र दिनांक - 03-AUG-2023

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 मलिन बस्ती विकास / नागरिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

04 नगरों का समेकित विकास

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	9769000	1938000	0	11707000
	योग	9769000	1938000	0	11707000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 19,38,000 (Rupees Nineteen Lacs Thirty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0002

Approval Status : e-Sign letter

I/144307/2023

संख्या–   /IV(3)/2023–1 (3 न0नि0) 21

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः अगस्त, 2023

विषय– नगर पंचायत, पोखरी क्षेत्रान्तर्गत आधुनिक शौचालय निर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–I/12715/2023, दिनांक 06 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पंचायत, पोखरी में आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराया गया है कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पोखरी के पत्र संख्या–251/उ0प्र0प0/हा0शौ0/2023–24, दिनांक 01.06.2023 के द्वारा नगर पंचायत, पोखरी क्षेत्रान्तर्गत आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1759/IV(3)/2021–1 (5 न0नि0) 21, दिनांक 02.12.2021 के द्वारा कुल औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 11.24 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत रू0 4.496 लाख का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पोखरी में आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 6.744 लाख (रू0 छः लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 6.744 लाख (रू0 छः लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत संबंधित नगर निकाय को आधुनिक शौचालय के निर्माण हेतु तत्काल ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उक्त कार्य की उपादेयता का अपने स्तर से परीक्षण कर लेंगे।

(iii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) निर्माण कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3– विषयगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या–1759/IV(3)/2021–1 (5 न0नि0) 21, दिनांक 02.12.2021 की शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

4— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—13 के लेखाशीर्षक "4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—051—निर्माण—04—नगरों का समेकित विकास—0408—हाईटेक शौचालयों का निर्माण 53—वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

5— उक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—I/111469/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत की जा रही है।

6— एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या— दिनांक अगस्त, 2023 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

<u>संख्या— (1)/IV(3)/2023—1 (3 न0नि0) 21, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पोखरी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्मित शौचालय के संचालन एवं रख अखाव की समुचित व्यवस्था हो।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kala
Date: 07-08-2023 14:23:34
(अनिल काला)
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-07/Aug/2023 06:16 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Sug... Kumar Rai
Reason :SEC E-A...
Location: Cyber T...
Date and Time: 07-0...3 16:17:22

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S23080130014

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 07-AUG-2023

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	04	नगरों का समेकित विकास
08	हाई टैक शौचालयों का निर्माण (4217031910303 से स्थानांतरित)		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	3234200	674400	0	3908600
	योग	3234200	674400	0	3908600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 6,74,400 (Rupees Six Lacs Seventy Four Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2308:0005

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

UD2-6/A/58/2022-IV-2-Urban Development Department

/151040/2023

संख्या- 151040 /IV(2)-श०वि०-2023-31(मु०घो०)/2019

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 01 सितम्बर, ~~अगस्त~~ 2023

विषय: नगर पंचायत, बनबसा, क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या मं0-541/2019 "नगर पंचायत बनबसा क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र में एन0एच0 हाईवे के दोनों ओर फुटपाथ और इण्टर लॉकिंग टाईल्स का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा के पत्रांक 1193, दिनांक 19.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, बनबसा क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 541/2019 "नगर पंचायत बनबसा क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र में एन0एच0 हाईवे के दोनों ओर फुटपाथ और इण्टर लॉकिंग टाईल्स का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-21/xxxv-4/2020-31(मु0मं0घो0)/2019 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 02 योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू0 20.73300/- (रू0 बीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय /अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	नगर पंचायत बनबसा के क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र में एन0एच0 हाईवे के बायें पार्श्व में इण्टर लॉकिंग टाईल लगाने का कार्य।	35.44	20.00	6.52501
2	नगर पंचायत बनबसा के क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र में एन0एच0 हाईवे के दायें पार्श्व इण्टर लॉकिंग टाईल लगाने का कार्य।	35.44	20.00	14.20799
	कुल योग:-	**70.88**	**40.00**	**20.73300**

I. उक्त धनराशि रू0 20.73300/- (रू0 बीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, बनबसा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

II. उक्त योजनाओं की स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-21/xxxv-4/2020-31(मु0मं0घो0)/2019 दिनांक 27.08.2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

III. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है

अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

IV. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे

V. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेगी।

VI. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक केअनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास –53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S23090130001..........,

भवदीय,

Signed by Pradeep Kumar Shukla

Date: 01-08-2023 13:41:58

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

सं0–151040/IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, वनबसा।
10. गार्ड बुक।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

IFMS
Uttarakhand

Print Date :01/Sep/2023 04:08 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 01-09-2023 16:07:07

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23090130001

आवंटन पत्र दिनांक - 01-SEP-2023

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 नगर क्षेत्र की विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से × स्थानांतरित)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

04 नगरों का समेकित विकास

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	30986700	2073300	0	33060000
	योग	30986700	2073300	0	33060000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 20,73,300 (Rupees Twenty Lacs Seventy Three Thousand Three Hundred Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2309:0001

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– 146297 IV(2)–2023/02(ADB)/12

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 07, अगस्त, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में वाह्य सहायतित परियोजना **Additional Financing & Haldwani Towns** के अन्तर्गत परियोजना की आवश्यक तैयारियों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांकः–यू.यू.एस.डी.ए./हल्द्वानी ऋण/एफ0एन0ए0–17/694 दिनांक 16.06.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा कियान्वित वाह्य सहायतित परियोजना Additional Financing & Haldwani Towns के अन्तर्गत परियोजना की आवश्यक तैयारियां यथा, डी0एस0सी0/डी0पी0आर0/सर्वे एवं अधिष्ठान व्यय इत्यादि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 374.00 लाख (तीन करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) उक्त धनराशि रू0 374.00 लाख (तीन करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है, तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(iii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशो का अनुपालन किया जाएगा।

(iv) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नही किया जाएगा।

(v) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–391/09(150) 2019/XXVII (1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2024 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान

संख्या–13 के लेखाशीर्षक ले0शी0–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9704–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (हल्द्वानी)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या.–11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– अलॉटमेन्ट आईडी:–1S2308013006.

भवदीय,

Signed by Navneet Pande
Date: 07-08-2023 13:14:59

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 07-08-2023 13:17:29

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-08/Aug/2023 11:57 AM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhawan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-08-2023 11:57:20

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23080130016

आवंटन पत्र दिनांक - 08-AUG-2023

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता

97 वाह्य सहायतित योजना

04 शहरीय जल धारणा का सुदृढ़ीकरण (हर ड्रॉप)

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	0	37400000	0	37400000
	योग	0	37400000	0	37400000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 3,74,00,000 (Rupees Three Crores Seventy Four Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2308:0006

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– 155723/IV(2)-श०वि०-2023

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 20, सितम्बर, 2023

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, केलाखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, केलाखेड़ा के पत्रांक–349, दिनांक 22.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, केलाखेड़ा हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासनादेश संख्या–110474/2023 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 06 कार्यों/योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू० 19.884 (रू० उन्नीस लाख अठ्ठासी हजार चार सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
	नगर पंचायत, केलाखेड़ा			
1	पुलिस थाना वार्ड न0–01 में नहर रोड से देवीयों के मन्दिर तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	11.91	4.764	7.146
2	पुलिस थाना वार्ड न0–01 में निरोज खाँ के मकान से डा0 सुशील के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	3.38	1.352	2.028
3	पुलिस थाना वार्ड न0–01 में सी0सी0 रोड से अल्तमश के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	4.32	1.728	2.592
4	गांधीनगर वार्ड नं0 02 में टाईल्स रोड से अमीर अहमद के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.08	2.032	3.048
5	कादरी मस्जिद वार्ड न0–05 में टाईल्स रोड से शाकुल नबी के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	4.68	1.872	2.808
6	रत्नामडैया वार्ड न0–08 में रफी सैफी के मकान से सुलमान के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली पुनः निर्माण कार्य।	3.77	1.508	2.262
	योग:–	**33.14**	**13.256**	**19.884**

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 21/09/2023 04:09 PM

I. उक्त धनराशि रू0 19.884 (रू0 उन्नीस लाख अठासी हजार चार सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, केलाखेड़ा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना विषयक शासनादेश संख्या–110474/2023 दिनांक 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे

V. **धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक केअनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक:–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S 230901300223......,

भवदीय,
Signed by Nitin Singh Bhadauria
(नितिन सिंह भदौरिया)
Date: 20-09-2023 13:14:39
अपर सचिव।

<u>सं0– 155723/IV(2)–श0वि0–2023, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कैलाखेड़ा।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 21/09/2023 04:09 PM

155723/2023

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 20-09-2023 17:21:43
उप सचिव।

File No. UD2-1/[illegible]

IFMS
Uttarakhand

Print Date: 21/Sep/2023 04:25 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 21-09-2023 16:25:26

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23090130023

आवंटन पत्र दिनांक - 21-SEP-2023

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

04 नगरों का समेकित विकास

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	34807200	1988400	0	36795600
	योग	34807200	1988400	0	36795600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 19,88,400 (Rupees Nineteen Lacs Eighty Eight Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2309:0004

Approval Status : e-Sign letter

/153702/2023

संख्या– 153702/IV(2)–श0वि0–2023–281(मु0घो0)2021

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विषय: नगर पालिका परिषद, खटीमा क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1416/2021 "राष्ट्रीय राजमार्ग खटीमा (पीलीभीत रोड) से रमेश जोशी (रानू) के आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जायेगा" की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 24, दिनांक 03.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, खटीमा क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1416/2021 "राष्ट्रीय राजमार्ग खटीमा (पीलीभीत रोड) से रमेश जोशी (रानू) के आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन/पूर्ति किये जाने हेतु निकाय द्वारा गठित आगणनों की जनपद स्तरीय समिति द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी कुल लागत रू0 24.96 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 70 प्रतिशत धनराशि रू0 17.472 लाख (रू0 सत्रह लाख सैंतालीस हजार दो सौ मात्र)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना के दिशा–निर्देश 2010 के अनुसार कार्यों की औचित्यपूर्ण कुल लागत की 30 प्रतिशत धनराशि का वहन सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनो से किया जायेगा।

II. उक्त धनराशि रू0 17.472 लाख (रू0 सत्रह लाख सैंतालीस हजार दो सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, खटीमा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

III. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 11/09

153702/2023

अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेगी।

XIV. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक 152670 दिनांक 08.09.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S 23090130014........

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 13-09-2023 13:41:52
(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

सं0 153702/IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCL, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 13-09

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 13-09-2023 14:53:25
(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 11/09

संख्या : 155644 / IV(2)–श0वि0–2023–01(ADB) / 18

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 20 सितम्बर,2023

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण **Loan No-4148 Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Project** के सिविल कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांकः–यू.यू.एस.डी.आई.ए. / एन0एन0ए0 / 05 / 886 दिनांक 22.07.2023 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित Loan No-4148 Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Projectके अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सिविल कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 19.58 करोड़ (रू0 उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि रू0 19.58 करोड़ (रू0 उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों / कार्यों हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध / परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है, तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।
iii. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
iv. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
v. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
vi. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
vii. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 20/09/2023 12:16 PM

I/155644/2023

निर्माण ईकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

viii. धनराशि के व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2024 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3 – उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9701–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (ए0डी0बी0)–53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– अलॉटमेन्ट आईडी–S.2309013 0022..........।

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 20.09.2023 11:30:15
(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
7. कार्यकम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 20/09/2023 12:16 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -155644/2023
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S23090130022
आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2023

लेखा शीर्षक	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 051-निर्माण 01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (ए0डी0बी0) (4217031919701 से स्थानांतरित)	03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	4174000	195800000	0	199974000
योग	4174000	195800000	0	199974000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.19,58,00,000 (Rupees Nineteen Crores Fifty Eight Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

संख्याः   /IV(2)–श0वि0–2023–74(सा0) 14टी0सी0 III

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक–   सितम्बर, 2023

विषयः देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 हेतु परियोजना व्यय हेतु केन्द्रांश (चतुर्थ किस्त) एवं तदनुसार देय राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 325 / B-2(3)/लेखा/DSCL/2023-24, दिनांक 25.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः K-15016/155(1)/2015-SC-I, दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के परियोजना व्ययों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹22.625 करोड़ तथा उक्त के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश की धनराशि ₹22.625 करोड़, इस प्रकार **कुल ₹45.25 करोड़ (रूपये पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 45.25 करोड़ को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन प्रक्रियानुसार स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून के नाम खुले एस0एन0ए0 खाते में व्यय हेतु अन्तरित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों,

शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–'4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–स्मार्ट सिटी योजना (50% के0पो0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 22.625 करोड़** तथा लेखाशीर्षक–'4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–05–स्मार्ट सिटी योजना (50% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 22.625 करोड़** डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 10-10-2023 11:14:37

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
8– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Anil Kala
Date: 10-10-2023 14:05:15

(अनिल काला)
अनु सचिव।

संख्याः /IV(2)–शाविo–2021–74(सा0) 14टी0सी0 III

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– सितम्बर, 2023

विषय: देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 हेतु प्रशासनिक व्यय (A&OE) हेतु केन्द्रांश (चतुर्थ किश्त) एवं तदनुसार देय राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 325 /B-2(3)/लेखा/DSCL/2023-24, दिनांक 25.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः K-15016/155(1)/2015-SC-I, दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन, देहरादून' के प्रशासनिक व्ययों (A&OE funds) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹1.25 करोड़ तथा उक्त के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश की धनराशि ₹1.25 करोड़, इस प्रकार **कुल ₹2.50 करोड़ (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹2.50 करोड़ को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन प्रक्रियानुसार स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून के नाम खुले एस0एन0ए0 खाते में व्यय हेतु अन्तरित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–10–स्मार्ट सिटी योजना (50% के0पो0) के अन्तर्गत मानक मद 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे रू0 1.25 करोड़ तथा लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–10–स्मार्ट सिटी योजना (50% राज्यांश) के अन्तर्गत मानक मद 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे रू0 1.25 करोड़ डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 (02 आई0डी0) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 10-10-2023 11:16:37

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
8– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Anil Kala
Date: 10-10-2023 14:06:23

(अनिल काला)
अनु सचिव।

संख्या :   /IV(2)–श0वि0–2023–01(ADB)/18

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक :   **अक्टूबर, 2023**

विषय–वित्तीय वर्ष 2023–24 मे वाह्य सहायति परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148 Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Project के सिविल कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक–यू0यू0एस0डी0ए0/एफ0एन्ड0ए0/05/1167 दिनांक 05.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित Loan No-4148 Uttrakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Projectके अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सिविल कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू0 50.00 करोड़ (रू0 पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **रू0 50.00 करोड़ (रू0 पचास करोड़ मात्र)**आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है, तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

iii. वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृता के सम्बन्ध में वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–86 /xxvII(7)36/2010-11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

iv. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंसोधित) तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

v. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर

किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

vi. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण ईकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

ix. धनराशि के व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

x. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-03-2024 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3 - उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के **ले0शी0-4217**-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-97 -वाह्य सहायतित परियोजनाएं-9701-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0)-53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- अलॉटमेन्ट आईडी:-1..।

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 25-10-2023 15:31:23

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव.

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

I/164265/2023

8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 25-10-2023 17:34:59
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या-   /IV(2)-श0वि0-2023

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2   देहरादून : दिनांक   सितम्बर, 2023

विषयः नगर पंचायत, दिनेशपुर के वार्ड न0 03 में श्री रविन्द्र नाथ टैगोर पार्क का सौन्दर्यीकरणकार्य की हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, दिनेशपुर के पत्रांक 700, दिनांक 06.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, दिनेशपुर के वार्ड न0 03 में श्री रविन्द्र नाथ टैगोर पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 111434/2023 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा स्वीकृत लागत रू0 64.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 19.238 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू0 44.884 (रू0 चौवालीस लाख अठ्ठासी हजार चार सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

I. उक्त धनराशि रू0 44.884 (रू0 चौवालीस लाख अठ्ठासी हजार चार सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, दिनेशपुर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. नगर पंचायत, दिनेशपुर के वार्ड न0 03 में श्री रविन्द्र नाथ टैगोर पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्यपूर्ण होने पर कार्य का लो0नि0वि0 अथवा निर्माण कार्यों से सम्बद्ध राजकीय विभाग/कार्यदायी संस्थाओं से तृतीय पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

III. तृतीय पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन का कार्य नगर पंचायत, दिनेशपुर द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा तथा गुणवत्ता मूल्यांकन आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

IV. योजना स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या 111434/2023 दिनांक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे

VII. धनराशि को दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपभोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Generated from eOffice by BHAWAN CHANDRA (OSH), SO-Urban Development section 2-HQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 06/10/2...

1/159206/2023

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03 नगरों का समेकित विकास-0318 नगरपालिकाओं में पार्क/ग्रीन स्पेस की स्थापना -56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में निर्गत दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- आलोटमेंट आई डी-6.................................,

भवदीय,

Signed by Nitin Singh
(नितिन सिंह भदौरिया)
Date: 06-10-2023 15:39:20
अपर सचिव।

सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दिनेशपुर।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by BHAWAN CHANDRA (DSH) SO-Urban Development Section 1-SO, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 06/10/20

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Head of Department : Director Local Bodies (2877)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 1 | आवंटन आई डी - H23100130013
अनुदान संख्या - 013 | आवंटन पत्र दिनांक - 11-OCT-2023
लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	03	नगरों का समेकित विकास
18	नगरपालिकाओं में पार्षदों को मानदेय		

2 2 1 7 0 3 1 9 1 0 3 1 8 — Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	3675000	4488400	3675000	8163400
	योग	3675000	4488400	3675000	8163400

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 44,88,400 (Rupees Forty Four Lacs Eighty Eight Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : DIS:2877:2877:2310:0006

Approval Status : OPERATOR-CREATION

संख्या-   /IV(2)-श0वि0-2023

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2   देहरादून : दिनांक   सितम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पंचायत, गैरसैण हेतु अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्य/योजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गैरसैण के पत्रांक-233/अवि.नि0-2022-23/न0पं0गै0/(2023-24) दिनांक 30.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पंचायत, गैरसैण हेतु अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 110474/2023 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार स्वीकृत कुल 18 कार्य/योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू0 54.54 (रू0 चौवन लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
	नगर पंचायत, गैरसैण			
1	वार्ड सं0-01 सलियाणा छुड़ुनगर चन्दलाल पोस्ट मास्टर के घर के पीछे वाले रास्ते से नीचे की ओर मुख्य मार्ग तक, राष्ट्रीय राजमार्ग से मुनार की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग से दैवली की मकान तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से एच0पी0 गैस गोदाम तक खड़न्जा सी0सी0 मार्ग व रेलिंग निर्माण कार्य।	8.58	3.432	5.148
2	वार्ड सं0-01 स्टेशन के बगल से नीचे गोपाल सिंह रावत की मकान होते हुए ग्वाड़ पुलिया तक इण्टरलॉक टाइल मार्ग एवं रेलिंग निर्माण कार्य।	7.61	3.044	4.566
3	वार्ड सं0-01 सलियाणा मुख्य मार्ग सिमार से विरेन्द्र सिंह के घर तक खड़न्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	3.29	1.316	1.974
4	वार्ड सं0-01 डांगीधार पानी के स्रोत से मन्दार के घर तक खड़न्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	2.67	1.068	1.602
5	वार्ड सं0-02 ब्राह्मण बस्ती पानी की टंकी से नीचे आंगनबाड़ी एवं एस0सी0 बस्ती से मुख्य मार्ग गैरव मन्दिर तक इण्टरलॉक टाइल मार्ग निर्माण कार्य।	6.31	2.524	3.786

6	वार्ड सं0–02 गढ़वाल होटल से पंचायत भवन की ओर इण्टरलॉक टाइल मार्ग निर्माण कार्य।	2.51	1.004	1.506
7	वार्ड सं0–02 कैलाली ग्वाड़ से नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर इण्टरलॉक टाइल मार्ग निर्माण कार्य।	2.52	1.008	1.512
8	वार्ड सं0–02 माटी डुंगा से भोलादत्त की घर की ओर खड़ञ्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	2.67	1.068	1.602
9	वार्ड सं0–02 गैड़गाँव से केशव नगर खड़ञ्जा सी0सी0 मार्ग विस्तारीकरण कार्य।	2.67	1.068	1.602
10	वार्ड सं0–03 धारगैड़ मुख्य मार्ग पर दिनेश चौहान के घर के सामने दीवार, हरिप्रसाद के घर के बगल में मार्ग ,राजू के घर के नीचे मुख्य मार्ग पर दीवार मुख्य मार्ग से प्रीत सिंह डीलर, बलवन्त सिंह एवं रघुवीर सिंह की घर की ओर इण्टरलॉक टाइल निर्माण।	6.58	2.632	3.948
11	वार्ड सं0–03 राधाकृष्ण मन्दिर से राजगुरूजी की मकान तक नाले पर प्रीकास्ट आर0सी0 ड्रेन कवर एवं इण्टरलॉक टाइल निर्माण।	5.94	2.376	3.564
12	वार्ड सं0–03 पोस्ट ऑफिस के समीप नाली निर्माण एवं पोस्ट ऑफिस से शिशु मन्दिर तक इण्टरलॉक टाइल निर्माण कार्य।	5.08	2.032	3.048
13	वार्ड सं0–04 बाल विकास से पी0डब्लू0डी0 रोड तक इण्टरलॉक टाइल निर्माण कार्य।	6.71	2.684	4.026
14	वार्ड सं0–08 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पावर हाउस से खत्रियाणा मैन रोड तक खड़ञ्जा सी0सी0 एवं आर0डब्लू0डी0 रोड से खत्रियाणा बारात घर तक खड़ञ्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	7.96	3.184	4.776
15	वार्ड सं0–06 गौचली मुख्य मार्ग से मोहन सिंह शाह माध्य विद्यालय वालों की घर की ओर एवं अजीत के घर के बगल से डिप्टी वालों की ओर खड़ञ्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	5.34	2.136	3.204
16	वार्ड सं0–08 गधोली आनन्द लाल के खेत से मोहन लाल के घर तक , हरीश लाल के घर से छोटे लाल के घर तक, जसपाल लाल की मकान से गोपाल राम की मकान तक एवं आनन्द लाल के खेत से चमन लाल के घर तक खड़ञ्जा सी0सी0 एवं दिवार निर्माण कार्य।	4.31	1.724	2.586
17	वार्ड सं0–07 एस0सी0 बस्ती डाकीनवाली से सी0सी0 खड़ञ्जा एवं पैकवर्ड टाइल एवं जीन के घर से गोबर धर्मो वाले रास्ते तक खड़ञ्जा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	7.52	3.008	4.512
18	वार्ड सं0–07 सैंजी राष्ट्रीय राजमार्ग स्कवर से रामगंगा नदी की ओर नाली निर्माण कार्य।	2.63	1.052	1.578
	योग:-	**90.90**	**36.36**	**54.54**

1. उक्त धनराशि रू0 54.54 (रू0 चौवन लाख चौवन हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में

उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, गैरसैण को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0–110474/2023 दिनांक 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक केअनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
(नितिन सिंह भदौरिया)
Date: 05-10-2023 15:37:46
अपर सचिव।

सं0– /IV(2)–शविवि–2023, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गैरसैण।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 05-10-2023 16:00:14

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Print Date:-06/Oct/2023 12:46 PM

IFMS
Uttarakhand

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible] Chandra Joshi
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-10-2023 12:48:21

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)
Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन आई डी - S23100130006

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन पत्र दिनांक - 06-OCT-2023

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

04 नगरों का समेकित विकास

Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहत निर्माण	36795600	5454000	0	42249600
	योग	36795600	5454000	0	42249600

Total Current Allotment To HOD in Above Schemes - Rs. 54,54,000 (Rupees Fifty Four Lacs Fifty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2310:0001

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

संख्या–165170 /IV(2)-शविवि–2023–246(मु0म0घो0)2021

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2023

विषय: नगर पंचायत, झबरेड़ा क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या सं0–1659/2021 "विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत नगर पंचायत, झबरेड़ा में मंगलौर रोड़ पर रविदास मन्दिर से शीला खाले तक नाला निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, झबरेड़ा के पत्रांक 188, दिनांक 04.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, झबरेड़ा क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1659/2021 "विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत नगर पंचायत, झबरेड़ा में मंगलौर रोड पर रविदास मन्दिर से शीला खाले तक नाला निर्माण" के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021–22 में शासनादेश संख्या 520/xxxv-4/2022–246(मु0म0घो0)/2021 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा संस्तुत लागत रू0 301.13 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा रू0 201.13 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

अतएव, प्रश्नगत घोषणा के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास योजना से अवशेष धनराशि रू0 201.13 लाख (रू0 दो करोड़ एक लाख तेरह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

I. उक्त धनराशि रू0 201.13 लाख (रू0 दो करोड़ एक लाख तेरह हजार मात्र)आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, झबरेड़ा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. शासनादेश संख्या 520/xxxv-4/2022–246(मु0म0घो0)/2021 दिनांक 04.01.2022 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 30/10/2023 05:06 PM

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस०ओ०आर० के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय-व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S 2310013 0039..........,

भवदीय,
Signed by Sunil Singh
Date: 19-10-2023 11:27:22
संयुक्त सचिव।

सं०– 165170 /IV(2)–श०वि०–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 30/10/2023 05:06 PM

4. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: [illegible] 16:20:28
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-30/Oct/2023 06:14 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 30-10-2023 17:14:56

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 165170/2023

आवंटन आई डी - S23100130039

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 30-OCT-2023

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	04	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (2217031910305 से स्थानांतरित)		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	42249600	20113000	0	62362600
	योग	42249600	20113000	0	62362600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 2,01,13,000 (Rupees Two Crores One Lac Thirteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2310:0009

Approval Status : e-Sign letter

संख्या 172558 / IV(2)–शoविo–2021–74(सा0) 14टीoसीo IV

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक– 04 दिसम्बर, 2023**

विषयः 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत CITIIS Program के संचालन हेतु केन्द्रांश (तृतीय किश्त) की अवशेष धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या K-14011/13/2018(CITIIS), दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत CITIIS Program के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश (तृतीय किश्त) की धनराशि रू0 18.56 करोड़ के सापेक्ष अवशेष रू0 **10.49 करोड़ (रूपये दस करोड़ उन्चास लाख मात्र)** की धनराशि को, संलग्न बीएम–9 (भाग–एक) के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राविधानित करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 10.49 करोड़ आपके द्वारा आहरित कर प्रत्येक स्थिति में दिनांक 09.11.2023 से पूर्व स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून के एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित डी0एस0सी0एल0/निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

e head of delem... ...wp air ru...

UD2-11/A/40/2023-IV-2-Urban Development Department

I/172558/2023

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(10) योजनान्तर्गत ऐसे गतिमान कार्य, जो पूर्ण होने के कगार पर है, पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। शेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए उक्तानुसार कार्यों को गति प्रदान करते हुए कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराये जायें।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-'4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07-सी0आई0टी0आई0आई0एस0 परियोजना (40%CSS) के अधीन संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-5 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित संख्या-171930 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी०एम०-9 प्रपत्र/एलॉटमेन्ट आई0डी0 ।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 04-12-2023 12:23:44
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 04-12-2023 12:26:04
(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

UD2-11/A/40/2023-IV-2-Urban Development Department

I/171995/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
देहरादूनः तद्दिनांकित।

<u>पुनर्विनियोग स्वीकृत</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Signed by Amita Joshi
Date: 30-11-2023 15:28:29

(अमिता जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)
बी. एम. - 09

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri [illegible] Chandra Joshi
Reason: JEP E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 29-11-2023 16:51:11

अनुदान संख्या - 013
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या -

बजट आई डी - RE23110130001
दिनांक - 29-NOV-2023

क्र संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	माह तक वास्तविक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष धनराशि पुनर्विनियोजित धनराशि (4)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 की शेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की शेष धनराशि (6)	अभियुक्ति
	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं 02-स्मार्ट सिटी Voted					4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 051-निर्माण 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 07-CITIIS परियोजना Voted		
1	03-वृहद निर्माण 150000000	0	0	104900000	45100000	16-केन्द्र सहायतित योजनाओं का [illegible] 104900000	254900000	
	योग			104900000		104900000		

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASS, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 04/12/2023 11:59 PM

संख्या: 172598/IV(2)–शoविo–2021–74(खo) 14टीoसीo IV

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 04 नवम्बर, 2023

विषयः 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत **CITIIS Program** के संचालन हेतु केन्द्रांश (तृतीय किश्त) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 425/C-8/DSCL/Account/2023-24, दिनांक 14.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः K-14011/13/2018(CITIIS), दिनांक 09.11.2023 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश (तृतीय किश्त) की धनराशि ₹18.56 करोड़ के सापेक्ष ₹8.07 करोड़ (रूपये आठ करोड़ सात लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उक्त धनराशि रू0 8.07 करोड़ आपके द्वारा आहरित कर 03 दिवसों के भीतर स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून के एस0एन0ए0 खाते में व्यय हेतु हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रस्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित डी0एस0सी0एल0/निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
(10) योजनान्तर्गत ऐसे गतिमान कार्य, जो पूर्ण होने के कगार पर हैं, पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। शेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए तद्नुसार कार्यों को गति प्रदान करते हुए कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराये जायें।
(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट आवंटन सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-'4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07-सी0आई0टी0आई0आई0एस0 परियोजना (40%CSS)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 04-12-2023 12:22:00
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3- आयुक्त गढ़वाल, मण्डल, पौड़ी।
4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
5- जिलाधिकारी, देहरादून।
6- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7- वित्त नियंत्रक, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9- संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 04-12-2023 12:30:36
(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

IFMS
Uttarakhand

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sri Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 04-12-2023 13:35:31

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2023-2024)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (5054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - S23120130004

आवंटन पत्र दिनांक - 04-DEC-2023

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्य वर्ग श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
07	CITIIS परियोजना		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	1	0	7

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	69200000	80700000	0	149900000
	योग	69200000	80700000	0	149900000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 8,07,00,000 (Rupees Eight Crores Seven Lacs Only)

Batch ID : DIS:5054:5054:2312:0001

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

संख्या–175500/IV(2)–शावि0–2023–44(सा0)/07

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

19/12/23

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023–2024 में अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, लण्ढौरा हेतु स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा के पत्रांक 1565, दिनांक 18.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासनादेश संख्या 110474, दिनांक 27.03.2023 के द्वारा नगर पंचायत, लण्ढौरा हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार अनुमोदित कुल 04 योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवशेष धनराशि/द्वितीय अन्तिम किस्त के रूप में कुल रू0 23.304 (रू0 तेईस लाख तीस हजार चार सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

SFO
17/12/23

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
	नगर पंचायत, लण्ढौरा			
1	कस्बा लण्ढौरा के वार्ड न0 04 में मंगलौर मुख्य मार्ग पर साईड पटरी व आवमीक भट्टे की ओर इंटरलौकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	17.01	6.804	10.206
2	कस्बा लण्ढौरा के वार्ड न0 08 में आई0टी0आई0 की मुख्य रोड से इरशाद के मकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	12.36	4.944	7.416
3	कस्बा लण्ढौरा के वार्ड न0 05 में मायाटीना मेन रोड से इस्लाम के मकान की ओर इंटरलौकिंग कलर टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	4.39	1.756	2.634
4	कस्बा लण्ढौरा के वार्ड न0–07 लक्सर रोड मुख्य मार्ग से नफीस के मकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	5.08	2.032	3.048
	योग:–	38.84	15.536	23.304

1. उक्त धनराशि रू0 23.304 (रू0 तेईस लाख तीस हजार चार सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, लण्ढौरा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 16/12/2023 10:56 AM

I/175500/2023

II. नगर पंचायत लम्बीधार हेतु तैनात प्रशासक प्रश्नगत कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने से पूर्व किसी सक्षम स्तर के अधिकारी से योजनाओं का परीक्षण करा लेंगे।

III. स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या 110474, दिनांक 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/प्रशासक /अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

IX. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

X. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेंगी।

XI. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-s.2312013002.0.......

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-12-2023 16:33:37
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

175500
सं0- /IV(2)-शा0वि0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 15-12-2023 16:48:11

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD(K), REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 16/12/2023 10:36 AM

902-2/1/2022-IV-2-Urban Development Department-Part(1)

I/17057/2023

संख्या–1705 7/IV(2)–श0वि0–2023–56(सा0)21

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 22 नवम्बर, 2023

विषय:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, कालाढूंगी के चौनपुर से आर0टी0ओ0 रोड क्षेत्र में विद्युत एवं पेयजल लाईन का शिफ्ट कर नहर कवरीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2872 दिनांक 01.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0–20 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा नगर हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत "जनपद–नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, कालाढूंगी के चौनपुर से आर0टी0ओ0 रोड क्षेत्र में विद्युत एवं पेयजल लाईन का शिफ्ट कर नहर कवरीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य" हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत लागत रू0 329.02 लाख के सापेक्ष शासन हेतु निर्धारित अंश 70% अर्थात रू0 230.314 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त में (40 प्रतिशत) 92.125 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत) के रूप में कुल रू0 92.125 लाख (रू0 बयानबे लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

I. उक्त धनराशि कुल 92.125 (रू0 बयानबे लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हल्द्वानी को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. प्रश्नगत योजना हेतु संस्तुत लागत रू0 329.02 लाख अत्यधिक होने के दृष्टिगत योजना लागत का 70 प्रतिशत शासन द्वारा तथा 30 प्रतिशत नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा वहन किये जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है। नगर निगम द्वारा संज्ञानित कराया है कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उनके द्वारा 30 प्रतिशत की धनराशि वहन नहीं की जा सकती। नगर निगम निगम द्वारा वर्णित की गयी वस्तुस्थिति वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिओं तथा शासन के आदेशों का उल्लंघन की श्रेणी में है।

III. उक्त के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना हेतु नगर निगम के अंश की 30 प्रतिशत धनराशि इस शासनादेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो। प्रश्नगत योजना हेतु शासन के अंश की अवशेष धनराशि तब ही अवमुक्त की जायेगी जब निगम द्वारा अपने अंश की समस्त धनराशि व्यय कर ली जायेगी।

IV. पूर्व में स्वीकृत तथा वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

9. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी।
10. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 22-11-2023 15:35:36

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या–172977/IV(2)-श0वि0–241(मु0मं0घो0)/21

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

14/12/23

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2023

CDO

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1518/2021 'नगर पंचायत गैरसैण को रू0 1.20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जायेगी' क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

14/12/23

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या–6862/इक्कीस–17/2020–2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नगर पंचायत गैरसैण क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1518/2021 'नगर पंचायत गैरसैण को रू0 1.20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जायेगी' के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0–526/XXXV-4/2021-22-241(मु0मं0घो0)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2023 के द्वारा संस्तुत लागत रू0 120.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू0 100.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवशेष लागत रू0 20.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु संस्तुत लागत रू0 120.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 अवशेष धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

A.O.

I. उक्त धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 रू0 बीस लाख मात्र)आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत गैरसैण को को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना स्वीकृति विषयक मूल शासादेश शासनादेश सं0– सं0–526/XXXV-4/2021-22-241(मु0मं0घो0)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. योजना पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 05/12/2023 01:48 PM

अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S.7.3.120130007.........,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 05-12-2023 13:47:42
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0– 172177/IV(2)–शा0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. - प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. - सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. - जिलाधिकारी, चमोली।
6. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. - वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. - वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. - अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पालिका परिषद, चम्पावत।
10. - गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by ...

संख्या- 172980 /IV(2)-श0वि0-37(मु0घो0)/2020

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/12/23

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर, ~~नवम्बर~~, 2023

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-395/2020 'नगर पंचायत गैरसैण क्षेत्रान्तर्गत आन्तरिक मार्गों, नालों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी' के कियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

CAO
14/12/23

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या-6963/इकतीस-31/2020-2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नगर पंचायत गैरसैण क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-395/2020 'नगर पंचायत गैरसैण क्षेत्रान्तर्गत आन्तरिक मार्गों, नालों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी' के कियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-97/XXXV-4/2021-22-37(मु0घो0)/2020 दिनांक 03 अगस्त, 2021 के द्वारा संस्तुत लागत रू0 89.72 के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू0 50.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष लागत रू0 39.72 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त घोषणा के कियान्वयन हेतु संस्तुत लागत रू0 89.72 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि रू0 39.72 लाख (रू0 उन्तालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

AAO

I. उक्त धनराशि रू0 39.72 लाख (रू0 उन्तालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत गैरसैण को को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. योजना स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-97/XXXV-4/2021-22-37(मु0घो0)/2020 दिनांक 03 अगस्त, 2021 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. योजना पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 05/12/2023 03:41 PM

अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक केअनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक ... 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

... अलॉटमेन्ट आई डी-S 231201300008.........

भवदीय,
Signed by Sunil Singh
Date: 05-12-2023 13:48:22
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

172980
सं0 /IV(2)-शवि0-2023 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. ... सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. ... अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. ... कोषाधिकारी, देहरादून।
8. ... अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पालिका परिषद, चम्पावत।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

... KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 05/12/2023 03:51 PM

संख्या– 175057/IV(2)–2023–E-File No-54241/2023-25(टी०सी०)

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

19/12/23

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर,2023

विषय– जनपद हरिद्वार में हरिद्वार रिंग रोड़ निर्माण हेतु नगर निगम, हरिद्वार के अधीन ग्राम सराय की भूमि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अर्जन किये जाने पर नगर निगम, हरिद्वार को प्रतिकर की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के पत्रांक–1205/सम्पत्ति अनु0/2023–24 दिनांक 09.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार में हरिद्वार रिंग रोड के निर्माण हेतु सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर निगम, हरिद्वार के स्वामित्व की ग्राम सराय में अर्जित 2.4430 है0 भूमि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, एन0एच0/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पत्र सं0–1716/VIII-वि0भू0अ0अ0 (2021–22) दिनांक 07.12.2022 के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिनिर्णय के अनुसार उक्त भूमि का मुआवजा रू0 1,41,69,400/– मय 2.5 प्रतिशत भूमि अर्जन शुल्क सहित अर्थात रू0 1,45,23,635/– नगर निगम, हरिद्वार को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार में रिंग रोड के निर्माण हेतु नगर निगम, हरिद्वार के स्वामित्व की ग्राम सराय में अर्जित कुल 2.4430 है0 भूमि के प्रतिकर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि रू0 1,41,69,400/–(रू0 एक करोड़ इकतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 1,41,69,400/–(रू0 एक करोड़ इकतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनके द्वारा अविलम्ब प्रतिकर की धनराशि नगर निगम, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही प्रतिकर धनराशि रू0 1,41,69,400/–करोड़ के सापेक्ष भूमि अर्जन व्यय (2.5 प्रतिशत) का वहन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा माध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों को समेकित विकास–0332–हरिद्वार हैलीपैड हेतु भूमि क्रय–54–भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 14/12/2023 01:29 PM

3– यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित कमांक सं0–173890/2023 दिनांक 07.12.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक– एलोटमेंट आई0डी0 सं0– S2312013001(8 ....।

भवदीय

Signed by Sunil Singh
Date: [illegible] 2023 12:30:40
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:–
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. – स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. – प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
3. – आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी।
4. – जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. – नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
6. – सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार।
7. – वित्त अधिकारी साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
8. – वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. – गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 14-12-2023 12:49:03

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 14/12/2023 01:29 PM

संख्या :- /IV-3/2024-01(10 न0नि0)/2023

प्रेषक,

निखिल सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-03 देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2024

आज प्राप्त
दिनांक 24.01.2024
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय– Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत नगर निगम, हल्द्वानी एवं नगर निगम, देहरादून के एल0ई0डी0 लाईटों की स्थापना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 1/16929/2023, दिनांक 01.09.2023 एवं पत्र संख्या-1/15959/2023, दिनांक 03.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून में एल0ई0डी0 लाईटों की स्थापना हेतु हेतु कुल रू0 10.00 करोड़ एवं नगर निगम, हल्द्वानी हेतु कुल रू0 5.68 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. 44 (1)/PF-5/2023-24(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 31.07.2023 के द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून में एल0ई0डी0 लाईट स्थापना हेतु रू0 10.00 करोड़ एवं नगर निगम, हल्द्वानी हेतु रू0 5.50 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) 2023-24 योजनान्तर्गत अनुमोदित 48 कार्यों की संलग्न सूची के अन्तर्गत क्रमांक-30 (नगर निगम, देहरादून में एल0ई0डी0 लाईट स्थापना) पर अंकित कार्य हेतु रू0 06.66 करोड़ एवं क्रमांक-43 (नगर निगम, हल्द्वानी में एल0ई0डी0 लाईट स्थापना) पर अंकित कार्य हेतु रू0 03.67 करोड़ इस प्रकार कुल रू0 10.33 करोड़ (रू0 दस करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) 2023-24 Part-I के अन्तर्गत भारत सरकार द्वार अनुमोदित ऋण के सापेक्ष अवमुक्त 2/3 प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

Generated from eOffice by SURAJ DUSAN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 16/01/2024 05:37 PM

(ii) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी पूर्व में स्थापित एल0ई0डी0 लाईटों के संचालन एवं रखरखाव (Operations and Maintenance) का प्रभावी अनुश्रवण करते हुये अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी एल0ई0डी0 लाईटों की स्थापना किये जाने संबंधी पूंजीगत निर्माण कार्यों के व्यय (CapEx) हेतु भुगतान कर दिया जाय एवं परिचालन व्यय हेतु (OpEx) हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता जाँच (Third Party Audit)/सर्वे के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(iv) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी भविष्य में एल0ई0डी0 लाईट्स की स्थापना हेतु प्रथमतः मुख्य सड़क मार्गों व महत्वपूर्ण स्थानों आदि पर Individual Light Monitor System के तहत कन्सल्टैंट/फर्म का चयन करते हुये तद्नुसार विस्तृत एस0एल0ए0 गठित कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(v) योजना हेतु निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि का ससमय उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) परियोजना के संचालन व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा।

(vii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री, का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।

(ix) विस्तृत आगणन में प्राविधानित क्रियायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(xii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुये लागत की दरों की युक्तियुक्तता Rate Reasonability भी सुनिश्चित की जायगी।

(xiii) प्रस्तावित कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, संशोधित–2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाये।

(xiv) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(xv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम

Generated from eOffice by SURAJ DUSAN, RO-Urban Development Section 1-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 18/01/2024 04:37 PM

/183383/2024

स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

(xvi) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

(xvii) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत विशिष्ट आवंटन/अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–S23120070030 (प्रति संलग्न) एवं वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक 1/178126/2023 दिनांक 27.12.2023, द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
Signed by Nitin Singh
Bhadauria
Date: 18-01-2024 13:29:13
(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

संख्या–I(1)/183/IV-3/2024–01 (10 न0नि0)/2023, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
11. गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
उप सचिव।

Generated from eOffice by SURAJ GADARI, RO-Urban Development Section 1-SO, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 18/01/2024 05:17 PM

I/187305/2024

संख्या–   / IV(2)-श0वि0–2024–05(सा0)12

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून: दिनांक–   फरवरी, 2024

विषय: नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत ए0बी0सी0 कैम्पस के प्रथम तल पर दो कमरे, किचन एवं शौचालय निर्माण व भूतल के पूर्व निर्मित कक्ष में टाईल्स एवं डॉग कैनाल आदि निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 97282/IV(2)-श0वि0–2022–05(सा0)/12, दिनांक 08.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत ए0बी0सी0 कैम्पस के प्रथम तल पर दो कमरे, किचन एवं शौचालय निर्माण व भूतल के पूर्व निर्मित कक्ष में टाईल्स एवं डॉग कैनाल आदि निर्माण हेतु कुल रू0 83.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 50.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2 – उपरोक्त के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार के पत्रांक–291/ए0बी0सी0/निर्माण/2023–24, दिनांक 19.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 83.68 लाख – रू0 50.20 लाख = **रू0 33.48 लाख (रूपये तेंतीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 33.48 लाख (रूपये तेंतीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. शासनादेश संख्या: 97282/IV(2)-श0वि0–2022–05(सा0)/12, दिनांक 08.02.2023 द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 50.20 लाख को यदि निकाय द्वारा बैंक बचत खाते में रक्षित किया गया था, तो तदनुसार अर्जित ब्याज की सूचना नगर निकाय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी और वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर अर्जित ब्याज की सूचना भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 08/02/2024 10

I/187305/2024

2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5. निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत विस्तृत आगण्न के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगगन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

10. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 97282/दि0 07.02.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का दिनांक 31–12–2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक स्थिति में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0404–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 02-02-2024 17:30:26
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/02/2024 10

I/187305/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 02-02-2024 17:41:23

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 06/02/2024 10

I/186979/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, भवाली क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या– 511, दिनांक 06.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, भवाली क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 13 योजनाओं हेतु **रू0 64.11 लाख (रू0 चौसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि रू0 **64.11 लाख (रू0 चौसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, भवाली को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की **Duplicacy** की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनो पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHAWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2

I/186979/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 02-02-2024 12:21:47
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भवाली।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2

I/186979/2024

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 02-02-2024 13:22:09

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– (i)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

क्र.स.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पालिका परिषद, भवाली	
1	सेनेटोरियम वार्ड नं0 01 में सरकारी आवास से मुख्य कार्यालय की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.95
2	सेनेटोरियम वार्ड 01 में रमेश आर्या के मकान से मैस बैण्ड की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.98
3	दुग्ई स्टेट वार्ड नं0 07 में भुवन जोशी आदि के घर से हरीश गुरूरानी के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.79
4	दुग्ई स्टेट वार्ड नं0 04 में दीपक पाण्डेय आदि के मकान से हरीश भाकुनी के घर की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.93
5	श्यामखेत वार्ड नं0 06 में दीप भगत के मकान की ओर आशु पाण्डेय के मकान की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य।	4.93
6	सेनेटोरियम वार्ड नं0 01 में सेनेटोरियम नारायण मन्दिर की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	5.00
7	रेहड़ टमटयूड़ा वार्ड नं0 03 में नरेश आदि के मकान से तुलसी देवी के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.91
8	सेनेटोरियम वार्ड नं0 01 में मुख्य मार्ग से रोगी विश्राम गृह की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	5.00
9	रेहड़ टमटयूड़ा वार्ड नं0 03 में हरीश टम्टा आदि के मकान से काण्डपाल के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.69
10	रेहड़ टमटयूड़ा वार्ड नं0 03 में काण्डपाल जी आदि के मकान से रमेश बेलवाल के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	5.00
11	दुग्ई स्टेट वार्ड नं0 04 में हरीश भाकुनी आदि के मकान से नन्दन सिंह नेगी की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.95
12	श्यामखेत वार्ड नं0 06 में प्राइमरी पाठशाला कहलक्वीरा से दीप भगत के मकान की ओर टाईल्स निर्माण कार्य।	4.98
13	सेनेटोरियम वार्ड नं0 01 में मुख्य मार्ग में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	5.00
	योग	**64.11**

(रू0 चौसंठ लाख ग्यारह हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/21

I/186979/2024

अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2

I/186965/2024

संख्या–　　　　　/IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2　　　　　देहरादून : दिनांक　　　　जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, लक्सर–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4952, दिनांक 06.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, लक्सर–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 10 योजनाओं हेतु **रू0 49.62 लाख (रू0 उनचास लाख बासठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 49.62 लाख (रू0 उनचास लाख बासठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, लक्सर–हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2024

I/186965/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,
Signed by Sunil Singh
Date: 02-02-2024 12:03:59
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लक्सर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2

I/186965/2024

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 02-02-2024 12:07:40

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

<u>शासनादेश सं0–   (1)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1</u>

क्र. स.	निर्माण कार्य का नाम
	नगर पालिका परिषद, लक्सर
1	वार्ड 07 में बसेडी रोड पर बबली के मकान से पहल सिंह के प्लांट/मकान की ओर स निर्माण कार्य।
2	वार्ड 07 सत्यपाल के मकान से रामकिशन के मकान की ओर सड़क निर्माण कार्य।
3	वार्ड 07 में बसेडी रोड पर बारात घर की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।
4	वार्ड 07 में बसेडी रोड शौकीन के मकान से आरिफ के मकान की ओर सड़क निर्माण का
5	वार्ड 07 में सनातन धर्म कालेज से पुलिया की ओर साईड पटरी निर्माण कार्य।
6	कस्बा लक्सर के वार्ड न0 09 गंगा विहार कालोनी में सतीश के मकान से मन्दिर की ओर सडंक का निर्माण कार्य।
7	कस्बा लक्सर के वार्ड न0 09 कक्कन के प्लॉट से जितू के मकान की ओर सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।
8	वार्ड न0 05 राजकुमार के मकान से कल्लू के मकान की ओर सी0सी0 सडंक व नाल कार्य।
9	कस्बा लक्सर के वार्ड न0 11 में सुरेश के मकान से रोहताश के मकान की ओर सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।
10	कस्बा लक्सर के वार्ड न0 11 में गोबर्धनपुर रोड से आजाद के मकान की ओर सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।

(रू0 उनचास लाख बासठ हजार मात्र)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 02/02/2

I/186965/2024

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC], SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/02/2

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–06(सा0)/12

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– फरवरी, 2024

विषय: नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं के बंध्याकरण/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 4264/श0वि0नि0–479/श0वि0नि0(प0क0बो0), दिनांक 27.01.2024 एवं पत्र संख्या: 4265/श0वि0नि0–479/श0वि0नि0(प0क0बो0), दिनांक 27.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण/रेबीजरोधी टीकाकरण संचालित Animal Birth Control-Anti Rabis Vaccination Project(ABC-ARB) के अन्तर्गत नगर निगम, ऋषिकेश एवं नगरपालिका परिषद, मसूरी द्वारा कार्यदायी संस्था Humane Society international india (HSI-India) के माध्यम से कराये गये श्वानपशुओं के बन्ध्याकरण हेतु निर्धारित राज्यांश प्रति श्वानपशु रू0 429/– की दर से निम्नवत् **कुल रू0 11,46,288/– (रूपये ग्यारह लाख छियालीस हजार दो सौ अट्ठासी मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	श्वान पशु बन्ध्याकरण की संख्या	स्वीकृत राज्यांश की धनराशि (प्रति पशु रू0 429/– की दर से)
1.	नगर निगम, ऋषिकेश	997	4,27,713
2.	नगरपालिका परिषद, मसूरी	1675	7,18,575
	योग–	**2672**	**11,46,288**

2– उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जाती है :–

(1) उक्त धनराशि कुल रू0 11,46,288/– (रूपये ग्यारह लाख छियालीस हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) को आपके द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एवं उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार सम्बन्धित नगर निकायों को यथाप्रक्रिया ऑनलाईन/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) नगर निकायों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उपरोक्त बन्ध्याकरण कार्य हेतु पूर्व में शासन स्तर से अथवा अन्य किसी योजना/माध्यम से कोई भी धनराशि नगर निकाय को प्राप्त नहीं हुयी है।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि उक्त धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(4) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम के संचालन पर राज्यांश के अतिरिक्त होने वाले समस्त व्यय का वहन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(5) प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्याकरण कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 02.05.2023 के अनुपालन में निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं को गोद लिये जाने तथा Dog Bite के के प्रकरणों से बचाव हेतु अपेक्षित विशेष सवाधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार आदि प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यकम की तृतीय पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक रूप से कराया जाय एवं मूल्यांकन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(7) धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता/व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये समस्त शासनादेशों के पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

(8) जिस कार्य/योजना हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, निर्गत धनराशि का व्यय उसी कार्य/योजना पर किया जाय। धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों कोसहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0326–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन–56–सहायक अनुदान (सहायक गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त निर्देशों के कम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–एलॉटमेंट आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 14-02-2024 11:33:14

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

<u>प्रतिलिपि–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मसूरी।
8. वित्त अनुभाग-01 / 02, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 14-02-2024 16:03:35

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

I/184235/2024

संख्या : /IV(2)-श0वि0-2021-13(सा0)2021

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 3369/ई-फाईल संख्या-एल-04/2021 दिनांक 06.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी स्थानीय निकायों में नियोजित पर्यावरण मित्रों (नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी /आउटसोर्स) को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किये जाने एवं सफाई कर्मियों के मध्य स्वच्छ आदतों को बल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत **50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उक्त धनराशि **50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. योजनान्तर्गत निकायों के पर्यावरण मित्रों (नियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/ आउटसोर्स) को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किये जाने तथा सफाई कर्मियों के मध्य स्वच्छ आदतों के विकास हेतु पर्यावरण मित्रों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना है। योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि को नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों में श्रेणीवार फांट निम्नानुसार होगा:-

(धनराशि रू0 लाख में)

नगर निकाय श्रेणीवार	संख्या	प्रति निकाय अनुमन्य धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
नगर निगम श्रेणी-01	01	2.75	2.75
नगर निगम श्रेणी-02	01	2.10	2.10
नगर निगम श्रेणी-03	07	1.75	12.25
नगर पालिका परिषद-01	06	0.75	4.50
नगर पालिका परिषद-02	12	0.45	5.40
नगर पालिका परिषद-03	25	0.40	10.00
नगर पंचायत श्रेणी-01	10	0.30	3.00
	40		10.00

नगर पंचायत श्रेणी–02		0.25	
			50.00

iii. प्रत्येक नगर निकाय द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के सफाई कर्मियों/पर्यावरण मित्रों (नियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्स) हेतु सामान्य Helth Checkup Camp लगाना सुनिश्चित करेंगे।

iv. नगर निकाय द्वारा समस्त पर्यावरण मित्रों हेतु व्यक्तिगत प्राथमिक उपचार किट/स्वच्छता किट उपलब्ध करायी जायेगी।

v. उक्त धनराशि का व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का पालन किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय पर्यावरण मित्रों को स्वास्थ्य लाभ हेतु ही किया जायेगा।

vi. नगर निकाय उपरोक्त कार्य हेतु सी0एस0आर0 मद (निकाय अन्तर्गत स्थापित बैंक, फैक्ट्री, संस्थान इत्यादि) से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

vii. उक्त धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

viii. स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते समय निकाय स्तर पर समस्त कार्मिकों की उपस्थिति/फोटोग्राफ्स/न्यूज पेपर कटिंग निकाय अपने स्तर पर रक्षित करेंगे।

ix. धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/मदों में किया जाना पूर्णतया वर्जित है। इस हेतु सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

x. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी निकाय दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–04–सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 के दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0 S..

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 23-01-2024 11:53:02
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0– /IV(2)-श0वि0–2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 23-01-2024 12:31:37

आज्ञा से,

(सूरज सिंह)
अनु सचिव।

I/187580/2024

संख्या– /IV(2)–श०वि०–2023

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, चम्पावत के 04 पार्कों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत के पत्रांक 375, दिनांक 12.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, चम्पावत के निम्न 04 पार्कों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 111434, दिनांक 29.03.2023 के द्वारा रू0 119.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 35.70 लाख स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल **रू0 83.30 (रू0 तिरासी लाख तीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड न0–08 (बालेश्वर) के अम्बेडकर कालोनी में पार्क का निर्माण।	34.60	10.38	24.22
2	वार्ड न0–03 (तल्ली मादली) के त्यारकुवा में पार्क का निर्माण।	20.52	6.156	14.364
3	वार्ड न0–04 (कनलगाँव) में मंच–तामली मोटर मार्ग से लगी भूमि पर गण्डकी नदी के किनारे पार्क निर्माण का कार्य।	33.10	9.93	23.17
4	वार्ड न0–07 (नागनाथ) के तेलवाड़ा में पार्क का निर्माण।	30.78	9.234	21.546
	महायोग:–	**119.00**	**35.70**	**83.30**

1. उक्त धनराशि **रू0 83.30 (रू0 तिरासी लाख तीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, चम्पावत को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 05/02/21

I/187580/2024

II. द्वितीय किश्त अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्षसम्बन्धित प्रशासक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से किये गये कार्यों का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

III. शासनादेश संख्या 111434, दिनांक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

IV. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

V. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VII. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VIII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस०ओ०आर० के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

IX. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

X. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

XI. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XII. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XIII. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIV. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liabilaty Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XV. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) कार्य पूर्ण सम्बन्धी फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी अभिलेखों में संरक्षित करते हुये, एक प्रति शासन को प्रेषित की जायेगी।**

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के**अनुदान सं-1 3** के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों की सहायता-03 नगरों का समेकित विकास-0318 नगरपालिकाओं में पार्क/ओपन जिम की स्थापना -56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 05/02/2

I/187580/2024

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक— अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 05-02-2024 14:05:22

संयुक्त सचिव।

सं0— /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 05-02-2024 15:13:56

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 05/02/24

I/186541/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2845, दिनांक 24.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु **रू0 43.71 लाख (रू0 तैंतालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम/निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	
1	वार्ड ऐंचोली किरीगांव में आन्तरिक मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	19.88
2	वार्ड भाटकोट (अल्पसंख्यक समुदाय बस्ती) कब्रिस्तान मार्ग मरम्मत कार्य।	19.95
3	वार्ड सेरा–पुनेड़ी (अल्पसंख्यक समुदाय बस्ती) श्री अली खान भवन के निकट से श्री इब्राहिम खान भवन की ओर रास्ता मरम्मत कार्य।	3.88
	कुल योग–	**43.71**

उक्त धनराशि हेतु **रू0 43.71 लाख (रू0 तैंतालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186537/2024

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2024–33(विविध)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, बनबसा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 4825/1725/अवस्थापना (टी0ए0सी0)/2022–23 दिनांक 30.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, बनबसा हेतु संलग्नक–1 की तालिका में वर्णित वर्णित कुल 12 योजना कार्यों हेतु **रू0 92.94 लाख (रू0 बयानबे लाख चौरानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. उक्त धनराशि **रू0 92.94 लाख (रू0 बयानबे लाख चौरानबे हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, बनबसा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186537/2024

तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

xiv. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्रापस/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्रापस/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.– 13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S............................,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-SO, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186537/2024

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:29:45
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. - जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. - वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. - वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. - अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बनबसा।
9. - गार्डफाईल।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 13:08:14

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(विविध)23 का संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख

क0सं0	नगर निकाय का नाम/योजनाओं का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पंचायत, बनबसा।	
1	वार्ड नं0 02 में सत्यनारायण गोयल के घर से मुख्य नाले तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.99
2	वार्ड नं0 03 में जगदीश पाण्डेय के घर से ओम प्रकाश अग्रवाल के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.50
3	नगर पंचायत, बनबसा में बनबसा में नेपाल के प्रवेश स्थल पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य।	3.55
4	वार्ड नं0 07 में रामदत्त गोयल के घर से जोशी क्लाथ हाउस तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	4.10
5	वार्ड नं0 01 में डॉ0 गुप्ता के प्रतिष्ठान से बंटू सलमान के घर तक	5.15

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186537/2024

	इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	
6	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 07 में महावीर प्रजापति की दुकान से सलीम कुरैसी के घर तक इण्टलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण का कार्य।	11.00
7	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 02 में लक्ष्मण सिंह के घर से प्रकाश सामन्त के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	7.05
8	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 07 में हरीश चन्द्र के घर से मनोज खत्री के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	5.90
9	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 03 में मोनू ठाकुर प्लॉट से टार्जन की दुकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	10.45
10	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 06 में हरीओम की दुकान से शिवालय तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	3.60
11	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 02 में विमला देवी के घर से रेलवे की रोड तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	9.10
12	नगर पंचायत, बनबसा में वार्ड नं0 04 में फकीर बस्ती में इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण का कार्य।	14.55
	योग	**92.94**

(रू0 बयानबे लाख चौरानबे हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186744/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, केलाखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 371 दिनांक 21.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, केलाखेड़ा, ऊधमसिंहनगर हेतु संलग्नक–1 की तालिका में वर्णित कुल 9 योजना कार्यों हेतु संस्तुत लागत **रू0 64.03 लाख (रू0 चौंसठ लाख तीन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **रू0 64.03 लाख (रू0 चौंसठ लाख तीन हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, केलाखेड़ा ऊधमसिंहनगर हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/ मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।
iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा

Generated from eOffice by BHAWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186744/2024

प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री के उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयान्तर्गत पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

xiv. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 16:13:25
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. - जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. - वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. - वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, इमलीखेड़ा, हरिद्वार

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186744/2024

8. - गार्ड फाईल

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 16:16:19

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- /IV(2)-श0वि0-2024 का संलग्नक-1

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पंचायत, केलाखेड़ा-उधमसिंहनगर	
1	पुलिस थाना वार्ड न0-01 में नासिर के मकान से सलामत के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	14.83
2	कादरी मस्जिद वार्ड न0-05 में मकसूद के मकान से शकील के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	7.49
3	कादरी मस्जिद वार्ड न0-05 में मौहब्बे के मकान से नामे अली के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	10.25
4	कादरी मस्जिद वार्ड न0-05 में मुन्नियाज हुसैन के मकान से दिलशाद के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	10.87
5	कादरी मस्जिद वार्ड न0-05 में टाईल्स रोड से अहसान अली के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.10
6	कादरी मस्जिद वार्ड न0-05 में असगर अली के मकान से दिलशाद के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	3.25
7	वार्ड न0-08 में जयमल के मकान से माता के मन्दिर तक टाईल्स सड़क तथा दीवार पुनः निर्माण कार्य।	1.57
8	रत्नामडैया वार्ड नं0-08 में नासिर के मकान से शरीफ कुरैशी के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली पुनः निर्माण कार्य।	1.87
9	रत्नामडैया वार्ड नं0-08 में नासिर के मकान से आसिम के मकान को होकर सरताज के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली पुनः निर्माण कार्य।	8.80
	योग	**64.03**

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2C

I/186744/2024

अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186540/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, चमियाला–टिहरी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 591, दिनांक 20.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, चमियाला–टिहरी क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 06 योजनाओं हेतु **रू0 29.80 लाख (रू0 उन्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम/निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, चमियाला	
1	वार्ड सं0–01 लाटा में सरोप सिंह के मकान से करण सिंह के मकान तक इण्टर लॉक एवं रेलिंग निर्माण कार्य।	4.97
2	वार्ड सं0–01 लाटा में बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग से नर्सरी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.92
3	वार्ड न0–07 बेलेश्वर सुयाल की गली से बेलीराम तिवाड़ी के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	4.98
4	वार्ड सं0–07 बेलेश्वर घन सिंह राणा के दुकान से विनोद जोशी के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	4.98
5	वार्ड सं0–07 बेलेश्वर मन्दिर के पीछे से सिरूडा तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.97
6	वार्ड सं0–07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर से विजय सिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.98
	योग–	**29.80**

उक्त धनराशि हेतु **रू0 29.80 लाख (रू0 उन्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, चमियाला–टिहरी को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186540/2024

धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेंगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186540/2024

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:31:06
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0-   /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चम्बियाला।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 12:36:59

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186584/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 853, दिनांक 13.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 24 योजनाओं हेतु **रू0 87.82 लाख (रू0 सत्तासी लाख बयासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 87.82 लाख (रू0 सत्तासी लाख बयासी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्दनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186740/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, लण्ढौरा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 908, दिनांक 01.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, लण्ढौरा क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु **रू0 57.35 लाख (रू0 सत्तावन लाख पैंतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.स.	नगर निकाय का नाम/निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, लण्ढौरा	
1	कस्बा लंढौरा के वार्ड न0 08 में कब्रिस्तान की मुख्य रोड से आई0टी0आई0 की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	19.54
2	कस्बा लंढौरा के वार्ड न0 08 में आई0टी0आई0 मेन रोड़ से बाबर के मकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	18.16
3	कस्बा लंढौरा के वार्ड न0 04 में तासीन के खेत से बिझौली की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	19.65
	योग:–	**57.35**

उक्त धनराशि हेतु **रू0 57.35 लाख (रू0 सत्तावन लाख पैंतीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, लण्ढौरा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186740/2024

अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेंगी।

XIII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल की फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S.................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 16:10:40
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186740/2024

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2 / संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लन्धौरा–हरिद्वार।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 16:20:18

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186570/2024

संख्या– /IV(2)–शवि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, गूलरभोज क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 240, दिनांक 21.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, गूलरभोज क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 10 योजनाओं हेतु **रू0 39.94 लाख (रू0 उनतालीस लाख चौरानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 39.94 लाख (रू0 उनतालीस लाख चौरानबे हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, गूलरभोज को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186570/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक केअनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:47:43
संयुक्त सचिव।

सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गूलरभोज।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186570/2024

Signed by Suraj Singh
Biaht
Date: 01-02-2024 12:50:24

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– (1)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, गूलरभोज–उधमसिंहनगर	
1	वार्ड नं0–3 में मैन रोड़ से बाबू सिंह के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ व नाली का निर्माण कार्य।	5.09
2	वार्ड नं0–4 में शशि वैध के घर से शशोधर मण्डल के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.00
3	वार्ड नं0–4 में मैन रोड से शिव मन्दिर तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.41
4	वार्ड नं0–5 में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण का कार्य।	3.16
5	वार्ड नं0–6 में लक्ष्मी देवी के घर से दुआ सिंह के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ निर्माण कार्य।	2.31
6	वार्ड नं.–6 में मुख्य मार्ग से इन्दर मेहता के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	3.78
7	वार्ड नं0–7 में मैन रोड़ से फूल सिंह के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ निर्माण कार्य।	1.95
8	वार्ड नं0–7 में प्रकाश दूबे के घर से सावित्री दूबे के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	6.52
9	वार्ड न0–7 में मुख्य मार्ग से नन्दु सिंह व शन्तों सिंह कि घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ निर्माण कार्य।	6.44
10	वार्ड नं0–7 में मुख्य मार्ग से विनोद तथा प्रेमवती के घर तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	2.28
		39.94

(रू0 उनतालीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186570/2024

अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2

I/186315/2024

संख्या–   /IV(2)-श0वि0–2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 5834 दिनांक 25 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में वर्णित योजना कार्यों हेतु **रू0 72.60 लाख (रू0 बहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	नगर निकाय का नाम/योजना का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	
1	वार्ड नं0 01 में स्टेट बैंक से शारदा घाट सड़क मिलान तक सड़क के दोनों ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	10.17
2	वार्ड नं0 03 में ललित अवस्थी के घर से राजेश के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.29
3	वार्ड नं0 03 में वीरेन्द्र शर्मा के मकान से विनोद शर्मा के प्लाट तक एवं लिंक रोड़ का इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.21
4	वार्ड 09 में राजेन्द्र बहादुर के मकान से बोरागोठ सड़क मिलान तक सड़क नाली निर्माण का कार्य।	10.28
5	वार्ड नं0 11 में भवानी टम्टा के मकान से अधिकारी के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.50
6	वार्ड नं0 02 में क्रेशर की पुलिया से नूर हंसी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण एवं नाली में मरम्मत कार्य।	4.77
7	वार्ड नं0 04 में बबलू के मकान से अख्तर के मकान तक सड़क एवं नाली	11.43

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186315/2024

	निर्माण का कार्य।	
8	वार्ड संख्या–11 शर्मा के मकान से शंकरगढ़ कोटी के मकान सड़क निर्माण कार्य।	10.95
	योग:–	**72.60**

i. उक्त धनराशि **रू0 72.60 लाख (रू0 बहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, टनकपुर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC(, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186315/2024

जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

xiv. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं.- 13** के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>- अलॉटमेन्ट आई डी-S.................................,

भवदीय,
Signed by Sunil Singh
Date: 31-01-2024 16:16:33
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186315/2024

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 31-01-2024 16:19:38

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–13(सा0)23

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक– जनवरी, 2024

विषय : जी–20 कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक में गौशाला निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 110478/IV(2)–श0वि0–2023, दिनांक 27.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जी–20 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, स्वर्गाश्रमजौंक में गौशाला निर्माण कार्य हेतु रू0 69.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 27.668 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में आपके पत्रांक–3582/श0वि0नि0–03(UC–निर्माण कार्य)/10, दिनांक 19.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी–20 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, स्वर्गाश्रमजौंक में गौशाला निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 69.17 लाख – रू0 27.668 लाख = रू0 41.502 लाख (रूपये इकतालीस लाख पचास हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 41.502 लाख (रूपये इकतालीस लाख पचास हजार दो सौ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, स्वर्गाश्रमजौंक को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

3. शासनादेश संख्याः 110478/IV(2)–श0वि0–2023, दिनांक 27.03.2023 द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 27.668 लाख को यदि निकाय द्वारा बैंक बचत खाते में रक्षित किया गया था, तो तदनुसार अर्जित ब्याज की सूचना नगर निकाय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी और वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर अर्जित ब्याज की सूचना भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

5. निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अवशेष धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

10. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 110478/दि0 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का दिनांक 31–12–2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक स्थिति में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/IV(2)–श0वि0–2024–13(सा0)23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

/185419/2024

5. निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अवशेष धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

10. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 110478/दि0 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का दिनांक 31–12–2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक स्थिति में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/IV(2)–श0वि0–2024–13(सा0)23, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

/185419/2024

2. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2 / निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रमजौंक।
7. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Sunil Singh
Date: 29-01-2024 13:56:31

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

I/186739/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5887, दिनांक 27.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 14 योजनाओं हेतु **रू0 100.41 लाख (रू0 एक करोड़ इकतालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 100.41 लाख (रू0 एक करोड़ इकतालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, सुल्तानपुर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on [illegible]

I/186739/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S.................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 16:09:48

संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सुल्तानपुर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 16:17:40

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 1-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2024

I/186739/2024

अनु सचिव।

शासनादेश सं0– (i)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

क्र.स.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, सुल्तानपुर	
1	शिवनगर वार्ड न0 1 में रामअवतार के मकान से मन्दिर तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.09
2	शिवनगर वार्ड न0 1 में रमेश के मकान से शिब्बू अग्रवाल के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	2.82
3	टाण्डाबंजारा बार्ड नं0 3 में राजकीय पशुचिकित्सालय में टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	4.94
4	टाण्डाबंजारा वार्ड न0 3 में शिव मन्दिर के कोने से बन्दे तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	1.47
5	टाण्डाबंजारा बार्ड न0 3 में हुकुम सिंह के मकान से टंकी के कोने तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	7.33
6	टाण्डाबंजारा वार्ड नं0 3 में रविन्द्र के मकान से प्रेमशंकर के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.76
7	टाण्डाबंजारा वार्ड नं0 3 में आशोक के मकान से प्रवीण के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.79
8	श्यामनगर वार्ड नं0 5 में महन्दी लम्बड़दार की दुकान से यशपाल के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	5.63
9	आर्यनगर वार्ड नं0 06 में प्रदीप लाल के मकान से डॉ आनन्द सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निमाण कार्य।	17.02
10	आदर्शनगर वार्ड नं0 7 में शकील के मकान से ईदगाह के गेट तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	6.11
11	आदर्शनगर वार्ड नं0 7 में डॉ शमशाद की दुकान से नफीस की दुकान तक व गुलाम शाबीर मास्टर के मकान से अकरम के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	6.78
12	आदर्शनगर वार्ड नं0 7 में विपिन की दुकान से यामीन के मकान व कलुआ के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	10.48
13	आदर्शनगर वार्ड न0 7 में बन्टी के मकान से नीसार के मकान को होते हये नवीजान के मकान तक व राशीर मुल्ला जी के मकान से	10.28

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/09/2

I/186739/2024

	अब्दुल रब के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	
14	आदर्श नगर वार्ड न0 7 में हकमुद्दीन के मकान से गिरीश के मकान के कोने से सईद के मकान तक व याकूब के मकान से उमर मास्टर के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	10.91
	योगः–	**100.41**

(रु0 एक करोड इक्तालीस हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186575/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, इमलीखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5964 दिनांक 31.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, इमलीखेड़ा, हरिद्वार हेतु संलग्नक–1 की तालिका में वर्णित कुल 14 योजना कार्यों हेतु संस्तुत लागत **रू0 80.64 लाख (रू0 अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

i. उक्त धनराशि **रू0 80.64 लाख (रू0 अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, इमलीखेड़ा, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/ मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186575/2024

प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयान्तर्गत पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

xiv. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:51:06
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. – वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. – जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. – वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. – वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. – वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, इमलीखेड़ा, हरिद्वार

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186575/2024

8. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. - गार्ड फाईल।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 12:56:16

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

<u>शासनादेश संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024 का संलग्नक–1</u>

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	नगर निकाय का नाम/योजना का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पंचायत, इमलीखेड़ा	
1	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के माजरी में कर्मवीर के घर से ऋषिपाल के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4.15
2	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में योगेन्द्र सैनी के घर से महिपाल के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	9.76
3	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के माजरी में बालेश्वर के घर से सुबोध के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4.98
4	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में संजू के घर से इरान के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	1.62
5	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में प्रेम सिंह के घर से सतपाल के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4.08
6	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के ग्राम गुम्मावाला में दिलशाद के घर से राकेश के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	5.08
7	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में मेन रोड़ से श्रवण के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	3.07
8	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में मेन रोड से प्रेम के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4.69
9	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के ग्राम गुम्मावाला में भागन सिंह के घेर से मोहल्लड के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	6.62
10	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के गुम्मावाला में राजकीय प्रा0वि0 नाथीराम के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	8.50
11	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के माजरी में विपिन के घर से कौशल के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	6.16
12	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में जुल्फुकार के घेर से बाबूराम के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	9.76
13	नगर पंचायत इमलीखेड़ा के माजरी में सुशील के घर से बिरमपाल प्रधान के घर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	3.22

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCI, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186575/2024

14	नगर पंचायत इमलीखेड़ा में मेन रोड से पालसिंह मन्दिर की ओर इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	8.95
	योग:-	**80.64**

(रू0 अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र)

(सूरज सिंह विष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186560/2024

संख्या– /IV(2)–श०वि०–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, कालाढूंगी–नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 659, दिनांक 31.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, कालाढूंगी क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 17 योजनाओं हेतु **रू0 78.80 लाख (रू0 अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 78.80 लाख (रू0 अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, कालाढूंगी–नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186560/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के**अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/08(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जान रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S...............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:45:37
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कालादूंगी।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 12:46:50

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186560/2024

अनु सचिव।

शासनादेश सं0–   (1)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

क.स.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, कालाढूंगी	
1	वार्ड नं0 07 में ट्यूवल के पास से नन्दन सिंह के प्लाट तक टाईल्स रोड़ का नवनिर्माण कार्य।	4.97
2	वार्ड नं0 02 में कुन्दन की दुकान से कन्या जूनियर स्कूल की चार दीवारी तक नाली व आ0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	10.93
3	वार्ड नं0 02 में हातिम राईस मिल से अखिलेश वर्मा के घर तक टाईल्स रोड़ का नवनिर्माण कार्य।	7.32
4	वार्ड नं0 02 में संजय कुमार के घर से प्रदीप जी के घर तक क्षतिग्रस्त रोड़ का निर्माण कार्य।	4.90
5	वार्ड नं0 07 में भूपेन्द्र के बाग से प्रदीप सिंह के खेत तक टाईल्स रोड़ का नवनिर्माण कार्य।	4.62
6	वार्ड नं0 01 में जानकी जी के घर के आगे टाईल्स के फुटपाथ का निर्माण कार्य।	2.30
7	नगर पंचायत कालाढूंगी के अन्तर्गत वार्ड नं0 02 में दीपक सिंह के खेतों में गूल व दीवार का निर्माण कार्य।	3.81
8	वार्ड नं0 02 में भुवन के घर से कैलाश जी के घर तक एवं नन्द प्रकाश मेहता जी के घर से कैलाश जी के घर तक एवं कैलाश जी के घर से नवीन चन्द्र जी के घर तक क्षतिग्रस्त रोड़ का निर्माण कार्य।	4.92
9	नगर पंचायत, कालाढूंगी वार्ड नं0 05 बालाजी फोटो स्टूडियो से नगर पंचायत की दुकान तक एवं जोशी जी की दुकान से फारूक कुरैशी के घर तक टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	2.87
10	वार्ड नं0 02 में मीना माण्णले जी के घर से रेखा गुप्ता के घर तक टाईल्स रोड़ का नवनिर्माण कार्य।	3.28
11	वार्ड नं0 01 में मोहन सिंह बिष्ट के घर से नारायण सिंह नेगी के घर तक क्षतिग्रस्त दीवार एवं रोड़ का निर्माण कार्य।	1.92
12	वार्ड नं0 02 में हितेश जी के घर से अखिलेश जी के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	3.86

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186560/2024

13	वार्ड नं0 01 में ऊँ शांती सदन से कैलाश चन्द्र काण्डपाल जी के घर तक टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	4.94
14	वार्ड नं0 06 में शमी अहमद की दुकान से भुवन सती के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड़ निर्माण कार्य।	6.13
15	वार्ड नं0 07 में मोहन सिंह जी के घर से भानू प्रताप जी के घर तक एवं प्रदीप सिंह जी के घर से सामने टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	5.02
16	वार्ड नं0 02 में प्रदीप जी के घर से नवीन चन्द्र जी के घर तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	2.05
17	वार्ड नं0 07 में नन्दन सिंह के खेत से प्रदीप सिंह के घर तक टाईल्स रोड का नवनिर्माण कार्य।	4.96
	योग–	**78.80**

(रू0 अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/2(

I/186578/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5887, दिनांक 27.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 19 योजनाओं हेतु **रू0 97.45 लाख (रू0 सत्तानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 97.45 लाख (रू0 सत्तानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BQ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186578/2024

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानो में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं-13** के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- अलॉटमेन्ट आई डी-S.................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:56:27
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर-हरिद्वार।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 12:59:20

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186578/2024

अनु सचिव।

शासनादेश सं0— (I)/IV(2)-श0वि0-2024 का संलग्नक-1

क.स.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार	
1	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में नया गांव में लाल्ला घास वाले के घर से जमशेद मिस्त्री कुम्हार के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	9.60
2	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इस्माइलपुर रोड पर मजहर नेता के प्लॉट से मदरसे के गेट तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	3.64
3	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इस्माइलपुर रोड पर शरीफ झोटे वाले के घर से मुजाहिर के घर तक सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	2.43
4	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में अड्डे पर लियाकत जुलाहे के घर से शराफत के घर तक सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	2.50
5	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मुखिया मस्जिद से अकबर के घर तक सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	7.14
6	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में रजा के घर से ईदगाह तक सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	3.29
7	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मौहल्ला ढाब में बशारत मियासाहब के घर से मोहसीन भट्टे वाले तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	8.06
8	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मौहल्ला ढाब में अब्दुल सलाम के घर से खुर्शीद के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	9.63
9	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मौहल्ला ढाब में तहसीन जामु के घर से मास्टर बसीर के घर तक सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	6.46
10	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में जामा मस्जिद के पास राशीद पटवारी की दुकान से शहजाद पटवारी के मकान तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	1.97
11	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में छापड पर मतलूब के घर से अलीहसन के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	2.14

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

I/186578/2024

12	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में छापड इकराम मिस्त्री के घर से इसरार के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	2.93
13	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में छापड पर नवाब के घर से भूरे घाणु के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	8.24
14	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में छापड पर मतलूब टुंडे के घर से लुकमान के घर तक सी0सी0 सडक चैनल आदि का कार्य।	2.50
15	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इस्माइलपुर रोड से सुलेमान व हनीफ चिकने के घर की ओर सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	4.34
16	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में तसलीम जमाल के घर के पास गुलजार व मास्टर गुलशेर के घर की ओर सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	5.03
17	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इस्माइलपुर रोड उम्र बस्ती नसीम बहरा धोबी के घर से नफीस मिस्त्री के घर की ओर सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	6.26
18	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में इस्माइलपुर रोड निकट उम्रबस्ती में मैन रोड से मस्जिद से होते हुये इस्लाम, जब्बाद के घर की ओर सी0सी0 सडक व चैनल आदि कार्य।	6.26
19	नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मौहल्ला मीरवाला में मास्टर इसरार के घर के पास मुस्तफा भड़भुजा से क़ब्रिस्तान की ओर सी0सी0 सडक व चैनल आदि का कार्य।	5.03
	योग	**97.45**

(रु0 सत्तानवे लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC), SECTION OFFICER, Urban Development Department on 01/02/20

UD2-2/A/2/2024-IV-2-Urban Development Department E-67165

I/184112/2024

संख्या– /IV(2)-श0वि0-2024-33(विवि0)23

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, पाडली गुर्जर, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 5834 दिनांक 25.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, पाडली गुर्जर, हरिद्वार हेतु निम्नलिखित तालिका में वर्णित कुल 6 योजना कार्यों हेतु संस्तुत लागत **रू0 91.06 लाख (रू0 इक्यानबे लाख छः हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	नगर निकाय का नाम/योजनाओं का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर	
1	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर में असलम के मकान से सौन्दर्य ब्यूटी पार्लर की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.51
2	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के पनियाला चन्दापुर में शाहपुर रोड से शमशान घाट तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.85
3	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर में लाइन्स स्कूल से नौमान डेयरी की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.62
4	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर में सुभाष ठेकेदार के मकान से वेदपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.94
5	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर में श्री राहुल के मकान से श्री ऋषिपाल के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.97
6	नगर पंचायत, पाडली गुर्जर के पनियाला चन्दापुर में हासन के मकान से मनमोहन मेडिकल स्टोर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.17
	योग–	**91.06**

उक्त स्वीकृत धनराशि **रू0 91.06 लाख (रू0 इक्यानबे लाख छः हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, पाडली गुर्जर, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत

धनराशि/कार्य/ मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस०ओ०आर० के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयान्तर्गत पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

xiv. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–11469/09(150)2019/XXVII(1)2023दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. - जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. - वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. - वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पाडली गुर्जर, हरिद्वार
8. - गार्ड फाईल

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 25-01-2024 12:23:01

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

I/182771/2024

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2023

प्रेषक,

सुनील सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   जनवरी,2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–2024 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, भवाली क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भवाली के पत्रांक– 1034/अ0वि0नि0/2023–24 दिनांक 11.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासनादेश संख्या– 110474, दिनांक 27.03.2023 के द्वारा नगर पालिका परिषद, भवाली क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित विवरणानुसार स्वीकृत कुल 09 निर्माण कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में **रू0 26.718 (रू0 छब्बीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
	नगर पालिका परिषद, भवाली			
1	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में किशन गुरुरानी आदि के घर से किशन बिष्ट के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.83	1.932	2.898
2	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में चारू नाथ आदि के मकान से दीवान राम के घर की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.99	1.996	2.994
3	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में किशन बिष्ट के घर से देवी बिष्ट के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	5.00	2.00	3.00
4	वार्ड नं0 07 में देवकी बिष्ट के घर से रमनराम के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.98	1.992	2.988
5	रेहड़ टमटयूड़ा वार्ड नं0 03 में इला अहमद के निलेश भट्ट जी के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.94	1.976	2.964
6	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में रमनराम के मकान से	4.99	1.996	2.994

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 18/01/2024 11:48 AM

I/182771/2024

	चारू नाथ आदि के घर की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।			
7	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में शान्ति केंद्र के कैलाश सुयाल आदि के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.83	1.932	2.898
8	दुगई स्टेट वार्ड नं0 07 में कैलाश सुयाल जी आदि के मकान से दीपक पाण्डे के घर की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.97	1.988	2.982
9	रेहड टमटयूडा वार्ड नं0 03 निलेश भट्ट जी के मकान से महता जी के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	5.00	2.00	3.00
	योगः–	**44.53**	**17.812**	**26.718**

I. उक्त धनराशि **रू0 26.718 (रू0 छब्बीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, लम्धौरा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. उक्त योजनाओं की स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या– 110474, दिनांक 27.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

III. उपरोक्त कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 17.812 लाख के सापेक्ष किये गये कार्यों का प्रशासक द्वारा सम्यक रूप से धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर के अधिकारी से मौका–मुआयना/परीक्षण आवश्यक रूप से कराया जायेगा।

IV. कार्यों का अन्तिम भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित प्रशासक सक्षम प्राधिकारी से कार्यों का सत्यापन कराने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक केअनुदान सं– 13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S.................................,

भवदीय,

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 18/01/2024 11:48 AM

I/182771/2024

Signed by Sunil Singh
Date: 16-01-2024 16:46:35

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0–   /IV(2)-श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भवाली   ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 16-01-2024 17:08:28

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 18/01/2024 11:48 AM

संख्या- /IV(2)-श0वि0-2024-33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, बाजपुर व लालपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 14861, दिनांक 02.08.2023 व पत्रांक 402, दिनांक 18.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर पालिका परिषद, बाजपुर व नगर पंचायत, लालपुर-उधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत संलग्न-1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 21 योजनाओं हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 165.09 लाख के सापेक्ष 'मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा-निर्देश 2010' के प्रस्तर-4 (1) के प्राविधानुसार राज्यांश 70 प्रतिशत के अनुपात में तालिका के स्तम्भ/कॉलम- 5 के अनुसार कुल **रू0 115.563 लाख (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र)**की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 115.563 लाख (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र)**आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं संलग्न-1 की तालिका में निर्धारित फांट के अनुसार नगर पालिका परिषद, बाजपुर व नगर पंचायत, लालपुर-उधमसिंहनगर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. **स्वीकृत की जा रही योजनाओं हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि का व्यय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।**

III. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त

करनी आवश्यक होगी।

VIII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3— उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं.— 13** के लेखाशीर्षक—4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—051—निर्माण—04—नगरों का समेकित विकास—0401—मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''—53— वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0—11469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक— अलॉटमेन्ट आई डी—S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh

Date: 19-02-2024 15:42:53

(सुनील सिंह)

संयुक्त सचिव।

<u>सं0— /IV(2)-शविo-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बाजपुर/लालपुर।

8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 19-02-2024 16:12:52

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- /IV(2)-श0वि0-2024-33(विविध)23 का संलग्नक-1

(धनराशि रू0 लाख में)

क0स0	नगर निकाय का नाम/योजनाओं का नाम	संस्तुत लागत	मु0म0घो0वि0यो0 दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार अवमुक्त धनराशि	
			निकाय अंश 30%	राज्यांश 70%
1	2	3	4	5
	(1) नगर पालिका परिषद, बाजपुर			
1	मुण्डिया पिस्तौर वार्ड न0-05 में नेहरू मार्ग पर अजीम अहमद के घर से दीपक पाण्डे के घर तक टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.90	5.97	13.93
2	सुभाषनगर वार्ड न0 08 में मण्डी रोड पर आनन्द सिंह यादव के घर से राकेश बंसल के घर तक टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	19.89	5.967	13.923
3	मजराबक्श वार्ड न0-09 में गुलाम मुस्तफा के घर से आलिम किराना स्टोर के सामने तक टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.41	3.123	7.287
4	मजराबक्श वार्ड न0- 09 में कमल देव के घर से राजकुमार मेहरोत्रा किराना स्टोर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	17.59	5.277	12.313
5	गिल चौक वार्ड न0-11 में तरसेम चन्द के घर से ओमप्रकाश के घर तक टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	19.85	5.955	13.895
	योग:-	**87.64**	**26.292**	**61.348**
	(2) नगर पंचायत, लालपुर			
1	नगर पंचायत, लालपुर में साई इन्कलेव के हेमेन्द कुमार के घर से रामेश्वरपुर रोड तक नाली निर्माण कार्य।	4.42	1.326	3.094
2	नगर पंचायत, लालपुर में साई इन्कलेव के अन्दर सनरजीत के खाली प्लाट से रामेश्वरपुर रोड तक नाली का निर्माण कार्य।	4.44	1.332	3.108
3	नगर पंचायत, लालपुर में साई इन्कलेव के अन्दर जितेन्द्र जी के घर से संजनजी के घर तक नाली का	4.31	1.293	3.017

	निर्माण का कार्य।			
4	नगर पंचायत, लालपुर में सांई इन्कलेव के अन्दर नरेश जी के घर से ऋषिपाल राना के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	4.42	1.326	3.094
5	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में हरीश राठौर के घर से अजय शर्मा के घर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.04	1.812	4.228
6	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में रितेश गंगावर के घर से शिवशक्ति मन्दिर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.05	1.815	4.235
7	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में जसवन्त कौर के घर से एन0एच0 74 तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.04	1.812	4.228
8	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड पर बालाजी कालोनी से नाले तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.90	1.77	4.13
9	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड पर भारत गैस गोदाम रोड वाली कालोनी में इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.04	1.812	4.228
10	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड से कृष्ण बन्सल के घर से सुखदेव के खाली प्लाट तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.90	1.77	4.13
11	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड से राकेश चौरसरिया के घर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.77	1.731	4.039
12	नगर पंचायत, लालपुर में बाल विकास विद्या मन्दिर के पास महुवाया रोड़ पर इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.18	0.954	2.226
13	नगर पंचायत, लालपुर में नवीन भट्ट के घर से खमरिया रोड तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.49	0.747	1.743
14	नगर पंचायत, लालपुर में आस्था कालोनी में गुरमीत सिंह के घर से सुभाष चन्द्र कपूर के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.45	0.735	1.715
15	नगर पंचायत, लालपुर में आस्था कालोनी में राजेश कुमार की दुकान से कुलवन्त सिंह के मकान तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.07	1.221	2.849
16	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ से रामसुही के घर से भारत गैस गोदाम तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.93	1.779	4.151
			23.235	54.215

		योग-	77.46		
		महायोग-	165.09	49.527	115.563

(रु0 एक करोड़ पन्द्रह लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या-   /IV(2)-श0वि0-2023(विविध)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2   देहरादून : दिनांक   फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभिन्न निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3212, दिनांक 12.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, ऋषिकेश/मसूरी/लण्ढौरा/गौचर/लालकुआँ/कर्णप्रयाग/पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत संलग्न-1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 30 योजनाओं हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 2111.08 लाख में से 30 प्रतिशत अर्थात रू0 633.324 लाख नगर निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय किये जाने की शर्त के साथ अवशेष लागत का 70 प्रतिशत रू0 1477.756 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त (60 प्रतिशत) के रूप में स्तम्भ/कॉलम-5 में उल्लिखित कुल धनराशि **रू0 963.3148 लाख (रू0 नौ करोड़ तिरेसठ लाख एकतीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)** आहरित करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

I. उक्त धनराशि **रू0 963.3148 लाख (रू0 नौ करोड़ तिरेसठ लाख एकतीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं संलग्न-1 की तालिका में निर्धारित फांट के अनुसार नगर निकाय, ऋषिकेश/मसूरी/लण्ढौरा/गौचर/लालकुआँ/कर्णप्रयाग/ पिथौरागढ़ को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना से संबंधित समस्त लागू दिशा-निर्देशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. स्वीकृत की जा रही योजनाओं हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि का व्यय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।

IV. चूंकि निकायों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृतियां होती है। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इसका भी परीक्षण कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत न हुए हो अर्थात् कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

V. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

VI. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VIII. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

IX. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

X. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

XI. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

XII. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XIII. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XIV. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XV. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XVI. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XVII. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक केअनुदान सं.- 13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 189735/2024, दिनांक 12.02.2024 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S...............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh

Date: 19-02-2024 15:53:54

संयुक्त सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

I/191627/2024

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/चमोली/नैनीताल/पिथौरागढ़।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, नगर निकाय, ऋषिकेश/मसूरी/लण्ढौरा/गौचर/लालकुआँ/कर्णप्रयाग/पिथौरागढ़।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 19-02-2024 16:02:36

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0- (i)/IV(2)-श0वि0-2023 का संलग्नक-1

(धनराशि रू0लाख में)

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत	राज्यांश 70%	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
(1) नगर निगम, ऋषिकेश				
1	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बापू ग्राम मार्ग पर हरिद्वार रोड से बीस बीघा तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	97.09	67.963	40.7778
2	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मीरानगर मुख्य मार्ग पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	89.02	62.314	37.3884
3	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बीस बीघा गली नं-3 और 4 पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	78.02	54.614	32.7684
4	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अमितग्राम में जंगलात रोड और अन्य लिंक रोडों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	98.17	68.719	41.2314
5	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मंशा देवी में विभिन्न भीतरी सड़कों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	99.59	69.713	41.8278
6	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत वीरभद्र रोड पर	76.62	53.634	32.1804

	हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।			
7	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत नेहरू ग्राम में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	89.73	62.811	37.6866
8	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत उग्रसेन नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	66.23	46.361	27.8166
9	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मिश्रा फार्म में शास्त्री नगर और गली नं0–6 सोमेश्वर नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	66.06	46.242	27.7452
10	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत शिवाजी नगर पुलिया से एम्स बाउन्ड्री तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	94.56	66.192	39.7152
11	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास कॉलोनी में वीरभद्र रोड पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	98.87	69.209	41.5254
12	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत नेहरू ग्राम विस्थापित कॉलोनी में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	68.07	47.649	28.5894
13	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अमित ग्राम में विभिन्न अन्दरूनी सड़क मार्गों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	99.39	69.573	41.7438
14	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मंशा देवी पुलिया से मंशा देवी मन्दिर और धीमान फर्नीचर से मंशा देवी तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	97.35	68.145	40.887
15	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बापूग्राम रोड शिवाजी नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	99.4	69.58	41.748
16	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत जयराम मार्ग, साईं विहार एवं चुंगी मार्ग का हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	54.2	37.94	22.764
17	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत गोल मार्केट, आई0एस0बी0टी0 एवं घाट रोड में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	90.66	63.462	38.0772
18	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत श्रद्धानन्द मार्ग, गोविन्द नगर, दुर्गा मन्दिर, चन्द्रेश्वर मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	97.58	68.306	40.9836
19	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत आदर्श नगर, मनीराम मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	93.13	65.191	39.1146
20	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत भैरव मन्दिर, हीरालाल बाल्मिकी बस्ती और नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	88.73	62.111	37.2666
21	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डी0जी0बी0आर0,	94.82	66.374	39.8244

	मॉर्डन स्कूल, सदानन्द मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से डामरीकरण निर्माण का कार्य।			
22	वार्ड नं0 25 मैलडी नं0 ... में सामुदायिक भवन के विस्तारीकरण के कार्य।	34.76	24.332	24.332
	योगः—	**1872.05**	**1310.435**	**795.9938**
(2) नगर पालिका परिषद, मसूरी				
1	बुल्हाट कैम्प से दुधली की ओर जाने वाली सड़क का नवनिर्माण तथा चौड़ीकरण का निर्माण कार्य।	25.62	17.934	17.934
2	मिलाडू से जिन्सी की ओर जाने वाली सड़क का नवनिर्माण कार्य।	25.95	18.165	18.165
	योगः—	**51.57**	**36.099**	**36.099**
(3) नगर पंचायत, लण्ढौरा				
1	कस्बा लण्ढौरा में जौरासी रोड से वसीम के मकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	21.59	15.113	15.113
(4) नगर पालिका परिषद, गौचर				
1	एन0एच0 बन्दरखण्ड प्राईमरी स्कूल से घाट मार्ग की ओर मार्ग निर्माण कार्य।	28.99	20.293	20.293
2	एन0एच0 से रघुनाथ मन्दिर की ओर मार्ग निर्माण कार्य।	38.68	27.076	27.076
		67.67	**47.369**	**47.369**
(5) नगर पंचायत, लालकुआँ				
1	नगर पंचायत, लालकुआँ वार्ड नं0—03 जवाहर नगर में पुलिस कोतवाली के बगल से जंगलात बैरियर तक मोटर मार्ग में बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण / सुधारीकरण का कार्य।	57.00	39.90	39.90
(6) नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग				
1	सिमली सड़क से सुभाषनगर मार्ग पर इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	21.09	14.763	14.763
(7) नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़				
1	वार्ड ऐंचोली (अ0जा0 बस्ती) खली में मसघाटी मोटर रोड से श्री शंकर प्रसाद भवन के निकट रास्ता निर्माण कार्य।	20.11	14.077	**14.077**
	महायोगः—	**2111.08**	**1477.756**	**963.3148**

(रू0 नौ करोड़ तिरेसठ लाख एकतीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)

अनु सचिव।

संख्या- /IV(2)-श0वि0-2023

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, हल्द्वानी व रामपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2606, दिनांक 13.10.2023 व पत्रांक 16437, दिनांक 16.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, हल्द्वानी व नगर पंचायत रामपुर-हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत संलग्न-1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 15 योजनाओं हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 197.81 के सापेक्ष मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा-निर्देश 2010' के प्रस्तर-4 (1) के प्राविधानुसार राज्यांश 70 प्रतिशत के अनुपात में तालिका के स्तम्भ/कॉलम-5 के अनुसार कुल रू0 138.467 लाख **(रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख छियालिस हजार सात सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **रू0 138.467 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख छियालिस हजार सात सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हल्द्वानी व नगर पंचायत, रामपुर-हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. **स्वीकृत की जा रही योजनाओं हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि का व्यय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।**

III. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. **धनराशि का पूर्ण उपभोग कर, कार्यो का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के**अनुदान सं–** 13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S.................................

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
(सुनील सिंह)
Date: 19-02-2024 17:20:05
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/नगर पंचायत, हल्द्वानी/रामपुर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 19-02-2024 17:29:17

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश सं०– (1)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 दिशा–निर्देश 2010 के अनुसार अवमुक्त धनराशि	
			निकाय अंश 30%	राज्यांश 70%
1	2	3	4	5
	नगर निगम, हल्द्वानी			
1	वार्ड नं0 48 लाल सिंह बोरावाली गली में रिमझिम विला से पुष्कर सिंह बिष्ट जी के प्लांट तक सी0 सी0रोड़ को निर्माण कार्य।	14.74	4.422	10.318
2	वार्ड नं0 45 सर्वप्रिय विहार के समीप सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।	14.11	4.233	9.877
3	वार्ड नं0 27 गांधी नगर में श्री नीटू सोनकर जी के घर से स्कूल तक सी0 सी0 रोड को निर्माण कार्य।	11.84	3.552	8.288
4	वार्ड नं0 09 निशान्त विहार में बिष्ट जी के घर से श्री गिरीश नैनवाल जी के घर तक सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।	10.70	3.21	7.49
5	वार्ड नं0 57 कृष्णा कालोनी में सी0 सी0 रोड को निर्माण कार्य।	10.67	3.201	7.469
6	वार्ड नं0 60 गौजाजाली बिचली राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।	10.46	3.138	7.322
7	वार्ड नं0 37 हल्दी खाल, हिल्स व्यू कालोनी में सी0 सी0रोड को निर्माण कार्य।	16.74	5.022	11.718
8	वार्ड नं0 38 चन्द फार्म बिठोरिया नं0 02 संस्कृति विहार में बी0एस0 भण्डारी जी के घर से कैलाश चन्द्र सिंह जी के घर तक सी0 सी0रोड को निर्माण कार्य।	12.39	3.717	8.673
	योग:–	**101.65**	**30.495**	**71.155**
	नगर पंचायत रामपुर–हरिद्वार			

1	ग्राम इब्राहीमपुर देह में महबूब के खेत से अय्याज के खेत की ओर सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	16.85	5.055	11.795
2	ग्राम सालियर में मैन रोड महेश की दुकान से बाबूराम डिग्री कालेज तक इन्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण का कार्य।	18.97	5.691	13.279
3	ग्राम सालियर में मैन रोड से शाहबाज की दुकान की ओर इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	16.86	5.058	11.802
4	ग्रीन पार्क कालोनी रामपुर में गली न० 06 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	12.63	3.789	8.841
5	ग्रीन पार्क कालोनी रामपुर में गली न० 07 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	12.63	3.789	8.841
6	मैन रोड से नगर पंचायत रामपुर कार्यालय की ओर जाने वाले सड़क निर्माण कार्य।	10.54	3.162	7.378
7	मा० विधायक हाजी फुरकान अहमद जी के आवास से पश्चिम की ओर मैन रोड पर स्थित मस्जिद के सामने नाला मरम्मत एवं पैम्पर निर्माण कार्य।	7.68	2.304	5.376
	योग	**96.16**	**28.848**	**67.312**
	महायोग–	**197.81**	**59.343**	**138.467**

(रू० एक करोड़ अड़तीस लाख छियालिस हजार सात सौ मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(विविध)23

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषय– अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 मे नगर पालिका परिषद्, किच्छा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 490 दिनांक 20.07.2022 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, किच्छा हेतु संलग्नक–1 की तालिका में वर्णित कुल 12 योजना कार्यों हेतु **रु0 78.24 लाख (रू0 अठहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **रू0 78.24 लाख (रू0 अठहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, किच्छा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/ मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iv. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

v. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा

प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

x. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

xi. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xiii. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयान्तर्गत पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास /शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं0-13** के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53-- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-11469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31मार्च, 2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S..............................,

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
(नितिन सिंह भदौरिया)
Date: 18-01-2024 13:24:56
अपर सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-शा0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किच्छा।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(विविध)23 का संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं	निकाय का नाम/योजना का नाम	संस्तुत लागत
	नगर नगरपालिका परिषद, किच्छा	
1	चुकटी देवरिया वार्ड नं0 01 में 01 मल्ली देवरिया रोड से धर्मेन्द्र नेगी के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य	4.04
2	किशनपुर सिसई वार्ड न0–03 में कुन्नी यादव के मकान से हाकिम मियां के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	3.00
3	वण्ड़िया वार्ड न0–04 में निक्की के मकान से मनोज दानु के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	4.09
4	वण्ड़िया वार्ड न0–04 में मनोज मिश्रा की दुकान से लवलेश तिवारी के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली का निर्माण।	2.48
5	वण्ड़िया वार्ड न0–04 में शिवदत्त जोशी के मकान से धर्मा बिष्ट के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण व चीनी मिल के कमरो के सामने नाली का निर्माण कार्य।	3.45
6	वण्ड़िया भटटा वार्ड न0–05 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिटटी भराव तथा नाली निर्माण कार्य।	4.71
7	कालेज वार्ड न0–15 रहीम कालोनी में गुडडू के मकान से इरशाद सलमानी के मकान तक मिटटी भराव तथा नाली निर्माण कार्य।	4.99
8	कालेज वार्ड न0–15 में लीला कारीगर के मकान से माधुराम के मकान को होते हुए माया गंगवार व गोपाला देवी के मकान तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	4.87
9	टीचर्स कालोनी वार्ड न0–16 में तालाब से टाईल्स सड़क तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	2.67
10	बण्ड़िया भटटा वार्ड न0–05 में रामनिवास शर्मा के मकान से त्रिलोक सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	5.33
11	आजाद नगर वार्ड नं0 02 में जानकी प्रसाद के मकान से माइकल के मकान को होते हुए सी0सी0 रोड के सामने तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	19.96
12	किशनपुर सिसई वार्ड न0–03 में चम्पा जोशी के प्लाट से रावत भवन तक टाईल्स सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	18.65
	योग	**78.24**

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 18-01-2024 16:45:07

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

I/183387/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–33(सा0)23

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक **659** दिनांक 31.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु **रू0 19.63 लाख (रू0 उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. स.	नगर निकाय का नाम/निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	
1	सेमी में प्रा0वि0 से गांव तक रास्ता मरम्मत कार्य।	**5.15**
2	सांकरी में सिमली सड़क से मतेथा जी के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	**6.70**
3	नगर पालिका कार्यालय के समीप से अपर वार्ड में रास्ता नाली निर्माण कार्य।	**7.78**
	योगः–	**19.63**

उक्त धनराशि हेतु **रू0 19.63 लाख (रू0 उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 15/01/2024 10:35 AM

I/183387/2024

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्धनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Nitin Singh
Bhadauria
Date: 18-01-2024 13:26:28
(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 19/01/2024 10:35 AM

I/183387/2024

7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 18-01-2024 16:54:13

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 19/01/2024 10:35 AM

/186546/2024

संख्या– 186541/IV(2)-श0वि0–2024-03(सा0)24।

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 01, फरवरी, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2845, दिनांक 24.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु **रू0 43.71 लाख (रू0 तैंतालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. स.	नगर निकाय का नाम/निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	
1	वार्ड ऐंचोली किनीगांव में आन्तरिक मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	19.88
2	वार्ड भाटकोट (अल्पसंख्यक समुदाय बस्ती) कब्रिस्तान मार्ग मरम्मत कार्य।	19.95
3	वार्ड सेरा–पुनेड़ी (अल्पसंख्यक समुदाय बस्ती) श्री अली खान भवन के निकट से श्री इब्राहिम खान भवन की ओर रास्ता मरम्मत कार्य।	3.88
	कुल योग:–	**43.71**

उक्त धनराशि हेतु **रू0 43.71 लाख (रू0 तैंतालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय–व्ययक केअनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S 240201300017..........

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 12:36:14
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

186541
सं0– /IV(2)-श0वि0–2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

2024

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 12:41:11

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या– 186584 / IV(2)–श0वि0–2024–03(सा0)24

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 853, दिनांक 13.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत संलग्न–1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 24 योजनाओं हेतु **रू0 87.82 लाख (रू0 सत्तासी लाख बयासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि हेतु **रू0 87.82 लाख (रू0 सत्तासी लाख बयासी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, जसपुर–ऊधमसिंहनगर को बैंक ड्राफ्ट / चैक / इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति / जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि / कार्य / मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद / योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय-व्ययक केअनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जान रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेन्ट आई डी-S24020130019,.........,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-02-2024 13:01:52
संयुक्त सचिव।

186584,
सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जसपुर।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-02-2024 13:03:51

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)

अनु सचिव।

शासनादेश सं0–186584, (1)/IV(2)-श0वि0–2024 का संलग्नक–1

क.स.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू0 में)
	नगर पालिका परिषद, जसपुर	
1	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड न0 03 में डा0 होरी सिंह के मकान से महावीर सिंह के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.78
2	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड न0 03 में कलीम की चक्की से फारूख के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	4.43
3	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 03 में मनदीप के मकान से ब्रजेश के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली का निर्माण कार्य।	3.12
4	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड न0 03 में मनोज के मकान से नीरज के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली का निर्माण कार्य।	2.38
5	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 03 में शैलेन्द्र के मकान से सोमपाल के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली का निर्माण कार्य।	2.45
6	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 04 में कामेश के मकान से वैशाली कालोनी के गेट तक खडजा व नाली का निर्माण कार्य।	5.00
7	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में हुस्नु के मकान से अनीस के मकान तक सी0सी0 टाईल्स नाली का निर्माण कार्य।	1.79
8	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में इल्यास के मकान से मुबीन के मकान तक सी0सी0 टाईल्स नाली का निर्माण कार्य।	3.22
9	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में इरफान के मकान से साजिद के मकान तक खडजा व नाली का निर्माण कार्य।	2.93
10	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में इरफान के मकान से शफीक के मकान तक सी0सी0 टाईल्स नाली का निर्माण कार्य।	3.19
11	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में सरवरी के मकान से सलीम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स नाली का निर्माण कार्य।	1.73
12	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 16 में नसीम के मकान से रियासत के मकान तक खडजा व नाली का निर्माण कार्य।	3.75
13	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 17 में शमशाद के मकान से सुलेमान के मकान तक सी0सी0 टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	2.79

14	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में फहमिदा के मकान से युसुफ के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	4.02
15	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में हनीफ के मकान से इल्यास के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3.58
16	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में महुआखेड़ा रोड़ से सुशील के मकान तक सी0सी0 टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	4.46
17	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में इस्माईल के मकान से जायदा के मकान तक सी0सी0 सड़के व नाली का निर्माण कार्य।	3.95
18	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में सदाकत हुसैन के मकान से शेर खान के मकान तक खड़जा व नाली निर्माण कार्य।	5.76
19	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 18 में नासिर के मकान से आबिद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.73
20	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 20 में हसीन फातमा के मकान से खलीक के मकान तक सी0सी0 टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	4.31
21	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 20 नजर के मकान से नाजिम के मकान तक खड़जा व नाली का निर्माण कार्य।	5.61
22	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 20 नजर के प्लाट से सददीक के मकान तक खड़जा व नाली का निर्माण कार्य।	3.12
23	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 20 सददीक के मकान से बिलाल मस्जिद तक खड़जा व नाली का निर्माण कार्य।	5.60
24	नगर पालिका परिषद जसपुर वार्ड नं0 20 में ताहिर के मकान से सरफराज के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	4.12
	योग:–	**87.82**

(रू0 सत्तासी लाख बयासी हजार मात्र)

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–20(सा0)21

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक– फरवरी, 2024

विषयः नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत 'स्व0 हरीप्रसाद टम्टा रैनबसेरा निर्माण' कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 82492/IV(2)-श0वि0–2022–20(सा0)21, दिनांक 16.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत 'स्व0 हरीप्रसाद टम्टा रैनबसेरा निर्माण हेतु रू0 94.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 37.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–4638/2437/श0वि0नि0 (रैन बसेरा), दिनांक 09.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 94.20 लाख – रू0 37.68 लाख = **रू0 56.52 लाख (रूपये छप्पन लाख बावन हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 56.52 लाख (रूपये छप्पन लाख बावन हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. शासनादेश संख्याः 82492/IV(2)-श0वि0–2022–20(सा0)21, दिनांक 16.12.2022 द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 37.68 लाख को यदि निकाय द्वारा बैंक बचत खाते में रक्षित किया गया था, तो तद्नुसार अर्जित ब्याज की सूचना नगर निकाय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी और वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर अर्जित ब्याज की सूचना भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त नगर निकाय को प्रश्नगत कार्य के सापेक्ष एल–1 दरों का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और यदि एल–1 दर योजना लागत से न्यून है, तो उक्त अतिरिक्त धनराशि शीघ्रातिशीघ्र शासन को समर्पित की जायेगी।
4. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों

आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5. निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नही करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

10. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 82492/दि0 16.12.2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का दिनांक 31–12–2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, रैन बसेरा निर्माण सम्बन्धी रंगीन फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के 15 दिवस के पश्चात शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाने का उत्तरदायित्व अधिशासी अधिकारी का होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0402–रैन बसेरों का निर्माण" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय प्रकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा। स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
Date: 26-02-2024 14:40:11
(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 26-02-2024 17:00:47

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या– / IV(2)-श0वि0–2024–19(सा0)21

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक– फरवरी, 2024

विषय: नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत ए0बी0सी0 कैम्पस निर्माण (02 रिटायरिंग रूम, हॉल व शौचालय, पैन्ट्री व 10 नवीन कैनाल) हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 91310/IV(2)-श0वि0–2022–19(सा0)21, दिनांक 16.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत ए0बी0सी0 कैम्पस निर्माण (02 रिटायरिंग रूम, हॉल व शौचालय, पैन्ट्री व 10 नवीन कैनाल) हेतु रू0 57.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 34.71 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–4627/479/प0क0बो0/श0वि0नि0, दिनांक 09.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 57.85 लाख – रू0 34.71 लाख = **रू0 23.14 लाख (रूपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 23.14 लाख (रूपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

3. शासनादेश संख्या: 97282/IV(2)-श0वि0–2022–05(सा0)/12, दिनांक 08.02.2023 द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 50.20 लाख को यदि निकाय द्वारा बैंक बचत खाते में रक्षित किया गया था, तो तद्नुसार अर्जित ब्याज की सूचना नगर निकाय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी और वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर अर्जित ब्याज की सूचना भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त नगर निकाय को प्रश्नगत कार्य के सापेक्ष एल–1 दरों का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और यदि एल–1 दर योजना लागत से न्यून है, तो उक्त अतिरिक्त धनराशि शीघ्रातिशीघ्र शासन को समर्पित की जायेगी।

4. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों

आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5. निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अवेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

10. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 91310/दि0 16.01.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का दिनांक 31–12–2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, ए0बी0सी0 कैम्पस के सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के 15 दिवस के पश्चात शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0404–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय करण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण" के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जाएगा। स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 22-02-2024 11:31:30
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

I/192568/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 22-02-2024 16:24:39

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2024/16(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– फरवरी, 2024

विषयः विभिन्न नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित गौवंश को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु गौसदनों के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2631/1840/श0वि0नि0–गौसदन/डी0पी0आर0/23, दिनांक 13.10.2023 एवं पत्रांक–2860/1840/श0वि0नि0–गौसदन/डी0पी0आर0/23, दिनांक 01.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित गौवंश को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु **कुल रू0 101.99 लाख (रूपये एक करोड़ एक लाख निन्यानवे हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1.	न0पा0परिषद, कर्णप्रयाग	वार्ड नं0–06 में सिमली के टटासू मज्याड़ी में गौसदन निर्माण।	33.33
2.	न0पा0 परिषद, चिन्यालीसौड़	गौशाला निर्माण कार्य।	26.54
3.	नगर पंचायत, नौगांव	वार्ड संख्या–7 उपला सौली के पास गौशाला निर्माण।	42.12
		योग–	**101.99**

2– उपरोक्तानुसार धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित नगर निकायों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) नगर निकाय, चिन्यालीसौड़ एवं नौगांव द्वारा धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ एक सप्ताह के भीतर 'जनपद स्तरीय समिति' का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा और उक्त की एक प्रति शासन/शहरी विकास निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासक/अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) "उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।"

(4) उक्तानुसार स्वीकृत गौसदन निर्माण सम्बन्धी कार्यों को सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनके पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(6) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(7) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (जिस स्तर से आगणन स्वीकृत की गई है) की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय ।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(10) आगणन में धनराशि जिन मदों/कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद/कार्य में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(11) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(13) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(14) कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता, Duplicacy एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः पालन किया जाय तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/निर्माण एजेन्सी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(15) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(16) वित्तीय वर्ष 2023–24 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण कर, तद्नुसार कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि नगर निकायों के ऐसे खातों में हस्तान्तरित होती है, जिसमें नगर निकाय को ब्याज देय हो, तो प्रथम दिवस से उक्त देय ब्याज की गणना कर तद्नुसार उक्त धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

I/192254/2024

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–13 के लेखा–शीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–07–आवारा पशुओं हेतु आश्रय निर्माण–53–वृहद् निर्माण" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–190011, दिनांक 13.02.2024 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 21-02-2024 13:31:06

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली / उत्तरकाशी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / चमोली / उत्तरकाशी।
5. पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, कर्णप्रयाग / नौगांव / चिन्यालीसौड़।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2023–45(मु0घो0)/22

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक–   दिसम्बर, 2023

विषयः **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–458/2022 के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को ग्राम्य विकास विभाग की तर्ज पर आवास पूर्ण करने पर घरेलू साज सज्जा हेतु रू0 5000/– प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–458/2022 **"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को ग्राम्य विकास विभाग की तर्ज पर आवास पूर्ण करने पर घरेलू साज सज्जा हेतु रू0 5000/– प्रोत्साहन राशि दी जायेगी"** के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के **'लाभार्थी आधारित निर्माण घटक'** के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने वाले 11000 आवासों के सापेक्ष घरेलू साज–सज्जा हेतु रू0 5000/– प्रति आवास की दर से **कुल रू0 5,50,00,000/– (कुल पांच करोड़ पचास लाख रूपये मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अन्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1)आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शा0सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सम्बन्धित लाभार्थियों को आवंटित होने वाले आवास पूर्ण होने पर ही आवास आवंटन के समय घरेलू साज–सज्जा हेतु रू0 5000/– प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मासिक व्यय की सारणी बनाकर किया जाय तथा प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाए, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण

अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(7) योजना के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को आवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

(8) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक किया जाना सम्भव न हो तो उक्त धनराशि को नियमानुसार शासन को समर्पित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान अनुदान–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–96–केन्द्रीय योजनाओं के सापेक्ष टापअप–06–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1/174432/2023 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न– अलॉटमेंट आईडी..........।

भवदीय,

Signed by Nitin Singh Bhadauria
(नितिन सिंह भदौरिया) [overprinted: Date: 15-01-2024 ...:04]
अपर सचिव।

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2023–45(पु.नं.घो)/22 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Sunil Singh
Date: 17-01-2024 13:59:53 [overprinted: (सुनील सिंह)]
संयुक्त सचिव।

संख्याः /IV(2)-श0वि0-2024-01(ADB)18

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक- फरवरी, 2024

विषयः वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148, IND Uttarakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Project के अन्तर्गत अधिष्ठान-प्रशासनिक व्यय/डी0एस0सी0 व्ययों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 122854/IV(2)-श0वि0-2023-01(ADB)18,दिनांक 19.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण Loan No-4148, IND Uttarakhand Integrated and Resilient Urban Devlopment Project के अन्तर्गत अधिष्ठान-प्रशासनिक व्यय/डी0एस0सी0 व्ययों हेतु कुल रू0 11.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2 – उपरोक्त के क्रम में कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक-यू.यू.एस.डी.आई.ए./एफ.एन्ड.ए.-06-1521, दिनांक 07.12.2023 एवं पत्रांक-यू.यू.एस.डी.आई.ए./एफ.एन्ड.ए.-06/154, दिनांक 07.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं0-**4148, IND, UIRUDP** के अन्तर्गत अधिष्ठान-प्रशासनिक व्यय हेतु रू0 3.50 करोड एवं कन्सलटेंसी (डी0एस0सी0) व्यय हेतु रू0 5.50 करोड, इस प्रकार **कुल रू0 9.00 करोड (रूपये नौ करोड मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 9.00 करोड़ (रूपये नौ करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से/यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्‌विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्‌विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-03-2024 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2 – उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-9701-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0) (फेज-1)-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नकः-यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 27-02-2024 13:14:03
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प्रतिलिपि</u>, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 27-02-2024 13:27:51

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–88(सा0)15

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   फरवरी, 2024

विषय: स्वच्छता सर्वेक्षण, 2023 में चयनित नगर निकायों तथा छावनी परिषदों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4635/02/श0वि0नि0/न0ठो0अ0/12, दिनांक 13.02.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता '**स्वच्छता सर्वेक्षण, 2023**' में राज्य की नगर निकायों एवं छावनी परिषदों के प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली कुल 12 नगर निकायों/छावनी परिषदों (03 नगर निगम, 03 नगर पालिका परिषद, 03 नगर पंचायत तथा 03 छावनी परिषद) को '**अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना**' के अन्तर्गत निम्नवत् **कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रू0 में)

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार		द्वितीय पुरस्कार		तृतीय पुरस्कार		कुल धनराशि
	निकाय का नाम	धनराशि	निकाय का नाम	धनराशि	निकाय का नाम	धनराशि	
नगर निगम	देहरादून	35.00	हरिद्वार	25.00	रूड़की	20.00	80.00
नगर पालिका परिषद	मुनिकीरेती ढालवाल	25.00	मसूरी	20.00	नरेन्द्रनगर	15.00	60.00
नगर पंचायत	लालकुआँ	12.50	गूलरभोज	10.00	भिकियासैंण	7.50	30.00
छावनी परिषद	रानीखेत	12.50	लैंसडाउन	10.00	लण्ढौर	7.50	30.00
						कुल योग:–	200.00

(1) उक्त धनराशि **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर उपरोक्त तालिका के अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय/छावनी परिषद को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अवमुक्त की जायेगी।

(2) सम्बन्धित नगर निकायों व छावनी परिषदों को पुरस्कार स्वरूप दी जा रही धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग सम्बन्धित स्वच्छता कर्मचारियों को पुरस्कृत करने में एवं अवशेष 50

प्रतिशत का उपयोग स्वच्छता कार्यों/सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु करेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में योजना के दिशा निर्देश–2010, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 471/IV(2)–श0वि0–2019–88(सा0)15, दिनांक 09.07.2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: 144218/IV(2)–श0वि0–2023–88(सा0)15, दिनांक 07.08.2023 में उल्लिखित निर्देशों/प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान** सं.–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0303–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन निर्गत किये गये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 01-03-2024 13:39:04
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद, रानीखेत/लैंसडॉन/लण्ढौर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 01-03-2024 16:14:00
(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्याः /IV(2)–श०वि०–2024/16(सा०)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः विभिन्न नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित गौवंश को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु गौसदनों के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित गौवंश को आश्रय प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणनों के सापेक्ष निम्नवत् उल्लिखित गौशाला निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु कुल रू0 522.91 लाख (रूपये पाँच करोड़ बाईस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 में **प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 174.00 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)** को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	जनपद स्तरीय/विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित
1.	न0पा0 परिषद, पौड़ी गढ़वाल	गौशाला निर्माण कार्य।	103.25	61.96
2.	न0पा0 परिषद, दुगड्डा	ग्राम बढालगांव में 200 गायों हेतु गौशाला निर्माण।	316.47	50.14
3.	नगर पंचायत, पाडली गुज्जर	पंजीकृत गौशाला सभा, धानमण्डी, रूड़की की अन्य शाखा पनियाला चन्दापुर में गौशाला उच्चीकरण।	103.19	61.90
योग–			**522.91**	**174.00**

2– उपरोक्तानुसार धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित नगर निकायों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) "उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।"

(3) उक्तानुसार स्वीकृत गौसदन निर्माण सम्बन्धी कार्यों को सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनके पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

(4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(5) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (जिस स्तर से आगणन स्वीकृत की गई है) की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय ।

(7) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रिक्योरमेंट) नियमावली, 2017 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्‌विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय।

(8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(9) आगणन में धनराशि जिन मदों/कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद/कार्य में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(12) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(13) कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता, Duplicacy एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः पालन किया जाय तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/निर्माण एजेन्सी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(14) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/xiv 219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15) वित्तीय वर्ष 2023–24 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण कर, तदनुसार कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि नगर निकायों के ऐसे खातों में हस्तान्तरित होती है, जिसमें नगर निकाय को ब्याज देय हो, तो प्रथम दिवस से उक्त देय ब्याज की गणना कर तदनुसार उक्त धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–13 के लेखा–शीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–07–आवारा पशुओं हेतु आश्रय निर्माण–53–वृहद् निर्माण" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०–196414, दिनांक 06.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 07-03-2024 16:23:34

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हरिद्वार।
5. पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, पौड़ी/दुगड्डा/पाडली गुर्जर।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 07-03-2024 17:23:38

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

I/196967/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2024**

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में विभिन्न निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर निकाय, विकासनगर/बाडाहाट/पिथौरागढ़/बड़कोट/चिन्यालीसौड/बेरीनाग/दिनेशपुर/ऊखीमठ/पीपलकोटी क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 41 योजनाओं हेतु **रू0 360.39 लाख (रू0 तीन करोड़ साठ लाख उनचालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि **रू0 360.39 लाख (रू0 तीन करोड़ साठ लाख उनचालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, विकासनगर/बाडाहाट/पिथौरागढ़/बड़कोट/चिन्यालीसौड/बेरीनाग/दिनेशपुर/ऊखीमठ/पीपलकोटी को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/03/21

I/196967/2024

दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 07-03-2024 18:02:25
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त, विकासनगर/कालाढूंगी/थैलीसैंण/बड़कोट/चिन्यालीसौड़/बेरीनाग/दिनेशपुर/ऊखीमठ/पीपलकोटी नगर पंचायत, नौगांव।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC], SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/03/2

I/196967/2024

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0-2024 का
संलग्न सूची

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	(1) नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	
1	सुमंगलम बारातघर के निकट दीवार निर्माण एवं नाला मरम्मत कार्य।	11.39
2	वार्ड भाटकोट प्राईमरी पाठशाला रई के निकट से गंगानाथ मन्दिर के निकट तक सड़क निर्माण कार्य।	18.53
3	वार्ड भाटकोट कुम्या नौला के निकट से श्री महेश चन्द्र भट्ट भवन की ओर सड़क निर्माण कार्य।	19.87
4	वार्ड भाटकोट श्री महेश चन्द्र भट्ट भवन के निकट से सिविल जज सीनियर डिविजन आवास तक सड़क निर्माण कार्य।	19.94
	योग:-	**69.73**
	(2) नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़	
1	रविन्द्र पंवार के आगे विजयपाल चौहान के आगे तक सार्वजनिक रास्ते की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	14.91
2	वार्ड न0 03 विनोद सिंह के मकान से नागणी जाने वाले रास्ते पर सी0सी0 सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.59
3	वार्ड न0 03 विक्रम सिंह बिष्ट के मकान के नीचे सी0सी0 सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	4.99
4	पी0सी0सी0 सड़क एवं टाईल्स निर्माण कार्य कोटबागी रोड से प्रवीन बिष्ट के घर तक।	19.66
5	पी0सी0सी0 सड़क दीवार एवं टाईल्स निर्माण कार्य अरविन्द भवन से गर्ल्स इन्टर कॉलेज तक।	19.74
	योग:-	**63.89**
	(3) नगर पालिका परिषद, बेरीनाग	
1	वार्ड नं0- 01 में मेन रोड से तल्ली छितोली तक सीसी मार्ग निर्माण कार्य	11.38
2	वार्ड नं0- 01 में कालसिन मंदिर से गांव तक रेलिंग व टाईल कार्य।	06.81
3	वार्ड नं0- 01 में छिनौलीपन्त वार्ड में पुराना बाजार पशुअस्पताल से गंगानाथ मंदिर तक लांक टाइल कार्य।	10.77
4	वार्ड नं0-06 में छिनौलीपन्त वार्ड में सांगड़ से डोलकुड़ा तक सीसी मार्ग निर्माण कार्य।	10.89
	योग:-	**39.85**
	(4) नगर पालिका परिषद, बड़कोट।	
1	वार्ड सं0-04 में सुनील रावत के मकान के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	9.33

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/03/2

I/196967/2024

2	वार्ड सं0–05 गजेन्द्र चौहान के मकान से विनोद बहुगुणा के मकान तक रास्ता व चारदीवारी निर्माण कार्य।	4.99
	योग:–	**14.32**
	(5) नगर पंचायत, दिनेशपुर।	
1	वार्ड संख्या–02 में मेन रोड से सुधीर के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.88
2	वार्ड संख्या–02 में विकास के घर से अनिल के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	5.52
3	वार्ड नं0 03 में मेन रोड से अभिनाश के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	3.00
4	वार्ड नं0 04 में मेन रोड से दलीप मण्डल के खेत तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	4.26
5	वार्ड नं0 04 में कार्तिक राय के घर से संजीव कुमार के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.26
6	वार्ड नं0 05 में मेन रोड से सम्पत राय के की दुकान तक दोनों साईट नाली निर्माण कार्य।	4.27
7	वार्ड नं0 05 में दुर्गा बाडी से परमानन्द व संजय के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	2.89
8	वार्ड नं0 06 शास्त्री नगर में आशा देवी के घर से सुनीता मेहता के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.88
9	वार्ड नं0 06 शास्त्री नगर मे पक्की सड़क से संगीता के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	4.90
10	वार्ड नं0 07 में रनसोधन के घर से कुमँद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	5.97
11	वार्ड नं0 07 में दीपक के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	7.16
12	वार्ड नं0 08 में अशोक के घर से शुक्ला के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	6.77
13	वार्ड नं0 09 में सुन्दर रोड से नारायण मण्डल के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	6.77
14	वार्ड नं0 01 में मोहिनी के घर से भरत के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	6.39
15	वार्ड नं0–01 में गोविन्द के घर से शिवराय के घर सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	5.91
16	वार्ड नं0–05 में माधवी राय के घर से निखिल भक्ता के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	4.41
	योग:–	**82.24**
	(6) नगर पंचायत, ऊखीमठ।	
1	पुसीघट तोक में मार्गो का सौन्दर्यीकरण कार्य।	4.18
2	मर्दाना तोक से नीचे धार रास्ते पुल तक रास्ता रैलिंग निर्माण कार्य	4.96
3	देवदर्शनी धार से बेहुधार तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	4.98
4	ओंकारेश्वर वार्ड 03 पधाना धारा मे पुलिया निर्माण कार्य।	4.99
	योग:–	**19.11**
	(7) नगर पंचायत, पीपलकोटी– चमोली।	

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BC], SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/03/2

I/196967/2024

1	विकास धारा से श्री मदन जोशी की मकान तक सी०सी० मार्ग	4.64
	योग–	**4.64**
	(8) नगर पालिका परिषद, विकासनगर	
1	वार्ड नं0 02 डाकपत्थर रोड पर योगेन्द्र जाटव की दुकान से डा0 विरेन्द्र चौहान के मकान तक सड़क एवं जल निकासी कार्य।	18.56
2	वार्ड नं0 09 धीरज थापा के घर से एस0एस0 तोमर के मकान होते हुए राणा के मकान तक टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	8.41
3	वार्ड नं0 10 में गुड्डू के घर से भीम सिंह तोमर के घर तक एवं जोशी के घर से हरजोत सिंह के घर तक नाली, टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	10.71
	योग–	**37.68**
	(9) नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट	
1	अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, बाड़ाहाट उत्तरकाशी के वार्ड नं0–03 में तिलोथ सेरा में जसपुर से आने वाले नाले का सुरक्षात्मक कार्य।	12.46
2	अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी के वार्ड नं0–03 में तिलोथ सेरा में पम्पिंग योजना के समीप वाले नाले का सुरक्षात्मक कार्य।	16.47
	योग–	**28.93**
	महायोग	**360.39**

(रू0 तीन करोड़ साठ लाख उनचालीस हजार मात्र)

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 07-03-2024 18:07:10 (सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 07/03/2

UD2-1/A/50/2023-IV-2-Urban Development Department

/196966/2024

संख्या-196966, /IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2024

विषय: **अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभिन्न निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय-समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, नानकमत्ता/झबरेड़ा/गंगोत्री/शिवालिकनगर/पोखरी/चम्बा/गजा/टिहरी/रामपुर/पुरोला/कालाढूंगी/डीडीहाट क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 79 योजनाओं हेतु **रू0 653.21 लाख (रू0 छः करोड़ तिरेपन लाख इक्कीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि रू0 653.21 लाख (रू0 छः करोड़ तिरेपन लाख इक्कीस हजार मात्र)आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, नानकमत्ता/झबरेड़ा/गंगोत्री/शिवालिकनगर/पोखरी/चम्बा/गजा/टिहरी/रामपुर/पुरोला/कालाढूंगी को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक केअनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S2403013 0016, ...,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh

Date: 07-03-2024 18:01:36

संयुक्त सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-शा0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, नानकमत्ता/डाबरेड़ा/गंगोत्री/शिवालिकनगर/पोखरी/ चम्बा /गजा /टिहरी/रामपुर/पुरोला/कालाढूँगी/डीडीहाट।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 196966 (1)/IV(2)- श0वि0–2024 का
संलग्न सूची

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	(1) नगर पंचायत, नानकमत्ता	
1	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 2 में मेन रोड से प्रकाश सिंह के घर तक टाईल्स रोड निर्माण।	11.71
2	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 2 में नारायण सिंह के घर से ओम प्रकाश के घर तक टाईल्स रोड निर्माण।	6.04
3	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 3 में दीप आर्य के घर से करमजीत के घर तक सी0सी0 रोड या नाली निर्माण।	4.98
4	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 3 में फतेह सिंह के घर से गुरूद्वारा रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण।	5.03
5	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 4 में प्रदीप विश्वास के घर से नहर वाली सी0सी0 की ओर सी0सी0 रोड निर्माण।	7.27
6	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 5 डा0 उप्रेती के घर से पाल के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण।	5.19
7	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 5 में कमान सिंह के घर से नहर की ओर टाईल्स रोड व नाली निर्माण।	2.80
8	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 5 में राधे के घर से अमित के घर की ओर टाईल्स रोड व नाली निर्माण।	5.25
9	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 6 में मलकीत सिंह के घर से गुरदीप के घर की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण।	7.86
10	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 6 में जय किशन के घर से मेन सिद्धा रोड की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण।	6.17
11	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 7 में मुख्य मार्ग से छठी बादशाही गुरूद्वारे की ओर सी0सी0 रोड।	7.33
12	नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत वार्ड नं0 7 में मेन रोड से वीर सिंह के घर तक टाईल्स रोड व नाली निर्माण।	6.57
13	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 3 में राजू के घर से नहर की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण ।	7.22
14	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 3 में राधेश्याम की दुकान से जीवन ठेकेदार के घर तक टाईल्स रोड व नाली निर्माण।	16.18
15	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 4 में पान सिंह के घर से टी0आर0सी0 तक नाला निर्माण।	10.03
	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 6 में नन्दू वर्मा के घर से	10.58

16	हरी राम के घर की ओर नाली व टाईल्स रोड का निर्माण कार्य।	
17	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 6 में बंसल फ्लौर मिल से सुरेश गुप्ता के घर तक नाले का निर्माण।	14.83
18	नगर पंचायत नानकमत्ता के अन्तर्गत वार्ड नं0 7 में मेन रोड से सितारगंज टावर से नानकमत्ता अस्पताल तक टाईल्स रोड व नाली निर्माण।	11.51
	योग:-	**146.55**
	(2) नगर पंचायत, झबरेड़ा	
1	नगर पंचायत, झबरेड़ा में मौ0 नई मण्डी में श्री प्रदीप के मकान से श्री रामपाल के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.51
2	नगर पंचायत, झबरेड़ा के मौ0 नई मण्डी में श्री राजू के मकान से श्री संजय दीक्षित के प्लाट व सेवाराम के मकान के पास इन्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.21
3	नगर पंचायत, झबरेड़ा में मौ0 नई मण्डी में श्री प्रदीप के मकान से श्री ओमसिंह के मकान की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.32
4	नगर पंचायत, झबरेड़ा के मौ0 नई मण्डी में श्री अन्नू दीवान के मकान से जटोल रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.13
5	नगर पंचायत, झबरेड़ा के मौ नई मण्डी में गुरूकुल मार्ग के किनारे में श्री इमरान की दुकान से श्री सेठ ब्रज लाल के घर की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	16.58
	योग:-	**66.75**
	(3) नगर पंचायत, गंगोत्री	
1	नगर पंचायत गंगोत्री धाम में प्रेमकान्त सेमवाल के मकान से हंसगुफा तक रास्ते एवं इंटरलाक टाइल लगाने का कार्य।	3.67
2	नगर पंचायत गंगोत्री धाम में धनंजय सेमवाल के मकान से राजेश सेमवाल के मकान तक रास्ते एवं इंटरलाक टाइल लगाने का कार्य।	2.82
3	नगर पंचायत गंगोत्री धाम में सतीश सेमवाल के मकान से शुभम सेमवाल के मकान तक रास्ते एवं इंटरलाक टाइल लगाने का कार्य।	2.48
4	नगर पंचायत गंगोत्री धाम में प्रेमलाल सेमवाल के दुकान गौमुख मार्ग से सत्येन्द्र सेमवाल के मकान तक सुरक्षा दीवार, रास्ते एवं इंटरलाक टाइल लगाने का कार्य।	3.98
5	नगर पंचायत गंगोत्री धाम में प्रेमकान्त सेमवाल के मकान से हंसगुफा तक सुरक्षा रेलिंग लगाने का कार्य।	4.31
	योग:-	**17.26**
	(4) नगर पालिका परिषद, शिवालिकनगर-हरिद्वार।	
1	शिवालिकनगर के सुभाषनगर वार्ड नं0-09 गली नं0 बी0-08 में धर्मेन्द्र के मकान से देवेन्द्र के मकान की ओर नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	18.93
2	टिहरी विस्थापित कालोनी वार्ड नं0-06 गली नं0 ए-2 मेन रोड से नेगी जी के मकान की ओर सड़क का निर्माण कार्य।	9.36
	योग:-	**28.29**
	(5) नगर पंचायत, पोखरी	
1	नगर पंचायत पोखरी के अन्तर्गत वार्ड सं0 02 में मरड़ा से धौड़ा तोक तक खड़ंजा सी0सी0 मार्ग निर्माण।	4.96

2	नगर पंचायत पोखरी के अन्तर्गत वार्ड सं0 04 में मौपति की मकान से दिनेश लाल की मकान तक टाईल्स निर्माण।	4.87
3	नगर पंचायत पोखरी के अन्तर्गत वार्ड सं0 07 में देवेन्द्र रावत की मकान से संजय रावत की मकान तक खण्डजा व टाईल्स कार्य।	4.97
4	नगर पंचायत पोखरी के अन्तर्गत वार्ड सं0 05 में सड़क से विशाल गांव तक टाईल्स कार्य।	4.95
5	नगर पंचायत पोखरी के अन्तर्गत वार्ड सं0 01 में पोखरी रूद्रप्रयाग मोटर मार्ग से तमलखानी होते हुये विकास खण्ड मोटर मार्ग तक खण्डजा सी0सी0 व टाईल्स कार्य व रैलिंग।	4.98
6	वार्ड सं0 01 में मुकेश रावत की मकान से दुनियाला जाने वाले मार्ग पर स्लैब एवं रास्ता निर्माण।	3.08
7	वार्ड सं0 03 में सत्यप्रकाश किमोठी की मकान से गोपेश्वर मोटर मार्ग तक नाली एवं पाईप निर्माण।	3.00
8	वार्ड सं0 04 में गोविन्द सिंह की मकान के समीप पानी की टैंक से धारा तोक तक नाली निर्माण।	2.95
9	वार्ड सं0 06 में कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से सिल्थवालगांव तक टाईल्स निर्माण।	2.80
10	वार्ड सं0 07 में कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से नागधारा तोक तक नाली निर्माण।	2.84
11	वार्ड सं0 05 में महावीर के मकान से भगत सिंह की गौशाला तक नाली निर्माण कार्य।	2.98
12	वार्ड सं0 02 में बलवन्त लाल की मकान से आंगनबाडी पुलिया तक नाली निर्माण।	3.08
	योग:-	**45.46**
	(6) नगर पालिका परिषद, चम्बा	
1	वार्ड नं0 06 पुरानी टिहरी रोड़ श्री गब्बी लाल कौशल के घर से श्रीमती बीना रौतेला, श्री धनपाल पंवार एवं श्री हंसलाल शाह आदि के घरों को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	**4.80**
	योग:-	**4.80**
	(7) नगर पंचायत, गजा	
1	वार्ड नं0 01 क्षेत्रान्तर्गत गजा–खाडी मोटरमार्ग में सार्वजनिक शौचालय के समीप से मानदा रोड तक खण्डिजा/सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	13.32
2	वार्ड नं0 01 क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत, कार्यालय के समीप से शिशु विद्या मन्दिर तक टाईल्स मार्ग निर्माण।	3.66
3	वार्ड नं0 01 के अन्तर्गत श्री मंगल सिंह के मकान से बज्जीलाल के मकान तक मार्ग निर्माण कार्य।	14.90
4	वार्ड नं0 03 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक गजा से नगर पंचायत, कार्यालय तक व चौहान गुरुजी के मकान से होते हुए पशुचिकित्सालय तक मार्ग निर्माण कार्य।	6.88
5	वार्ड नं0 04 के अन्तर्गत साब सिंह के घर के पीछे से मसाड खेत तक टाईल्स मार्ग निर्माण कार्य।	11.69
6	वार्ड नं0 02 के अन्तर्गत इन्टर कॉलेज गेट के समीप से श्री राम सिंह नेगी के घर के पीछे जल निगम के स्टैण्ड पोस्ट के समीप तक इन्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग निर्माण कार्य।	14.64
	योग:-	**65.09**

	(8) नगर पालिका परिषद, टिहरी	
1	वार्ड संख्या– 03 में रघुनाथ सिंह नेगी के मकान से गैस गोदाम के नीचे मार्ग तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4.67
2	वार्ड 08 में पी0आई0सी0 कालोनी के निकट नाला सफाई, नाला मरम्मत, सीढ़ी मरम्मत, एवं रास्ता निर्माण आदि कार्य।	5.03
3	वार्ड नं0 03 में पंवार के मकान से दिलबर चक्की तक खण्डिजा एवं सी0सी0 निर्माण कार्य।	4.95
4	वार्ड नं0 04 मेन रोड से कुमाई जी के घर तक एवं निर्बल आवास कालोनी के आवास सं0–89 से 92 के आगे सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	9.98
5	वार्ड नं0 04 में निर्बल आवास में आवास संख्या 35 से 47 तक भवनों के आगे पीछे सी0सी0 खण्डिजा स्लैब आदि का निर्माण कार्य।	7.41
6	वार्ड नं0 05 के अन्तर्गत श्री विक्रम सिंह गुसाई के मकान से आगे मोड तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	5.25
7	वार्ड संख्या–06 सेक्टर–6ए जीरो वेस्ट ऑफिस से श्री विक्रम गुसाई जी के मकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	5.11
8	वार्ड संख्या–02 भागीरथीपुरम से सीवर प्लांट के पास श्रीमती देवकी पंवार के मकान से मनोरमा देवी के मकान तक सुरक्षा दीवार का कार्य।	5.05
9	वार्ड संख्या–02 भागीरथीपुर में सीवर प्लाण्ट से नाले तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	5.24
10	कोटी कॉलोनी में फील्ड हास्टल के सामने व्यू प्वाईण्ट निर्माण कार्य।	7.76
	योग:–	**60.45**
	(9) नगर पंचायत, रामपुर–हरिद्वार	
1	ग्राम इब्राहीमपुर देह में मैन रोड से मुन्कैत के मकान से होते हुए मुस्तफा के मकान की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	16.85
2.	ग्राम सालियर में अहसान के मकान से महबूब के मकान से होते हुए शौकीन के मकान की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	18.96
3	ग्रीन पार्क कालोनी रामपुर में नाली न0 08 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	16.85
4	रामपुर में मेन रोड से नगर पंचायत रामपुर कार्यालय होते हुए चार मिनार मस्जिद की ओर नाले मरम्मत कार्य।	11.25
	योग:–	**63.91**
	(10) नगर पंचायत, पुरोला	
1	जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड 05 में गांधी नगर पुल से उनियाल के घर तक इन्टरलॉकिंग, नाली एवं दीवार निर्माण कार्य।	12.10
2	जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड नं0 05 में कुमोला रोड शौचालय से राजेन्द्र के घर तक इन्टरलॉकिंग, नाली एवं दीवार निर्माण कार्य।	12.87
3	जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड नं0 05 में सबलिया के घर से अनिल के घर तक इन्टरलॉकिंग, नाली एवं दीवार का निर्माण।	12.51
4	जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड नं0 05 में पिसाला पुल से सेमवाल भवन तक इन्टरलॉकिंग, नाली एवं दीवार का निर्माण कार्य।	13.22
5	नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड नं0 01 में पूरण सिंह के प्लाट के पास आम रास्ते की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	4.89
6	नगर पंचायत, पुरोला के वार्ड नं0 03 में वरदान सिंह के घर के पीछे आम रास्ते की	13.34

	सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	
	योग:–	68.93
	(11) नगर पंचायत, कालाढूंगी	
1	वार्ड नं0 01 में जानकी जी के घर के आगे टाईल्स के फुटपाथ का निर्माण कार्य।	2.30
2	वार्ड नं0 02 में संजय कुमार के घर से नरेन्द्र कुमार जी के घर तक व नरेन्द्र कुमार जी के घर से मदन जी के घर तक एवं मदन जी के घर से पीताम्बर जी के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	14.88
3	वार्ड नं0 01 में कृपाल सिंह जी के घर से ऊँ शांती सदन तक टाईल्स रोड का निर्माण कार्य।	5.18
4	नगर पंचायत कालाढूंगी के अन्तर्गत वार्ड नं0 02 में दीपक सिंह के खेतों में गूल व दीवार का निर्माण कार्य।	3.81
5	वार्ड नं0 02 में भुवन के घर से कैलाश जी के घर तक एवं नन्द प्रकाश मेहता जी के घर से कैलाश जी के घर तक एवं कैलाश जी के घर से नवीन चन्द्र जी के घर तक क्षतिग्रस्त रोड़ का निर्माण कार्य।	4.92
6	वार्ड नं0 07 में बाल मुकुन्द सैनी के घर से प्रदीप सिंह के घर तक टाईल्स रोड़ का निर्माण कार्य।	5.06
7	वार्ड नं0 01 में तारा देवी के घर से ऊँ प्रकाश के घर तक क्षतिग्रस्त रोड़ का निर्माण कार्य।	4.22
	योग:–	40.37
	(12) नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	
1	तहसील वार्ड में ब्लाक कार्यालय से पुष्कर धारा तक नाला निर्माण।	14.76
2	जीआईसी वार्ड में अभिलाषा एकेडमी के सामने बी0डी0 जोशी के मकान से रावत कालोनी तक सम्पर्क मार्ग/सी0सी0 मार्ग व नाला निर्माण।	15.59
3	एस0डी0एम0 कार्यालय से वन विभाग कार्यालय तक नाला निर्माण।	15.00
	योग:–	45.35
	महायोग:–	653.21

(रू0 छः करोड़ तिरेपन लाख इक्कीस हजार मात्र)

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 07-03-2024 18:06:24

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या : 182284 / IV(2)–श0वि0–2023–01(AIIB)/19 TC

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज प्राप्त
दिनांक 16/01/2024
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 15, दिसम्बर,2023

विषय:–वित्तीय वर्ष 2023–24 में यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत वाह्य सहायतित परियोजना 'मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)' परियोजना के अधिष्ठान व्यय/डी0एस0सी0/सर्वे व्ययों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक:–यू0यू0एस0डी0ए0/Secondry towns/017/1483 दिनांक 30.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत वाह्य सहायतित परियोजना 'मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)' परियोजना की यथावश्यक तैयारियों के अन्तर्गत अधिष्ठान/डी0एस0सी0/सर्वे व्ययों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि **रू0 4.80 करोड़ (रू0 चार करोड़ अस्सी लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **रू0 4.80 करोड़ (रू0 चार करोड़ अस्सी लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट, चैक अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है, तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही कर ली गयी हो।

iii. वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृत के सम्बन्ध में वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–86/xxvII(7)36/2010-11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

iv. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर संशोधित) तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

v. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

vi. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2024 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3 – उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के ले0शी0–2217–शहरी विकास–03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना –9702–मध्यम श्रेणी के नगर निकायो में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)–56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 के द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– अलॉटमैन्ट आईडी:–1824010130019, ... ।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-01-2024 14:21:26
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 15-01-2024 16:40:05

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by JITENDRA KUMAR, RO-UD-JK, REVIEW OFFICER-UD, Urban Development Department on 15/01/2024 05:34 PM

187226/2024

संख्या- 187226 /IV(2)-श0वि0-2024-33(सा0)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 02 फरवरी, 2024

विषय- अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर पंचायत, महुआडाबरा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या- 5834, दिनांक 25.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर पंचायत, महुआडाबरा क्षेत्रान्तर्गत संलग्न-1 के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 14 योजनाओं हेतु रू0 98.51 लाख (रू0 अट्ठानवे लाख इक्कावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

I. उक्त धनराशि **रू0 98.51 लाख** (रू0 अट्ठानवे लाख इक्कावन हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, महुआडाबरा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को ध्यानगत रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. योजना पर व्यय करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक शहरी विकास एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल की फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023.24 के आय-व्ययक के अनुदान सं-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलोटमेन्ट आई डी-S.24020130029.........

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
(सुनील सिंह)
Date: 02-02-2024 17:19:55
संयुक्त सचिव।

187226
सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महुआडाबरा।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

UD2-1/A/2/2024-IV-2-Urban Development Department

/2024

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 02-02-2024 17:38:46

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश सं०-187226 (1)/IV(2)-श०वि०-2024 का संलग्नक-1

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत (लाख रू० में)
	नगर पंचायत, महुआडाबरा	
1	नगर पंचायत महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में मातलूब के मकान से इकबाल के घर की ओर खण्डजा व नाली निर्माण कार्य।	12.20
2	नगर पंचायत महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में शकील के मकान से राशिद हाजीमनपुरिया के मकान की ओर खण्डजा व नाली निर्माण कार्य।	3.02
3	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में सत्तार के मकान से रईस के मकान की ओर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.49
4	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 04 में मेन रोड से सुखबीर के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.35
5	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 04 में ज्ञानचन्द के मकान से टूटी के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.12
6	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 04 में श्मशान घाट गेट से ऋषिपाल सिंह के खेत की ओर खण्डजा व नाली निर्माण कार्य।	6.22
7	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में मेन रोड से मानसरोवर झील की ओर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.64
8	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 04 में पिण्ड स्थल से राकेश के प्लाट की ओर खण्डजा व नाली निर्माण कार्य।	9.63
9	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 03 में इरफान के मकान से जावेद के मकान तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.88
10	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 03 में इरफान के मकान से मस्जिद तक नाली निर्माण कार्य।	2.91
11	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 07 में चन्द्रपाल के मकान से डॉक्टर अमर सिंह के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.28
12	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में मानसरोवर झील से माडर्न पब्लिक स्कूल की ओर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.53
13	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में मुबारिक के घर से रहमत के घर की ओर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	14.88
14	नगर पंचायत, महुआडाबरा के वार्ड न० 02 में फुरकान के घर से कब्रिस्तान की ओर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	17.36
	योग-	98.51

(रू० अट्ठानवे लाख इक्यावन हजार मात्र)

संख्या :–1879591/IV(3)/2024–01 (12 घो0) 2021

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज प्राप्त
दिनांक 8/2/2024
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 07 फरवरी, 2024

विषय–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1617/2021 विधानसभा प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव में सार्वजनिक शौचालय/हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में।

AAO/AD 8/2/24

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या–I/14402/2023 शौचालय/2021, दिनांक 22.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, लम्बगांव क्षेत्रान्तर्गत हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन द्वारा गठित आगणन का जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 59.85 लाख (रू0 उनसठ लाख पिचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 35.91 लाख (रू0 पैंतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 35.91 लाख (रू0 पैंतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत संबंधित नगर निकाय को आधुनिक शौचालय के निर्माण हेतु ऑनलाईन उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) शौचालय निर्माण कराये जाने से पूर्व जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की संस्तुति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) आधुनिक शौचालय हेतु नियमानुसार निर्धारित यूजर चार्जेज को लागू करते हुए, शौचालय के संचालन एवं रख–रखरखाव की व्यवस्था कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

Actt. I 9/2/24

(iv) आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य, उनके संचालन एवं रख–रखाव के संबंध में एस0ओ0पी0 तैयार करते समय पर्यटन विभाग से भी समन्वय स्थापित करते हुए उनका मन्तव्य भी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(vi) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को

Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section I-5G, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/02/2024 03:28 PM

सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियो के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाय।

(ix) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–111469/9(150) – 2019 / XXVII (1)/2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(xii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xiii) निर्माण कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(xiv) प्रस्तावित कार्य के निर्माण से पूर्व भूवैज्ञानिक तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए आख्या प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0408–हाईटेक शौचालयों का निर्माण मद–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3 – स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत विशिष्ट आवंटन संख्या S240201300035............दिनांक 07/02/2024......से आंवटित जा रही है।

4– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/183780/2024 दिनांक 19.01.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

Signed by Sunil Singh
Date: 06-02-2024 14:10:07

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–187959 (1)/IV(3)/2024–01 (12 पो0) 2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़,

Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 1-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07/02/2024 02:04 P

देहरादून।

2. - महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

3. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

4. - निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।

5. - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

6. - जिलाधिकारी, टिहरी।

7. - वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।

8. - वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

9. - निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

10. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

11. - अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लम्बगांव।

12. - गार्ड फाइल।

13- [illegible handwritten entry] देहरादून, [illegible]

Signed by Pradeep Kumar Shukla
(प्रदीप [illegible]) Date: 08-02-2024 15:30:06

उप सचिव।

Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 1-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 07-02-2024 02:34 PM

/199589/2024

संख्या– 199589 /IV(2)-श0वि0–2023(विविध)23

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजनान्तर्गत विभिन्न निकायों को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रदत्त स्वीकृति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शासनादेशों के सापेक्ष स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त "मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा–निर्देश 2010" के प्रस्तर–4(1) में शिथिलता प्रदान करते हुये, तालिका में उल्लिखित योजनाओं हेतु राज्यांश 100% की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्तम्भ/कॉलम–6 में अवशेष (निकाय अंश 30% का शिथिलीकरण) धनराशि **रू0 441.0192 लाख (रू0 चार करोड़ इकतालीस लाख एक हजार नौ सौ बीस** मात्र) आहरित करते हुये पूर्व निर्गत शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि रू0लाख में)

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक, जिसके द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी।	संस्तुत लागत	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (60%)	अवशेष अवमुक्त (निकाय अंश 30% का शिथिलीकरण)
1	2	3	4	5	6
	(1) नगर निगम, ऋषिकेश				
1	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बापू ग्राम मार्ग पर हरिद्वार रोड से बीस बीघा तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	97.09	40.7778	17.4762
2	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मीरानगर मुख्य मार्ग पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।		89.02	37.3884	16.0236
3	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बीस बीघा गली नं–3 और 4 पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।		78.02	32.7684	14.0436
4	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अमितग्राम में जंगलात रोड और अन्य लिंक रोडों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।		98.17	41.2314	17.6706
	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मंशा देवी में		99.59	41.8278	17.9262

5	विभिन्न भीतरी सड़कों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।			
6	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत वीरभद्र रोड पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	76.62	32.1804	13.7916
7	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत नेहरू ग्राम में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	89.73	37.6866	16.1514
8	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत उग्रसेन नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	66.23	27.8166	11.9214
9	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मिश्रा फार्म में शास्त्री नगर और गली नं0-6 सोमेश्वर नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	66.06	27.7452	11.8908
10	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत शिवाजी नगर पुलिया से एम्स बाउन्ड्री तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	94.56	39.7152	17.0208
11	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास कॉलोनी में वीरभद्र रोड पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	98.87	41.5254	17.7966
12	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत नेहरू ग्राम विस्थापित कॉलोनी में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	68.07	28.5894	12.2526
13	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अमित ग्राम में विभिन्न अन्दरूनी सड़क मार्गों पर हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	99.39	41.7438	17.8902
14	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत मंशा देवी पुलिया से मंशा देवी मन्दिर और धीमान फर्नीचर से मंशा देवी तक हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	97.35	40.887	17.523
15	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बापूग्राम रोड शिवाजी नगर में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	99.4	41.748	17.892
16	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत जयराम मार्ग, साईं विहार एवं चुंगी मार्ग का हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	54.2	22.764	9.756
17	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत गोल मार्केट, आई0एस0बी0टी0 एवं घाट रोड में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण कार्य।	90.66	38.0772	16.3188
18	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत श्रद्धानन्द मार्ग, गोविन्द नगर, दुर्गा मन्दिर, चन्द्रेश्वर मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	97.58	40.9836	17.5644
19	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत आदर्श नगर, मनीराम मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।	93.13	39.1146	16.7634
		88.73	37.2666	15.9714

20	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत भैरव मन्दिर, हीरालाल बाल्मिकी बस्ती और नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।				
21	नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डी0जी0बी0आर0, गॉर्डन स्कूल, सदानन्द मार्ग एवं नजदीकी सड़क मार्गों में हॉट मिक्स से सुधारीकरण/निर्माण का कार्य।		94.82	39.8244	17.0676
22	वार्ड नं0 25 गली नं0 08 में सामुदायिक भवन के विस्तारीकरण के कार्य। (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष खण्ड-6 अवशेष 30% अवमुक्त)		34.76	24.332	10.428
	योग:-		**1872.05**	**795.9938**	**341.1402**
	(2) नगर पालिका परिषद, मसूरी (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष खण्ड-6 अवशेष 30% अवमुक्त)				
1	कुल्हाट बैण्ड से दुधली की ओर जाने वाली सड़क का नवनिर्माण तथा चौड़ीकरण का निर्माण कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	25.62	17.934	7.686
2	मिलाडू से जिन्सी की ओर जाने वाली सड़क का नवनिर्माण कार्य।		25.95	18.165	7.785
	योग:-		**51.57**	**36.099**	**15.471**
	(3) नगर पंचायत, लम्धौरा (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष अवशेष 30% धनराशि रू0 6.477 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा सकेगी)				
1	कस्बा लम्धौरा में जौरासी रोड़ से वसीम के मकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	21.59	15.113	--
	(4) नगर पालिका परिषद, गौचर (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष अवशेष 30% धनराशि रू0 20.301 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा सकेगी)				
1	एन0एच0 बन्दखण्ड प्राईमरी स्कूल से घाट मार्ग की ओर मार्ग निर्माण कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	28.99	20.293	--
2	एन0एच0 से रघुनाथ मन्दिर की ओर मार्ग निर्माण कार्य।		38.68	27.076	--
	योग:-		**67.67**	**47.369**	--
	(5) नगर पंचायत, लालकुऑं (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष अवशेष 30% धनराशि रू0 17.10 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा सकेगी)				
1	नगर पंचायत, लालकुऑं वार्ड नं0-03 जवाहर नगर में पुलिस कोतवाली के बगल से जंगलात बैरियर तक मोटर मार्ग में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण/सुधारीकरण का कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	57.00	39.90	--
	(6) नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (खण्ड-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष अवशेष 30% धनराशि रू0 [illegible] लाख चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा सकेगी)				

1	सिमली सड़क से सुभाषनगर मार्ग पर इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	191627, दिनांक 19.02. 2024	21.09	14.763	--
(7) नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ (स्तम्भ-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष स्तम्भ-6 अवशेष 30% अवमुक्त)					
1	वार्ड ऐंचोली (आ0आ0 बस्ती) खली में मसपाटी मोटर रोड से श्री शंकर प्रसाद भवन के निकट रास्ता निर्माण कार्य।	सं0 191627, दिनांक 19.02. 2024	20.11	14.077	6.033
(8) नगर निगम, हल्द्वानी (स्तम्भ-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष अवशेष 30% धनराशि रु0 30.495 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में [illegible] के [illegible] आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा सकेगी)					
1	वार्ड नं0 48 लाल सिंह बोरावाली गली में रिमझिम विला से पुष्कर सिंह बिष्ट जी के प्लाट तक सी0 सी0रोड़ को निर्माण कार्य।	191717, दिनांक 19.02. 2024	14.74	10.318	--
2	वार्ड नं0 45 सर्वप्रिय विहार के समीप सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।		14.11	9.877	--
3	वार्ड नं0 27 गाँधी नगर में श्री नीटू सोनकर जी के घर से स्कूल तक सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।		11.84	8.288	--
4	वार्ड नं0 09 निशान्त विहार में बिष्ट जी के घर से श्री गिरीश नैनवाल जी के घर तक सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।		10.70	7.49	--
5	वार्ड नं0 57 कृष्णा कालोनी में सी0 सी0 रोड़ को निर्माण कार्य।		10.67	7.469	--
6	वार्ड नं0 60 गौजाजाली बिचली राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप सी0 सी0 रोड़ का निर्माण कार्य।		10.46	7.322	--
7	वार्ड नं0 37 हल्दी खाल, हिल्स व्यू कालोनी में सी0 सी0रोड़ को निर्माण कार्य।		16.74	11.718	--
8	वार्ड नं0 38 चन्द फार्म बिठोरिया नं0 02 संस्कृति विहार में बी0एस0 भण्डारी जी के घर से कैलाश चन्द्र सिंह जी के घर तक सी0 सी0रोड़ को निर्माण कार्य।		12.39	8.673	--
	योग:-		**101.65**	**71.155**	--
(9) नगर पंचायत रामपुर-हरिद्वार (स्तम्भ-5 में प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि 70% के सापेक्ष स्तम्भ-6 अवशेष 30% अवमुक्त)					
1	ग्राम इब्राहीमपुर देह में महबूब के खेत से अय्याज के खेत की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	191717, दिनांक 19.02.	16.85	11.795	5.055
2	ग्राम सालियर में मैन रोड महेश की दुकान से बाबूराम डिग्री कालेज तक इन्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण का कार्य।		18.97	13.279	5.691
3	ग्राम सालियर में मैन रोड से शाहबाज की दुकान की ओर इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।		16.86	11.802	5.058

4	ग्रीन पार्क कालोनी रामपुर में गली न0 06 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	2024	12.63	8.841	3.789
5	ग्रीन पार्क कालोनी रामपुर में गली न0 07 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।		12.63	8.841	3.789
6	मैन रोड से नगर पंचायत रामपुर कार्यालय की ओर जाने वाले सड़क निर्माण कार्य।		10.54	7.378	3.162
7	मा0 विधायक हाजी फुरकान अहमद जी के आवास से पश्चिम की ओर मैन रोड पर स्थित मस्जिद के सामने नाला मरम्मत एवं चैम्बर निर्माण कार्य।		7.68	5.376	2.304
	योग		**96.16**	**67.312**	**28.848**
(10) नगर पालिका परिषद, बाजपुर ([illegible] 70% के सापेक्ष [illegible] अर्थात 30% अनुमन्य)					
1	मुन्डिया पिस्तौर वार्ड न0–05 में नेहरू मार्ग पर अजीम अहमद के घर से दीपक पाण्डे के घर तक टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	191620, दिनांक 19.02. 2024	19.90	13.93	5.97
2	सुभाषनगर वार्ड न0 08 में मण्डी रोड़ पर आनन्द सिंह यादव के घर से राकेश बंसल के घर तक टाईल्स रोड़ व नाली निर्माण कार्य।		19.89	13.923	5.967
3	मजराबक्श वार्ड नं0–09 में गुलाम मुस्तफा के घर से आलिम किराना स्टोर के सामने तक टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।		10.41	7.287	3.123
4	मजराबक्श वार्ड नं0– 09 में कमल देव के घर से राजकुमार मेहरोत्रा किराना स्टोर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।		17.59	12.313	5.277
5	मिल चौक वार्ड न0–11 में तरसेम चन्द के घर से ओमप्रकाश के घर तक टाईल्स रोड़ निर्माण कार्य।		19.85	13.895	5.955
	योग–		**87.64**	**61.348**	**26.292**
(11) नगर पंचायत, लालपुर ([illegible] 70% के सापेक्ष [illegible] अर्थात 30% अनुमन्य)					
1	नगर पंचायत, लालपुर में साई इन्कलेव के हेमेन्द्र कुमार के घर से रामेश्वरपुर रोड़ तक नाली निर्माण कार्य।		4.42	3.094	1.326
2	नगर पंचायत, लालपुर में साईं इन्कलेव के अन्दर मनरजीत के खाली प्लाट से रामेश्वरपुर रोड तक नाली का निर्माण कार्य।		4.44	3.108	1.332
3	नगर पंचायत, लालपुर में साईं इन्कलेव के अन्दर जितेन्द्र जी के घर से संतजी के घर तक नाली का निर्माण का कार्य।		4.31	3.017	1.293
4	नगर पंचायत, लालपुर में साईं इन्कलेव के अन्दर नरेश जी के घर से ऋषिपाल राना के घर तक नाली का निर्माण कार्य।		4.42	3.094	1.326
5	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में हरीश राठौर के घर से		6.04	4.228	1.812

	अजय शर्मा के घर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	191620, दिनांक 19.02. 2024			
6	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में रितेश गंगावर के घर से शिवशक्ति मन्दिर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		6.05	4.235	1.815
7	नगर पंचायत, लालपुर में सिटी पार्क होटल के पास शिव शक्ति कालोनी में जसवन्त कौर के घर से एन0एच0 74 तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		6.04	4.228	1.812
8	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ पर बालाजी कालोनी से नाले तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		5.90	4.13	1.77
9	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ पर भारत गैस गोदाम रोड़ वाली कालोनी में इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		6.04	4.228	1.812
10	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ से कृष्ण बन्सल के घर से सुखदेव के खाली प्लाट तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		5.90	4.13	1.77
11	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ से राकेश चौरसरिया के घर तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		5.77	4.039	1.731
12	नगर पंचायत, लालपुर में बाल विकास विद्या मन्दिर के पास महराथा रोड़ पर इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		3.18	2.226	0.954
13	नगर पंचायत, लालपुर में नवीन भट्ट के घर से खमरिया रोड़ तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		2.49	1.743	0.747
14	नगर पंचायत, लालपुर में आस्था कालोनी में गुरमीत सिंह के घर से सुभाष चन्द कपूर के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		2.45	1.715	0.735
15	नगर पंचायत, लालपुर में आस्था कालोनी में राजेश कुमार की दुकान से कुलवन्त सिंह के मकान तक इन्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		4.07	2.849	1.221
16	नगर पंचायत, लालपुर में खमरिया रोड़ से रामसुही के घर से भारत गैस गोदाम तक इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		5.93	4.151	1.779
	योग:-		77.45	54.215	23.235
	महायोग:-		2473.98	1217.3448	441.0192

1. उक्त धनराशि रू0 441.0192 लाख (रू0 चार करोड़ इक्तालीस लाख एक हजार नौ सौ बीस मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं उपरोक्त तालिका में निर्धारित कांट के अनुसार सम्बन्धित निकाय को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0- 13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेन्ट आई डी-S.................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-03-2024 18:33:29

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0- /IV(2)-शविवि-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 15-03-2024 18:57:30

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2024–03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2024**

विषयः अवस्थापना विकास निधि (एस0सी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जाति (एस0सी0एस0पी0 घटक) उपयोजनान्तर्गत नगर निकाय, पिथौरागढ़/पाडली गुर्जर/लक्सर/विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 25 योजनाओं हेतु **रू0 239.54 लाख (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख चौवन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि **रू0 239.54 लाख (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख चौवन हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, पिथौरागढ़/पाडली गुर्जर/लक्सर/विकासनगर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं की Geo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XIV. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं. –30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0305– मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के 111489/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................

भवदीय,

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)-श0वि0–2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. सम्बन्धित जलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, निगर निकाय, पिथौरागढ/पाडली गुर्जर/लक्सर/विकासनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11. गार्ड बुक

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0–2024 का
संलग्न सूची

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रसं	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
	(1) नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	
1	वार्ड बजेटी (आ0जा0 बस्ती) श्री शंकर प्रसाद भवन के निकट से श्री आनन्द मोहन भवन के निकट तक दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	19.70
2	वार्ड बजेटी (आ0जा0 बस्ती) श्री दयाल कोहली भवन के निकट से श्री प्रेम राम भवन के निकट तक दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	13.43
3	वार्ड बजेटी (आ0जा0 बस्ती) श्रीमती पुष्पा देवी भवन के निकट से श्रीमती आशा देवी भवन तक रास्ता निर्माण कार्य।	9.97
4	वार्ड लिन्ठ्यूड़ा (आ0जा0 बस्ती) सिननैला में लिन्ठ्यूड़ा सड़क से श्री फकीर राम भवन के निकट तक दीवार, नाली व रास्ता निर्माण कार्य।	15.55
5	वार्ड कुमौड़ (अ0जा0 बस्ती) में श्री हरीश राम भवन के निकट से श्री शिव शंकर टम्टा भवन के निकट तक नाली व रास्ता निर्माण एवं श्री गोपाल राम भवन के निकट से श्री जगदीश प्रसाद भवन के निकट रास्ता निर्माण कार्य।	8.31
6	वार्ड विण–जाखनी (अ0जा0 बस्ती) में श्री मदन राम भवन के निकट से श्री बच्ची लाल भवन के निकट तक नाली व रास्ता निर्माण कार्य।	6.47
7	वार्ड टकाना कालोनी (अ0जा0बस्ती) पियाना में श्री सुरेश टम्टा भवन के निकट से श्री कैलाश राम भवन के निकट तक नाली व रास्ता निर्माण कार्य।	10.30
	योग–	**83.73**
	(2) नगर पंचायत, पाडली गुर्जर	
1	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी में श्री काला के मकान से श्री सुखपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8.52
2	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी में श्री बिजेन्द्र के मकान से श्री सुरेश के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5.60
3	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी में श्री नैन कुमार फौजी के मकान से श्री अमरीश के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7.57
4	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी में शिवकुमार के मकान से श्री अमरीश के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	5.98
5	नगर पंचायत पाडली गुर्जर में मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी में दरोगा के प्लाट के श्री राकेश के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7.17

6	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी मे श्री पहल सिंह के मकान से श्री प्रदीप के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7.17
7	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी मे श्री मदन (पूनम) के मकान से श्री महीपाल के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7.77
8	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कॉलोनी मे श्रीमती कौशल्या के मकान से श्री सिकन्दर के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.55
9	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के मौ0 शक्ति विहार कालोनी मे सन साईन स्कूल से पंचायत घर (पाडली गुर्जर) तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.55
10	नगर पंचायत पाडली गुर्जर के क्षेत्र पनियाला चन्दापुर में गंगाराम के मकान से मनित के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.91
	योगः–	**76.79**
	(3) नगर नगरपालिका परिषद, विकासनगर	
01	वार्ड न0 07 मे एन०एच० पर यशपाल मित्तल के घर से जल संस्थान की प्रयोगशाला तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	9.61
	योगः–	9.61
	(4) नगर पालिका परिषद, लक्सर	
1	वार्ड 01 अम्बेडकर नगर मेन रोड से कोतवाली आवास की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	16.65
2	वार्ड 02 मे ट्रचिंग ग्राउण्ड से मुख्य पुलिया की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	17.61
3	वार्ड 02 मे नरोजपुर रोड कब्रिस्तान रोड से नाले की ओर नाला निर्माण कार्य।	14.73
4	वार्ड 02 मे नरोजपुर रोड मुख्य मार्ग से मिथुन के मकान की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4.57
5	वार्ड 02 मे नरोजपुर रोड विक्रम के मकान से प्रीतम के मकान की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4.46
6	वार्ड 02 मे नरोजपुर रोड मुख्य मार्ग से कृष्णदेवी के मकान की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4.25
7	वार्ड न0 01 अम्बेडकर नगर से अमरदास के मकान से मेन रोड की ओर सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	7.14
	योगः–	**69.41**
	महायोगः–	**239.54**

(रू0 दो करोड़ उनचालीस लाख चौवन हजार मात्र)

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 15-03-2024 16:59:03

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या /IV(2)–श0वि0–2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत पार्क निर्माण/सौन्दर्यीकरण/ओपन जिम की स्थापना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत पार्क निर्माण/सौन्दर्यीकरण/ओपन जिम की स्थापना हेतु परिशिष्ट–अ में उल्लिखित कुल 09 कार्यों रू0 305.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान में कुल **रू0 253.76 लाख (रूपये दो करोड़ त्रेपन लाख छियत्तर हजार मात्र)** की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) नगर निकाय, अल्मोड़ा/गरूड़/बाड़ाहाट द्वारा प्रस्तावित स्थल के चयन के सम्बन्ध में 'स्थल चयन समिति' की आख्या प्राप्त करते हुए तद्नुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त की एक प्रति अधिकतम एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराये जायेगी। तत्सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।"

(4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(5) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (जिस स्तर से आगणन स्वीकृत की गई है) की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए

एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(10) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(11) आगणन में धनराशि जिन मदों/कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद/कार्य में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(12) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(13) कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता, Duplicacy एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः पालन किया जाय तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित नगर निकाय/निर्माण एजेन्सी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें ।

(14) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV.219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15) वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण कर, तद्नुसार कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व नगर निकाय का तथा द्वितीय उत्तरदायित्व शहरी विकास निदेशालय का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-13 के लेखा-शीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-18-नगरपालिकाओं में पार्क/ओपन जिम की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतनिक) के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन निर्गत किये गये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-03-2024 17:01:30

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

I/199425/2024

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/बागेश्वर/नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/लालकुंआ/गरूड़/कपकोट/उत्तरकाशी।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल ।

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

–

परिशिष्ट–अ

कार्यालय ज्ञाप संख्याः /IV(2)–श0वि0/2024–, दिनांक मार्च, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.स	नगर निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	योजना लागत	स्वीकृत धनराशि
1-	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	सम्पूर्णानन्द पार्क सौन्दर्यीकरण, बच्चों के खेल उपकरण एवं ओपन जिम स्थापित करने का कार्य।	16.74	16.74
2.		पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्क सौन्दर्यीकरण, ओपन जिम, बच्चों के खेल उपकरण एवं दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा लगाने का कार्य।	19.26	19.26
3.		ऐंचोली में पार्क निर्माण कार्य।	16.93	16.93
4.		धनौड़ा वार्ड के नाग मन्दिर पार्क निर्माण, ओपन जिम एवं बच्चों के खेल उपकरण स्थापित करने का कार्य।	16.96	16.96
5.	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा नगर के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पार्कों में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य।	59.90	35.94
6.	नगर पंचायत, लालकुआँ	नगर पंचायत, लालकुआँ में ग्रीन पार्क एवं ग्रीन पार्क के अन्दर वेन्डर जोन, ओपन जिम आदि।	69.90	41.94
7.	नगरपालिका परिषद, बाड़ाहाट	वार्ड नं0–09 में विकास भवन उत्तरकाशी में पार्क का नवनिर्माण एवं पार्क की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य	24.59	24.59
8.	नगर पंचायत, गरुड़– बागेश्वर	राम मन्दिर गेट के पास चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कार्य।	36.40	36.40
9.	नगर पंचायत, कपकोट।	नगर पंचायत कपकोट के केदारेश्वर मैदान में चिल्ड्रन पार्क एवं चैन लिंक फेन्सिंग का निर्माण कार्य।	45.00	45.00
		योग–	**305.68**	**253.76**

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

/199624/2024

संख्या–199624 /IV(2)–श0वि0–2023

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15, मार्च, 2023

विषय: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी का पत्रांक 2574, दिनांक 06.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत "जनपद–नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, कालाढूंगी के बेलबाबू से आर0टी0ओ0 रोड क्षेत्र में विद्युत एवं पेयजल लाईन का शिफ्ट कर नहर कवरीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य" हेतु गठित रू0 347.17 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल रू0 329.02 लाख के सापेक्ष 70% धनराशि रू0 230.314 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त 40% धनराशि के रूप में शासनादेश संख्या 20, दिनांक 06.01.2022 द्वारा 92.125 लाख तथा द्वितीय किश्त 40% धनराशि के रूप में शासनादेश 170571 दिनांक 22.11.2023 द्वारा 92.125 लाख अवमुक्त की गयी थी।

अतः प्रश्नगत कार्य के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 230.314 लाख के सापेक्ष तृतीय/अन्तिम किश्त 20% के रूप में **कुल रू0 46.064 (रू0 छियालीस लाख छः हजार चार सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

I. उक्त धनराशि **कुल रू0 46.064 (रू0 छियालीस लाख छः हजार चार सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हल्द्वानी को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. शासनादेश संख्या 20, दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा

में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नगर आयुक्त उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं.-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-03-2024 19:17:53
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

199624,
सं0- /IV(2)-शाविo-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7. वित्त अनुभाग–2 / संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 15-03-2024 19:20:43

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

UD2-2/A/12/2022-IV-2-Urban Development Department

/199637/2024

संख्या- 199637 /IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी की निम्नलिखित 02 घोषणाओं के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, किच्छा की विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु रू0 31.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम चरण में योजना लागत का 60 प्रतिशत अर्थात **रू0 18.96 लाख (रू0 अट्ठारह लाख छियानवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.स.	घोषणा संख्या/नाम	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	सं0- 658/2023 किच्छा में सुरेन्द्रा पैट्रोल पम्प के सामने मैन रोड़ से जोगिन्दर सिंह के घर तक 100 मी0 सड़क निर्माण कार्य किया जायेगा।	15.83	9.498
22	सं0-662/2023 किच्छा में अनुपम विहार कालोनी मैन रोड़ से यादव फ्लोर मिल की दीवार तक 120 मी0 सड़क निर्मांण कार्य किया जायेगा।	15.77	9.462
	योग:-	**31.6**	**18.96**

1. उक्त धनराशि **रू0 18.96 लाख (रू0 अट्ठारह लाख छियानवे हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, किच्छा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।
III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है

I637/2024

अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्धनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के**अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 197759, दिनांक 12.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-03-2024 19:42:55
संयुक्त सचिव।

सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

637/2024

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, किच्छा।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

UD2-1/A/10/2022-IV-2-Urban Development Department

/199636/2024

संख्या- 199636 /IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि (एस0सी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय-समय पर प्राप्त पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जाति (एस0सी0एस0पी0 घटक) उपयोजनान्तर्गत नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर-हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 19 योजनाओं हेतु **रू0 101.24 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख चौबीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **रू0 101.24 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख चौबीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर-हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्रविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं कीGeo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XIV. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

XVI. तालिका के क्रमांक-12, 16 व 18 में प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासक, नगर निकाय, सुल्तानपुर आदमपुर, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। यदि उक्त कार्य कराए जाने की वास्तविक आवश्यकता हो तो ही उक्त कार्य प्रारम्भ किए जाएं अन्यथा उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष में जमा कराई जाए।

3- उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक केअनुदान सं. -30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-0305- मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S..............................

भवदीय,

Signed by Sunil Singh

Date(सु06-03-2024 19:39:55

संयुक्त सचिव।

<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. सम्बन्धित जलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

6/2024

6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, पिथौरागढ/पाडली गुर्जर/लक्सर/विकासनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11 गार्ड बुक

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0–2024 का
संलग्न सूची

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार	
1	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में जगदीश के मकान से रमेश के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	2.13
2	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में ब्रहमपाल के घर से राजू के प्लाट की ओर नाले का निर्माण कार्य।	9.67
3	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में सोनू के घर से विरेन्द्र के घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	3.53
4	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में चन्दन के घर से बिजेन्द्र के घर की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	12.67
5	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में राजकुमार के घर से रविदास मन्दिर की ओर सी0सी0सडक का निर्माण कार्य।	3.02
6	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में दिनेश के घर से नरेश के घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	1.27
7	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में रूपराम के घर से हरी की दुकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	1.75
8	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में रविदास मन्दिर से प्रीतम के मकान सी0सी0सडक का निर्माण कार्य।	7.42
9	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में मनोज के घर से राजेन्द्र घास वाले के घर तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	13.74
10	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में बन्टू कुमार के घर से ट्रांसफार्मर तक नाले का निर्माण कार्य।	4.49
11	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में अतर के घर से हजारी के घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	1.88
12	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में ईशम के घर से काके के प्लाट तक सी0 सडक का निर्माण कार्य।	2.62
13	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में रामदास के घर से राजपाल के घर तक सी0 सडक का निर्माण कार्य।	2.95
14	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में कवरपाल के घर से संजय के घर तक सी0 सडक का निर्माण कार्य।	4.67
		1.77

15	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में आलोक के घर से मेन रोड की ओर तक सी0 सडक का निर्माण कार्य।	
16	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में करन के घर से ऋषिपाल के घ र तक सी0 सडक का निर्माण कार्य।	2.00
17	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में सुशील के घर से शगुन स्टूडियों की ओर नाले का निर्माण कार्य।	15.46
18	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–2 में जगपाल के मकान से करणपाल के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	4.04
19	नगर पंचायत सुल्तानपुर के वार्ड न0–4 में सुशील के मकान के पास से राजपाल के मकान की ओर सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	6.16
	योग:–	101.24

(रू0 एक करोड़ एक लाख चौबीस हजार मात्र)

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

I/197778/2024

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2024–03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक मार्च, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में विभिन्न निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर निकाय, अल्मोड़ा/शिवालिकनगर/बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 05 योजनाओं हेतु **रू0 132.69 लाख (रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

I. उक्त धनराशि **रू0 132.69 लाख (रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, अल्मोड़ा/शिवालिकनगर/बेरीनाग को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 197759, दिनांक 12.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................;

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
(सुनील सिंह)
Date: 15-03-2024 17:09:05
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, शिवालिकनगर/अल्मोड़ा/बेरीनाग।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

I/197778/2024

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0-2024 का
संलग्न सूची

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पालिका परिषद, शिवालिकनगर-हरिद्वार।	
1	न्यू शिवालिकनगर वार्ड नं0-05 बी0 ब्लॉक मैन रोड से बिरेन्द्र शर्मा के मकान की ओर नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	24.59
2	शिवालिकनगर के टिहरी विस्थापित कालोनी (गोकुल धाम) वार्ड नं0-07 मैन रोड से जसबीर के मकान की ओर नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	24.79
3	न्यू शिवालिकनगर वार्ड नं0-05 बी0 ब्लॉक मैन रोड के मकान से राजपाल चौधरी के मकान की ओर नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	23.42
	योग:-	**72.80**
	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा	
1	वार्ड नन्दादेवी में रैमजे पार्क का पुनर्निर्माण एवं नीचे के तलों में दुकानों व गोदामों का निर्माण कार्य।	39.68
	योग:-	**39.68**
	नगर पालिका परिषद, बेरीनाग	
1	वार्ड नं0-01 में कालसिन मन्दिर से नित्यानन्द पन्त के घर तक सीसी मार्ग निर्माण कार्य।	20.21
	योग:-	**20.21**
	महायोग:-	**132.69**

(रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 12-03-2024 15:30:49

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या–   /IV(2)-श0वि0–2024–03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   मार्च, 2024

विषयः अवस्थापना विकास निधि (टी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 मे विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0 घटक) उपयोजनान्तर्गत नगर निकाय, विकासनगर/खटीमा क्षेत्रान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 12 योजनाओं हेतु **रू0 108.60 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख छः हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि **रू0 108.60 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख छः हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, विकासनगर/खटीमा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं कीGeo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XIV. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सम्बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के**अनुदान सं. – 3 1** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0305– मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>– अलॉटमेन्ट आई डी–S................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
(सुनील सिंह)
Date: 15-03-2024 16:55:52
संयुक्त सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाइट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, निगर निकाय, विकासनगर/खटीमा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

<u>शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0-2024 का संलग्न सूची</u>

<u>(धनराशि लाख रू0 में)</u>

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	(1) नगर पालिका परिषद, खटीमा	
1	कंजाबाग वार्ड नं0 01 में भीम सिंह राणा के मकान से कुलदीप राणा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.36
2	कंजाबाग वार्ड नं0 01 में कुलदीप राणा के मकान से प्रेमलता राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.66
3	अमाऊ मयूरी विहार वार्ड नं0 09 लिंक रोड़ से वासुदेव राणा के मकान होते हुए किशोर राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.25
4	अमाऊ मयूर विहार वार्ड नं0 09 में दिवान सिंह राणा के मकान से उमेद सिंह राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	15.71
5	आदर्श कॉलोनी वार्ड नं0 09 में तोले सिंह राणा के मकान से गणेशी राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य।	10.33
	योग:–	**65.31**
	(2) नगर पालिका परिषद, विकासनगर	
1	वार्ड नं0–06 में केनाल रोड़ पर रमेश कश्यप के घर से यशपाल सैनी के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	16.03
2	वार्ड नं0–06 में बदामावाला रोड पर पानी की टंकी समीप नवीन गुप्ता के मकान से मानिक सबरवाल के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	3.58
3	वार्ड नं0–06 में हेरिटेज समीप एन0एच0 पर माडर्न ऑटो रिपेयर सेन्टर से खाले तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	3.40
4	वार्ड नं0 06 केनाल रोड़ पर सतपाल के घर से अवतार सिंह के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	4.08
5	वार्ड नं0–06 कैनाल रोड़ पर रघुवीर सिंह रावत के घर से यशपाल तथा नीलम के घर से अनिल के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	4.42
6	वार्ड नं0 06 में कैनाल रोड़ पर मदनलाल के घर से मामचन्द के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	4.55
7	वार्ड नं0–06 में कैनाल रोड पर बाबूराम नरूला के घर से बाईपास रोड पर तिलकराज शर्मा के घर तथा टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	7.23
	योग:–	**43.29**
	महायोग:–	**108.60**

(रू० एक करोड़ आठ लाख छः हजार मात्र)

Signed by Suraj Singh
Bisht
Date: 15-03-2024 16:57:42

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

UD3-2/15/2023-IV-3-Urban Development Department

I/199696/2024

संख्या :–[illegible]/IV-3/2024–12 (11 SWM)/2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–03 देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय– **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाये जाने एवं 58 हूपर/टीपर वाहनों को क्रय किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2506/94/JNNURM/SWM/DDN/2011–12, दिनांक 07.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम, देहरादून के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाये जाने एवं 58 हूपर/टीपर वाहनों को क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 9.90 करोड़ का आगणन उपलब्ध कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. 44 (1)/PF-5/2023-24(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 31.07.2023 के द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत Proposal to purchases machinery and T & P under Municipal Corporation, Dehradun हेतु रू0 8.50 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाये जाने एवं 58 हूपर/टीपर वाहनों को क्रय किये जाने हेतु रू0 990.22 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित रू0 8.50 करोड़ को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 Paert-1 (SSASCI) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही है।

(ii) नगर निगम, देहरादून के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत

शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाये जाने एवं 58 हूपर / टीपर वाहनों को क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 9.99 करोड़ का आगणन टी0ए0सी0, नियोजन विभाग / विभागीय समिति द्वारा परीक्षणोपरांत कुल संस्तुत रू0 999.22 में से Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) में से रू0 999.22 लाख के सापेक्ष (रू0 999.22 – रू0 850.00 = रू0 149.22) की धनराशि नगर निगम देहरादून द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।

(iii) उक्त कार्य Procurement से संबंधित है। इस संबंध में नगर निगम, देहरादून वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–103 / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0–I दिनांक 31 जुलाई, 2022 में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(iv) क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों की उपयुक्त होने (Reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) नगर निगम, देहरादून नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुये मशीनों / वाहनों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

(vi) मशीनों / वाहनों का क्रय किये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) प्राक्कलन डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(viii) योजना हेतु निवर्तन पर रखी गई धनराशि का ससमय उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) परियोजना के संचालन व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय।

(x) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(xiv) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुये

लागत की दरों की युक्तियुक्तता Rate Reasonability भी सुनिश्चित की जायगी।

(xv) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(xvi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

(xvii) उक्त कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाले जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत विशिष्ट आवंटन/अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–524030070054 द्वारा एवं वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/199205/2024, दिनांक 15 मार्च, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

<u>संख्या :–199659/IV-3/2024–12 (11 SWM)/2023, तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–1/2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

UD3-2/22/2023-IV-3-Urban Development Department

I/199694/2024

संख्या–199694/IV(3)/2024–01 (10 न0नि0) 2023

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय– Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून तथा हल्द्वानी को एल0ई0डी0 लाईटो की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, कृते निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4836/श0वि0नि0–986(एस0पी0ए0)/12, दिनांक 20 फरवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून तथा हल्द्वानी को एल0ई0डी0 लाईटों की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 5.17 करोड़ अवमुक्त किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या– F.No. 44 (1)/PF-S/2023-24(CAPEX)- Uttarakhand, दिनांक–31.07.2023 के द्वारा Scheme for special Assistance to Status for Capital Investment 2023-24 (SSASCI) के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून में एल0ई0डी0 लाईट स्थापना हेतु रू0 10.00 करोड़ एवं नगर निगम, हल्द्वानी हेतु रू0 5.50 करोड़ की धनराशि, अनुमोदित की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा Scheme for special Assistance to Status for Capital Investment (SSASCI) 2023-24 योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में अनुमोदित क्रमांक–30 पर अंकित कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 3.34 करोड़ (रू0 तीन करोड़ चौंतीस लाख मात्र) एवं क्रमांक 43 पर अंकित कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 1.83 करोड़ (रू0 एक करोड़ तिरासी लाख मात्र) इस प्रकार कुल रू0 05.17 करोड़ (रू0 पांच करोड़ सत्तरह लाख मात्र) को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी पूर्व में स्थापित एल0ई0डी0 लाईटों के संचालन एवं रखरखाव (Operations and Maintenance) का प्रभावी अनुश्रवण करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी एल0ई0डी0 लाईटों की स्थापना किये जाने संबंधी पूंजीगत निर्माण कार्यों के व्यय (CapEx) हेतु भुगतान कर दिया जाय एवं परिचालन व्यय हेतु (OpEx) हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता जाँच (Third Party Audit)/ सर्वे के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(iii) नगर निगम, देहरादून एवं नगर निगम, हल्द्वानी भविष्य में एल0ई0डी0 लाईट्स की स्थापना हेतु प्रथमतः मुख्य सड़क मार्गों व महत्वपूर्ण स्थानों आदि पर Individual Light Monitor System के तहत कन्सल्टेंट/फर्म का चयन करते हुये तदनुसार विस्तृत एस0एल0ए0

गठित कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(iv) योजना हेतु निवर्तन पर रखी गई धनराशि का संगत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) परियोजना के संचालन व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा।

(vi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री, का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(viii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(xi) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुये लागत की दरों की युक्तियुक्तता Rate Reasonability भी सुनिश्चित की जायगी।

(xii) प्रस्तावित कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, संशोधित–2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाये।

(xiii) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(xiv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

(xv) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05– विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(xvi) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत विशिष्ट आवंटन/अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–524030070024 (प्रति संलग्न) एवं वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/198543/2024, दिनांक 06.03.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 15-03-2024 12:10:07

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

.04/2024

संख्या–1964/64(1)/IV(3)/2024–1 (10 न0नि0) 2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
7. - वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. - निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. - नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
11. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल काला)
अनु सचिव।

UD2-2/A/6/2022-IV-2-Urban Development Department

/199875/2024

संख्या-199875 /IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि (एस0सी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर पालिका परिषद, विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय-समय पर प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जाति (एस0सी0एस0पी0 घटक) उप योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद, विकासनगर/लक्सर हेतु निम्नलिखित तालिका में वर्णित योजना कार्यों हेतु रू0 47.37 लाख (रू0 सैंतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	(1) नगर पालिका परिषद, विकासनगर	
1	वार्ड नं0-04 में कैनाल रोड़ पर बसन्त पोखरियाल के मकान से हेमलता के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	22.54
	(2) नगर पालिका परिषद, लक्सर	
2	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर में गैस गोदाम से विनोद के मकान की ओर साईट पटरी इन्टरलॉकिंग कलर टाईल्स निर्माण कार्य।	24.83
	महायोग-	**47.37**

I. उक्त धनराशि रू0 47.37 लाख (रू0 सैंतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, विकासनगर/लक्सर को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना के दिशा-निर्देशों तथा उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए योजना के लक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित का होगा।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं की Geo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XV. धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XVI. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक केअनुदान सं. –3.0 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0305–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 199649/2024, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S................................,

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 16-03-2024 12:57:35

संयुक्त सचिव।

199875
<u>सं0– /IV(2)-श0वि0–2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर/लक्सर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 16-03-2024 12:59:38

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

UD2-2/A/12/2022-IV-2-Urban Development Department

/200022/2024

संख्या- 200022 /IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16,मार्च, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या सं0-663/2023 किच्छा हल्द्वानी रोड पर शुक्ला के घर से शिवराम कालोनी तक 110 मी0 सड़क निर्माण कार्य किया जायेगा, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नगर निकाय, किच्छा के निर्माण कार्य हेतु रू0 21.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम चरण में योजना लागत का 60 प्रतिशत अर्थात **रू0 12.87 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **रू0 12.87 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निकाय, किच्छा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

XIV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के सबंध में होने वाला व्यय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक केअनुदान सं-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-051-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-0401-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'-53- वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 199934, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमेन्ट आई डी-S..............................,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 16-03-2024 15:52:27

भवदीय,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

200022
<u>सं0- /IV(2)-श0वि0-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, किच्छा।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

022/2024

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–03(सा0)/2024

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक   **मार्च, 2024**

विषय: अवस्थापना विकास निधि (एस0सी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 5123, दिनांक 04.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जाति (एस0सी0एस0पी0 घटक) उप योजनान्तर्गत नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार हेतु वार्ड न0–2 में मोनत के घर से रविदास मन्दिर की ओर नाले का निर्माण कार्य हेतु **रू0 23.30 लाख (रू0 तेईस लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

I. उक्त धनराशि **रू0 23.30 लाख (रू0 तेईस लाख तीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

III. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों मे से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XI. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं कीGeo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XIV. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XV. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

XVI. मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना के दिशा–निर्देशों तथा उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के**अनुदान सं. –30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0305– मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 199977/2024 दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–</u> अलॉटमेन्ट आई डी–S..............................,

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 16-03-2024 15:46:43

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

<u>सं0– /IV(2)–श0वि0–2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर–हरिद्वार
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

UD2-2/A/6/2022-IV-2-Urban Development Department

/199878/2024

जारी
16.3.24

संख्या– 199878/IV(2)-श0वि0-2024-03(सा0)/2024

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय: अवस्थापना विकास निधि (टी0एस0पी0 घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवस्थापना विकास निधि के अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0 घटक) उपयोजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद, खटीमा क्षेत्रान्तर्गत निम्नवत सूची के अनुसार वर्णित तालिका में इंगित कुल 03 योजनाओं हेतु रू0 66.15 लाख (रू0 छियासठ लाख पंद्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ इतनी ही धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	नगर पालिका परिषद, खटीमा	
1	कंजाबाग वार्ड नं0 01 में दीपक राणा के मकान से कुलदीप राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.01
2	कंजाबाग वार्ड नं0 01 में गंगासिंह राणा के मकान से भीमसिंह राणा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.07
3	कंजाबाग वार्ड नं0 01 में कुलदीप राणा के मकान से बगीया तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.07
	योग:–	**66.15**

I. उक्त धनराशि रू0 66.15 लाख (रू0 छियासठ लाख पंद्रह हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, खटीमा को बैंक ड्राफ्ट/चैक/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना के दिशा–निर्देशों तथा उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए योजना के लक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित का होगा।

III. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति/जिलास्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/कार्य/मात्रा के अनुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है,

उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

V. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

VI. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराये जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

IX. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

X. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

XIII. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही उपरोक्त योजनाओं की Geo Tagging आवश्यक रूप से करायी जाये।

XV. **धनराशि का दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।**

XVI. उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उक्त कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी संरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं.-3 1** के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-0305-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 199650/2024 दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-</u> अलॉटमैन्ट आई डी-S..............................,

भवदीय,

/2024

Signed by Sunil Singh
Date: 16-03-2024 12:58:18
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0- 199878 /IV(2)-श0वि0-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 16-03-2024 13:00:08

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के उपघटक Beneficiary Led Construction (BLC)के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के जियोटैगिंग हेतु प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांकः 5568/213/HFA-UC/2017–18, दिनांक 23.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः N-11011/40/2017-HFA-I (FTS-9028230) दिनांक 21.03.2024 द्वारा केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उपघटक Beneficiary Led Construction (BLC)के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के जियोटैगिंग हेतु प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 11,48,300/– लाख (रूपये ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(5) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(7) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(8) अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या: N-11011/40/2017-HFA-I (FTS-9028230) दिनांक 21.03.2024 में धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के <u>अनुदान सं0–13</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:08:08

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, **द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।**
4– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

I/202490/2024

संख्याः / IV(2)–श०वि०–2024–43(सा०) 17

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक– फरवरी, 2024**

विषयः 'अमृत 2.0' की उपयोजना Amrut Mitra हेतु केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–5496 / 04/Amrut 2.0-Amrut-Mitra/2023-24 दिनांक 21.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्याः K-16011/1/2024-AMRUT, दिनांक 13.03.2024 द्वारा केन्द्रपोषित योजना 'अमृत 2.0' की उपयोजना **Amrut Mitra "Women for Water, Water for Women"** हेतु स्वीकृत केन्द्रांश (प्रथम किश्त) की धनराशि **रू0 26,66,500/– (रूपये छब्बीस लाख छियासठ हजार पाँच सौ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 26,66,500/–**को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन प्रक्रियानुसार सम्बन्धित केन्द्रपोषित योजना हेतु खुले एस0एन0ए0 खाते में शीघ्रातिशीघ्र व्यय हेतु अन्तरित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्येत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अमृत 2.0– **Amrut Mitra** योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों हेतु ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्येत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(6) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(8) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के समयान्तर्गत/शीघ्रातिशीघ्र उपयोग हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर उक्तानुरूप व्यय सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–13–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन फेज–2 (90%CSS)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 18:13:48

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव/अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
6– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड बुक ।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या:   / IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक–   मार्च, 2024

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक Affordable Housing in Partnership (AHP) के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 42, 55, 56 एवं 57वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त (Part)) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5474/225/AHP/SUDA/2017–18, दिनांक 20.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division), भारत सरकार द्वारा प्रेषित समदिनांकित 03 पत्रों दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Affordable Housing in Partnership (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त (Part)) की धनराशि **कुल रू0 3535.80 लाख (रूपये पैंतीस करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–   **(धनराशि रू0 लाख में)**

S.No.	CSMC No.	Project Name	Central Share			
			Other then SC/ST	SC	ST	Total
i.	42	4 AHP	2824.80	631.80	79.20	3535.80
ii.	55	1 AHP				
iii.	56	4 AHP				
iv.	57	5 AHP				

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्येतर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्येतर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के

द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि निर्धारित समयावधि के भीतर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) प्रश्नगत योजना हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशो में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के <u>अनुदान सं0–13</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पी0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 2824.80 लाख**, **<u>अनुदान सं0–30</u>** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 631.80 लाख** एवं **<u>अनुदान सं0–31</u>** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 79.20 लाख** डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:14:28

(सूरज सिंह बिष्ट)

अनु सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।

2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।

3– सचिव, वित्त / नियोजन / आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

5– आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, पौढ़ी / नैनीताल।

6– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, **द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।**

7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

9– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।

10– गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक Beneficiary Led Construction (BLC) के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 63 एवं 64वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय) तथा तद्नुसार राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांकः 5567/225/AHP/2017–18, दिनांक 23.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा समदिनांकित 03 पत्रों दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Beneficiary Led Construction (BLC)घटक के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 1410.60 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 94.70 लाख, इस प्रकार **कुल ₹1505.30 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ पाँच लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	CSMC	केन्द्रांश (द्वितीय किश्त)				राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (8+9)
		सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल (5+6+7)		
1.	**2.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
i.	63						
ii.	64	**975.00**	**420.00**	**15.60**	**1410.60**	**94.70**	**1505.30**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं / कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार के पत्रों (03 पत्रों) संख्या: N-11012/53/2022-HFA-V-UD (FTS-9138159) दिनांक 21.03.2024 में धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन / भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के <u>अनुदान सं0–13</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पो0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 975.00 लाख**, <u>अनुदान सं0–30</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 420.00 लाख**, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9503–प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 89.50 लाख**, <u>अनुदान सं0–31</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 15.60 लाख**, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश –9501–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 5.20 लाख** डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने

सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVIII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:08:45

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2- निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3- सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5- आयुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, द्वारा-शहरी विकास निदेशालय।
7- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10- गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

UD2-3/C/2/2022-IV-2-Urban Development Department-Part(1)

I/202491/2024

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक Beneficiary Led Construction (BLC) के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 63 एवं 64वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय) तथा तद्नुसार राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक 5567/225/AHP/2017–18, दिनांक 23.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा समदिनांकित 03 पत्रों दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Beneficiary Led Construction (BLC)घटक के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 1410.60 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 94.70 लाख, इस प्रकार **कुल ₹1505.30 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ पाँच लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.सं.	CSMC	केन्द्रांश (द्वितीय किश्त)				राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (8+9)
		सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल (5+6+7)		
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
i.	63						
ii.	64	975.00	420.00	15.60	1410.60	94.70	1505.30

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं / कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111469 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार के पत्रों (03 पत्र) संख्या: N-11012/53/2022-HFA-V-UD (FTS-9138159) दिनांक 21.03.2024 में धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन / भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के <u>अनुदान सं0-13</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0106-प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पो0)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 975.00 लाख**, <u>अनुदान सं0-30</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 420.00 लाख**, लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश-9503-प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 89.50 लाख**, <u>अनुदान सं0-31</u> के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-प्रधानमंत्री आवास योजना-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 15.60 लाख**, लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश -9501-प्रधानमंत्री आवास योजना-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 5.20 लाख** डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने

सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:08:45

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

संख्याः /IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– मार्च, 2024

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक Beneficiary Led Construction (BLC) के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 63 एवं 64वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय) तथा तद्नुसार राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक 5567/225/AHP/2017–18, दिनांक 23.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा समदिनांकित 03 पत्रों दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Beneficiary Led Construction (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 1410.60 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 94.70 लाख, इस प्रकार **कुल ₹1505.30 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ पाँच लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.सं.	CSMC	केन्द्रांश (द्वितीय किश्त)				राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (8+9)
		सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल (5+6+7)		
1.	**2.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
i.	63						
ii.	64	**975.00**	**420.00**	**15.60**	**1410.60**	**94.70**	**1505.30**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111489/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) अनु. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार के पत्रों (03 पत्रों) संख्याः N-11012/53/2022-HFA-V-UD (FTS-9138159) दिनांक 21.03.2024 में धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान सं0-13** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0106-प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पो0)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 975.00 लाख**, **अनुदान सं0-30** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 420.00 लाख**, लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश-9503-प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 89.50 लाख**, **अनुदान सं0-31** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-प्रधानमंत्री आवास योजना-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 15.60 लाख**, लेखाशीर्षक-'2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-96-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश-9501-प्रधानमंत्री आवास योजना-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे **रू0 5.20 लाख** डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने

सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:08:45

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

संख्या–   /IV(2)–श0वि0–2024–05(सा0)/12

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक–   मार्च, 2024

विषय: नगर निगम, हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वानपशुओं के बन्ध्याकरण हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–5534/479/प0क0वी0/श0वि0नि0, दिनांक 22.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु संचालित Animal Birth Control-Anti Rabis Vaccination Project(ABC-ARB)के अन्तर्गत नगर निगम, हरिद्वार में कराये गये श्वानपशुओं के बन्ध्याकरण/एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हेतु निर्धारित राज्यांश प्रति श्वानपशु रू0 429/– की दर से 2559 श्वान पशुओं हेतु कुल **रू0 10,97,811/– (रूपये दस लाख सतानवे हजार आठ सौ ग्यारह मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि कुल रू0 10,97,811/– (रूपये दस लाख सतानवे हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार को इलैक्ट्रोनिक मध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि उक्त धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(3) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम के संचालन पर राज्यांश के अतिरिक्त होने वाले समस्त व्यय का वहन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(4) प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्याकरण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 02.05.2023 के अनुपालन में निकाय क्षेत्रान्तर्गत निराश्रित श्वान पशुओं को गोद लिये जाने तथा Dog Bite के के प्रकरणों से बचाव हेतु अपेक्षित विशेष सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार आदि प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम की तृतीय पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक रूप से कराया जाय एवं मूल्यांकन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(6) धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता/व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये समस्त शासनादेशों के पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

(7) जिस कार्य/योजना हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, निर्गत धनराशि का व्यय उसी कार्य/योजना पर किया जाय। धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0326–श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन–56–सहायक अनुदान (सहायक गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त निर्देशों के कम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 18:15:06

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संख्या: 202491 / IV(2)–श0वि0–2024–03(PMAY) 19

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक– 29 मार्च, 2024

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना 'सबके लिए आवास (शहरी)' के घटक **Beneficiary Led Construction (BLC)** के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 की 63 एवं 64वीं बैठक में स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय) तथा तदनुसार राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक 5567/225/AHP/2017–18, दिनांक 23.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार द्वारा समदिनांकित 03 पत्रों दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" में Beneficiary Led Construction (BLC)घटक के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 1410.60 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 94.70 लाख, इस प्रकार **कुल ₹ 1505.30 लाख** (रूपये पन्द्रह करोड़ पाँच लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत खुले एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– (धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	CSMC	केन्द्रांश (द्वितीय किश्त)				राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (8+9)
		सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल (5+6+7)		
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	63						
II.	64	975.00	420.00	15.60	1410.60	94.70	1505.30

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा तत्सम्बन्ध में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 एवं तत्सम्बन्धी में अद्यतन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न कार्यालय आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(4) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-V Division) भारत सरकार के पत्रों (03 पत्र) संख्या: N-11012/53/2022-HFA-V-UD (FTS-9138159) दिनांक 21.03.2024 में धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना (80% के0पो0)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे रू0 975.00 लाख, अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना (90%)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे रू0 420.00 लाख, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9503–प्रधानमंत्री आवास योजना (10% राज्यांश)–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे रू0 89.50 लाख, अनुदान सं0–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे रू0 15.60 लाख, लेखाशीर्षक–'2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9501–प्रधानमंत्री आवास योजना–14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण' के नामे रू0 5.20 लाख डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने

सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई०डी० (कुल 06) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 28-03-2024 16:08:45

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौढ़ी/नैनीताल।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।
7– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड बुक।

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव ।